खण्ड-345, अंक-2
बुधवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(27 अगस्त, 1980 ई0)

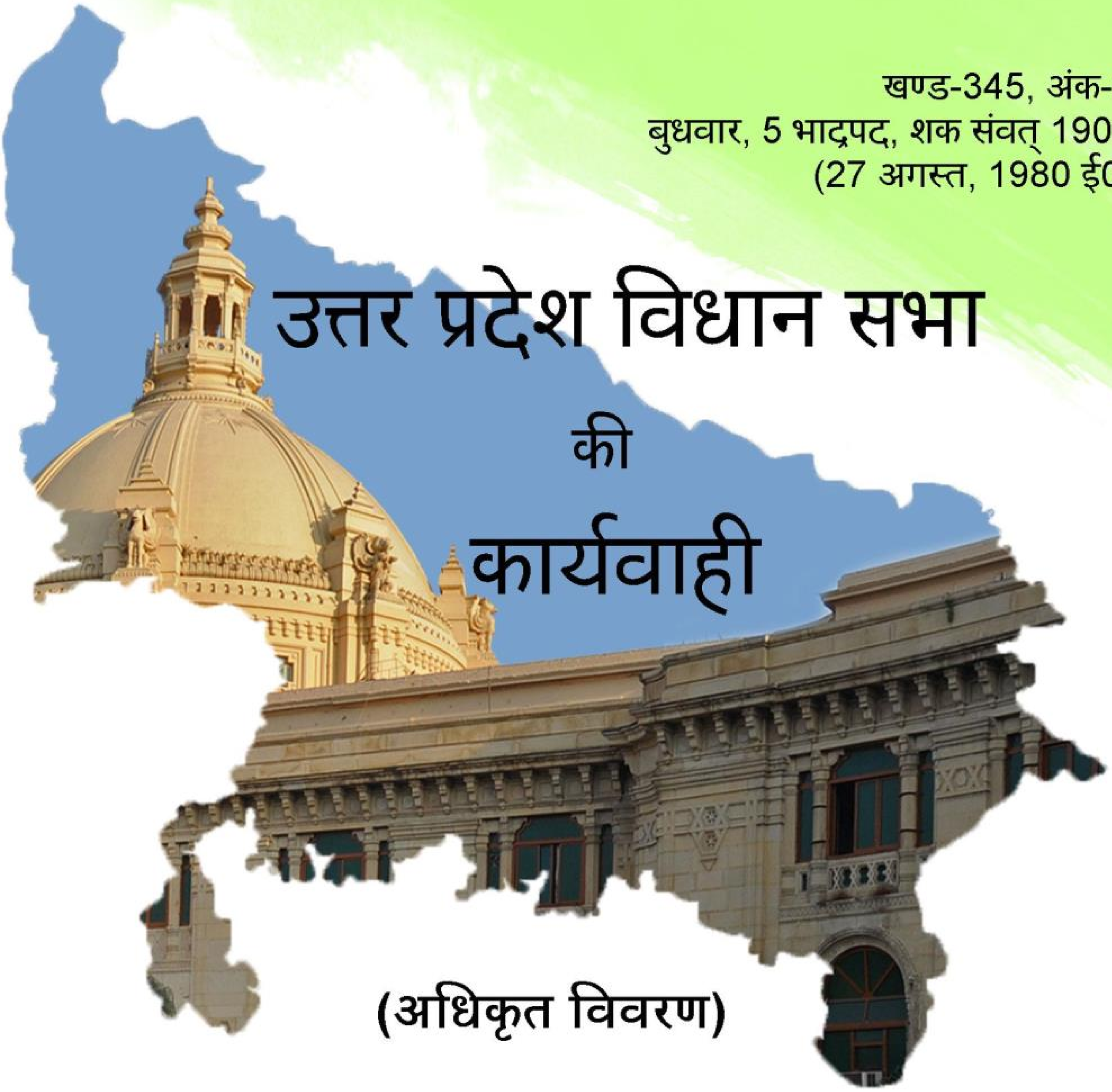

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	85–88
आज सदन न होने की कथित सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	89
प्रश्नोत्तर	89–127
भूतपूर्व सदस्य, श्री हरी सिंह के निधन पर शोकोद्गार	127–130
झांसी नगर व जनपद में भारी वर्षा के कारण हुयी क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130–131
सीतापुर के निकट रस्योरा घाट पर नाव डूबने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु क संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
नेहरू स्मारक इन्टर कालेज, फुलहरा, जिला मेरठ के प्रधानाचार्य को सी0 आई0 डी0 इंस्पेक्टर श्री कुंवर पाल सिंह यादव द्वारा पीटे जाने तथा थाने में अवैध रूप से बंद रखने की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131–132
हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुई हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
लखनऊ के मोहनलाल गंज तहसील में वर्षा व बाढ़ से हुई क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 की वैधानिकता तथा सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति	133–136
उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	137
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	137
जिला जेल फैजाबाद में बन्दियों के मध्य हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में एक सदस्यीय जांच आयोग की जांच रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	137
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 से संबंधित शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखे गये)	137
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 तथा इसके संबंध में जारी किये गये शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखे गये)	137–138
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गई)	138
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	138
यू0 पी0 स्टेट हैंडलूम कारपोरेशन लि0 का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया)	138

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (बीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	138
उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76, 1976–77, 1977–78 एवं 1978–79 (सदन के पटल पर रखा गया)	138
दि उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	139
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	139
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	139
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं	139–140
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	140–142
विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना ..	142
विधान सभा की कतिपय समितियों व अस्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	142–143
गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के हड़तालियों पर लाठीचार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य	143
मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित वक्तव्य पर आपत्ति	143–155
कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	155–156
कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना	156
उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरः स्थापित किया गया)	156–159
मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	159–161
1980–81 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	161–175
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं	175
विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य, श्री शिव हर्ष उपाध्याय की हत्या के सम्बन्ध मे नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	175–179
मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा के लिए समय निर्धारण	179
नत्थियां	180–184

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 27 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 342

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथसिंह श्री (उर्फ अनिलसिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद, श्री — बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उपेन्द्रबहादुरसिंह, श्री (उर्फ सुत्तनभैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैयालाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री — इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खैरूल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री — नैनीताल
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवरधन, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री — पौड़ी-गढ़वाल

चन्द्र शेखर त्रिवेद्वी, श्री	लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
चरन जीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	मनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह,श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्लविकल साकेती, श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जयराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झिलमिट राम श्री	गाजीपुर
तेजनरायन त्रिवद्वी, श्री	खीरी
तेज बहादुर , श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ग्रुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री	हरदोई
नाजिल अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
पंचानन, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परवीन कुमार, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बालू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर, श्री	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी

ब्रज बल्लभ बाबू, श्री — बदायूं
ब्रह्मदत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
मंगलदेव, श्री — गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मसरूर जाफरी श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शीलाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वारणसी
यदुनाथ, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर

यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) — गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रती राम, श्री — बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण, उपाध्याय, डाक्टर — जौनपुर
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम गोविन्द सिंह, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ला, श्री — प्रतापगढ़
राम नरायण पाठक, श्री — कानपुर
राम पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फर नगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमण दूबे, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी

राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष, श्री — गाजीपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि, श्री — मथुरा
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह, राना, श्री — आगरा
विद्या भूषण, श्री — मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार, श्री — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
विशनलाल, श्री — बिजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर, — गाजियाबाद
शम्भूनाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिव प्रताप सिंह, श्री — बांदा
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी-गढ़वाल
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह, श्री — सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सन्त बख्स रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद सरोज, श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुनील शास्त्री, श्री — गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमनलता दीक्षित, कुमारी — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नरायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंस राज वर्मा, श्री — एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री — उन्नाव
हरिबंश सहाय, श्री — देवरिया
हरी सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरि किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरीशंकर, श्री — हरदोई
हेम चन्द्र निमेष, श्री — मेरठ

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन मे उपस्थित थे।

आज सदन न होने की कथित सूचना के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों को इस तरह की सूचना भेज दी गयी है अलीगढ़ में कि आज सदन नहीं होगा ? क्या यह सही है कि इस आशय का पत्र आपके पास भी पहुंच गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बिल्कुल असत्य है फिर भी यदि इस तरह की सूचना गयी है तो इसकी जांच की जायगी ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 27 अगस्त, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उन्नाव खण्ड की हथौड़ा ड्रेन परियोजना के अन्तर्गत बढ़नवां गौरा एवं इसरारपुर में पुल निर्माण की मांग

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव खण्ड के अन्तर्गत हथौड़ा ड्रेन पर बढ़नवां गौरा एवं इसरारपुर के पास पुलों के निर्माण की योजना कब स्वीकृत हुई थी तथा गौरा एवं इसरापुर के महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

सिंचाई निर्माण खण्ड उन्नाव में हथौड़ा ड्रेन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम-बढ़नवा, गौरा एवं इसरारपुर के पास पुलों के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं था । जनता की मांग पर यद्यपि बढ़नवा का पुल बन चुका है किन्तु अन्य दो पुलों पर औपचारिक तकनीकी स्वीकृति के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि अन्य दो पुलों की औपचारिक तकनीकी स्वीकृति के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा, लेकिन इसी संदर्भ में 26 मार्च, 79 को इसी सदन में एक सूचना दी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि परसोला, इसरारपुर आदि ग्रामों के पास हथौरा ड्रेन के प्राक्कलन में पुलों के निर्माण का कोई भी प्राविधान नहीं है, परन्तु आवश्यकताओं को देखते हुये तीन पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनके बारे में निविदायें आदि आमंत्रित की जा चुकी हैं और कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज का जवाब सही है या उस समय की सूचना सही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यहां पहले 6 पुल बनने का प्राविधान था । बाद में तीन पुल और बढ़ाये गये । उनमें से दो पुल के लिये तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिये वे नहीं बन सके ।

श्री रियासत हुसैन—

इन पुलों के लिये जब टेंडर भी आमंत्रित कर लिये गये, तो क्या टेंडर मंगाये जाने के बाद इन पुलों के बनाने का विचार स्थगित किया गया या टेंडर गलत तरीके से मांग लिये गये ? यदि ऐसा है, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । स्वीकृति के बिना दोनों पुल नहीं बन सके हैं हालांकि शासन चाहता है कि वे बन जायं, लेकिन जो फारमेलिटी है, स्वीकृति की उसे पूरा करना जरूरी है । लिहाजा यह कोशिश है कि तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति जल्दी प्राप्त हो जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा—

पिछली बार जब निविदायें आमंत्रित की जा चुकी थी, तो क्या वे निविदायें आमंत्रित करने के बाद तकनीकी स्वीकृति आवश्यक होती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाढ़ आदि से संबंधित हमारा काम बहुत अर्जेंट होता है । बहुत से काम स्वीकृति के बिना भी शुरू कर दिये जाते हैं । वैसे हम कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वीकृत भी मिल जाय । ऐसी कोई बात हो गयी होगी, लेकिन जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जिन पुलों का जिक्र इस प्रश्न में किया गया है, उनको कब तक बनवा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं कह चुका हूं कि तकनीकी स्वीकृति जल्दी लेने की कोशिश करते हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से इनको बनवा दिया जाय ।

फैजाबाद क्षेत्र में परिचालकों का चुनाव एवं अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*2—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि फैजाबाद रीजन में वर्ष 1979–80 में परिचालक पद हेतु कोई चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पद की रिक्तियां कितनी थीं ? चयन का माध्यम क्या था और चयन समिति में कौन-कौन थे ? कुल चयनित परिचालकों की संख्या क्या है ? क्या उसमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । वर्ष 1979–80 में फैजाबाद क्षेत्र में परिचालक पद रिक्त नहीं थे । यह चयन 1980–81 की संभावित रिक्तियों की प्रतीक्षा सूची बनाने के लिये किया गया था । इस चयन समिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक सेवा प्रबन्धक, तथा वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक थे । कुल 258 व्यक्ति चुने गए । पिछड़े वर्ग के लिये निर्धारित कोटा पूर्ण था, परन्तु अनुसूचित जाति का कोटा अपूर्ण रह गया । इस प्रतीक्षा सूची को 15–7–80 को निरस्त कर दिया गया है ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिचालक पदों की रिक्तियां थी और उसके लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे, तो उसके लिये एक प्रक्रिया होती है कि एडवरटाईज

किया जाय और दूसरे विभागों से सूचना मंगाई जाती है, तो क्या इसमें भी उसके अनुसार किया गया या अपने आप कर लिया गया । प्रार्थना पत्र के लिये जो नोटिस होती है, वह दिया गया या नहीं ?

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि 258 में से 18 प्रतिशत हरिजनों का कोटा होता है । हरिजन अभ्यर्थियों के प्राथना पत्र प्राप्त होने के बावजूद भी कोटा पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या वजह है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यदि अनियमिततायें नहीं होती, तो क्यों निरस्त होती इसमें अनियमिततायें पायी गई इसलिए निरस्त किया गया ।

श्री मित्र सेन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो अधिकारीगण इस अनियमित चुनाव में शामिल हुए, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके संबंध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

नलकूप मण्डल, मैनपुरी के अवर अभियंता, श्री बी० बी० मित्तल का सील किया गया रिकार्ड

*3—श्री मुन्शी लाल, श्री शिव मंगल सिंह, श्री जगदीश सिंह, श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री बंशीधर (अनुपस्थित)—

क्या सिचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल मैनपुरी के नलकूप खण्ड मैनपुरी के अवर अभियन्ता (श्री बी० बी० मित्तल) का वर्ष 1978–79 में भूतपूर्व विधायक श्री हरीराम शाक्य द्वारा रिकार्ड सील कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्री बी० बी० मित्तल, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के विरुद्ध उपर्युक्त मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई गई और न ही कोई पाइप बेंचा पाया गया (सीमेन्ट का स्टाक भी पूरा पाया गया) अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

[दिनांक 27 अगस्त, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तराखण्ड के राजकीय कर्मचारियों के लिए बनाया गया हिल कैडर एवं कर्मचारियों का नियमतीकरण

*1—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी तथा श्री बल्देव सिंह आर्य—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड की विभिन्न विकास की योजनाओं को सफल बनाने के लिए विगत मन्त्रि मण्डल के पर्वतीय विकास मन्त्री ने जो विभिन्न राजकीय सेवाओं का एक हिल कैडर स्वीकृत किया था क्या वह कैडर नियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक इस पर शासन का निर्णय हो जायगा ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

गत वर्ष (1979–80) में शिक्षा व चिकित्सा सेवाओं में एक निर्दिष्ट स्तर तक उप संवर्ग पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग बनाने का निर्णय हुआ था । इस निर्णय को प्रभावी करने के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य विभागों द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । कार्यवाही पूरी हो जाने पर उप-संवर्ग इन सेवाओं में प्रभावी हो जावेगा ।

2--इसके अतिरिक्त इस वर्ष सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, निजी लघु सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी एक निर्दिष्ट स्तर तक पर्वतीय उप संवर्ग बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके निस्वत भी अग्रेतर कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा की जा रही है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा पिछले वर्ष निर्णय लिया गया था उन्होंने बताया कि और बहुत से विभागों में भी वहीं के अध्यापकों का चयन किया गया था। जैसा उन्होंने अपने उत्तर में भी कहा है और इस को मान लिया है, तो क्या उन अध्यापकों को रेगुलर कर दिया गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यदि माननीय सदस्य का इशारा तदर्थ नियुक्तियों की ओर है, तो पिछले शासन में जो की गयी थी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

इस संवर्ग में जिसको स्वीकार कर लिया गया है उसमें नियुक्तियां भी हो गई हैं, उन अध्यापकों को रैगुलर कर दिया गया है या नहीं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

शिक्षा व स्वास्थ्य के बारे में, मैंने कहा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इसके फार्मुलेशन और कार्यान्वियन में थोड़ा समय लगेगा, बातचीत चल रही है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने दूसरा भाग बना कर कहा अन्य विभागों में भी ऐसा ही निर्णय उन्होंने ले लिया है और कार्यवाही हो रही है। जिसके लिए पिछले वर्ष से जो कार्यवाही हो चुकी है,उस पर भी अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। यदि यही गति है, तो इसके लिए वह निश्चित समय बताने की कृपा करेंगें, कितने समय में इस पर पूर्णरूप से निर्णय हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी --

पिछले वर्ष भी यह 4 सितम्बर, 1979 को अर्थात् अन्तिम वर्ष के अन्तिम समय में यह निर्णय लिया गया था, तो इसमें बहुत समय अभी नहीं हुआ है, कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल --

इतना ही तो जानना है कि और विभागों में कितना समय अभी और लगेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी --

यही बता रहा हूं हम इसको जितना शीघ्र संभव हो सकेगा, पूरा करने की चेष्टा करेंगे। माननीय सदस्य स्वयं जानते है, चूकि वह मंत्रिमण्डल में रह चुके हैं कि जब ऐसा किया जाता है, तो कुछ व्यवधान भी पड़ता है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जब आप इसका उत्तर द रहे हैं। कैबिनेट ने जब इस पर निर्णय ले लिया है, तो मंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि इसमें निर्णय लिया जायगा या इसमें यह दिक्कत है ? कैबिनेट के निणय के बाद तो कोई इस तरह का प्रश्न ही नहीं रह जाता है कि उसमें कोई सोच हो। अब तो इसके कार्यान्वियन का केवल प्रश्न है और इसको कार्यान्वयन में अब कम से कम कितना समय लगेगा मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी --

मैंने यही कहा है, इसका निर्णय लिया जा चुका है। इसको अमली जामा पहनाने व कार्यान्वयन की दिशा में फिर भी कुछ समय तो लगेगा ही। कोशिश यह है कि यह समय कम से कम लगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

अब उसमें निर्णय हो चुका है तो उसमें विभागीय कठिनाई तो है नहीं और इसको अविलम्ब करने में आप कितनी जल्दी कर देगें, क्योंकि यह प्रदेश हित का व्यापक प्रश्न है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी --

मान्यवर, हमारी स्वयं की चिन्ता है, शासन की चिन्ता है, क्योंकि इस वर्ष हमारा बजट हिमांचल प्रदेश के बजट के बराबर हो गया है। हमारा बजट इसका 72 से 86 करोड़ का हो गया है। बल्कि एक आध करोड़ ज्यादा हो गया है हम स्वयं शीघ्रातिशीघ्र वे संवर्ग बनाना चाहते है। हम स्वयं चिंतित है और प्रयत्नशील है और शीघ्रातिशीघ्र इसको करना चाहते हैं।

श्री विद्या सागर नौटियाल --

वहां 7 अगस्त, को कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें समस्त यहां के विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे, तो क्या उस समय इस प्रश्न पर विचार किया गया था ? और क्या इसको इसलिए टाला जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष --

जो आप जानते हैं वह न पूछे, जो पूछना चाहते हैं, वह पूछें ?

श्री विद्या सागर नौटियाल --

मैंने बताया है, वहां गैर कांग्रेसी विधायकों को अलग करके समस्त विधायकों की एक मीटिंग हुई है, तो क्या हम लोगों को जुदा करके शासन कोई नीति बना रहा है, जिसका फिलहाल वह बता नहीं रहे हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी --

इस संबंध में माननीय सदस्य की जानकारी सत्य से परे है और हम पर कोई दबाव इस तरह का नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी यह जानते है कि वहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से विभागीय अधिकारियों की अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, क्योंकि आप यह कैडर बनाने में देरी कर रहे हैं। इससे हमारी योजनाओं का सही कार्यान्वियन नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष --

आपका वही प्रश्न हो गया है इस पर काफी अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट --

इस पर हमें थोड़ा समय और दीजियें। हमारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। गाजीपुर बलिया, देवरिया आदि के जो अध्यापक वहां भेजे जाते हैं, वह अपना ट्रान्सफर करा लेते है और विद्यालय बिना उनके पड़े हैं। वहां के बच्चे आवारा घूम रहे है .....

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जाइए अब कोई प्रश्न नहीं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट --

श्रीमन्, जब इस तरह से होगा तो शासन का "हिल कैडर" बनाने से क्या तात्पर्य होगा ?

श्री अध्यक्ष —

आप कृपया बैठिए।

श्री जसवंत सिंह विष्ट —

[* * * *]

श्री अध्यक्ष —

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

देवरिया जिले में नदियों से कटाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम

*2—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री मित्रसेन —

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायगे कि देवरिया जिले के किन-किन नदियों पर इस समय कटाव जारी है तथा उसके रोकथाम हतु कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

देवरिया जिले में छोटी गंडक, बड़ी गंडक, घाघरा, राप्ती और गौरा नदियों से कटाव जारी है।

उपरोक्त नदियों पर हो रहे कटाव को रोकने के संबंध में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं जिनसे काफी सीमा तक बाढ़ से सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।

श्री मित्रसेन —

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में छोटी गंडक बड़ी गंडक, घाघरा राप्ती और गौरा नदियों से जो कटाव जारी है और जिसकी रोकथाम की जा रही है, उनसे कितने गांव प्रभावित हुए हैं और वहां के निवासियों को पुनर्वासित करने के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

देवरिया जिले में छोटी गंडक, बड़ी गंडक, घाघरा, राप्ती और गौरा नदियों से कटान हो रहा है। जसा माननीय सदस्य को विदित होगा, बड़ी गंडक पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसम लगभग 12 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अमुवा खास में नया काम कर रहे थे। वहां पर बड़ा कटान था, वह नहीं रुक पाया। छोटी गंडक से नौतनवा बाजार मैनपुर, शाहजहांपुर, भटनी, करमोरा, ठाकुर बरहचाप, मालीबाड़ी तथा बमनौती आदि स्थानों पर कटाव हो रहा है उसकी रोकथाम की योजना बनाई है। इस नदी पर कटान को रोकने के लिए 75 डैम्पर्स बनाये जाने प्रस्तावित है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 40 लाख रुपय है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम भोखमपुर, बिन्दवलिया तथा बैकुन्ठपुर में डैम्पर्स के निर्माण का कार्य इस बाढ़ के पूर्व किया जा चुका है। लेकिन अभी बहुत से और हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के घाघरा पर पुरपरसिया, खेमादेयी, गौरीबरहज आदि ग्रामों में कटान हो रहा है। पुरपरसिया में कटान की योजना टी0 ए0 सी0 को स्वीकृत हतु प्रस्तुत की जा चुकी है। स्वीकृत होने पर कार्य करा दिया जायेगा। जब तक हम को स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक इतना बड़ा काम करने में दिक्कत हो रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से डैम्पर्स बनाकर कटान को रोका जाय। गौरा बरहज कस्बे म नदी की तली में ब्लौक कंकड़ है जिसके कारण कटान की गति नगण्य है। अगर हमारी योजना सफल हुई तो कटान को रोकने का बहुत सा काम हो जायगा।

नोटः—[***]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राप्ती नदी पर तिपरा मेड़ी तथा माझा नारायन में कटाव निरोधक कार्य बनाये जा चुके है। गोर्रा में पिडरा ग्राम को बचाने की योजना टी० ए० सी० के विचाराधीन है। शेष ग्रामों का संरक्षण बाढ़ के पश्चात् करके ही योजना बनायी जायेगी। इसके कारण गोर्रा में पुराने जमीदारी बंधे है, जो नदी के बहुत निकट है, इनकी मरम्मत भी करायी जा रही है।

श्री कुबेर—

यह कतई झूठ है, यह झूठ बात है, सदन को गुमराह कर रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष —

आप जो यह झूठ शब्द कह रहे हैं इसे वापस लें। यह आरोपात्मक है।

श्री कुबेर—

जब वे झूठ बात कहेगें तो हम क्या कहे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसे वापस लें।

श्री कुबेर —

यह बात सही नहीं है। आज पचासों गांव नदी में बह गये हैं और लाखों लोग मर गये हैं। इसके बारे में मंत्री जी बताय।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि घाघरा से भी कटाव हो रहा है। इस नदी से बिशुनपुरा गांव का कटाना चल रहा है। जो स्कीम मंत्री जी ने बतायी है, उसमें यह गांव नहीं है। इसको बचाने के लिये मंत्री जी क्या कर रहें हैं और जो योजना उन्होंने बतायी वह कब से विचाराधीन है और कब तक पूरी होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह स्कीम नयी है। जिस गांव का जिक्र माननीय सदस्य ने अभी किया है, उसको दिखा लिया जायगा कि क्या सुरक्षात्मक कार्य वहां किया जा सकता है।

श्री मित्रसेन—

चर्चा के समय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि कच्चे मकानों को जो गिरे हैं, 500 रु० का तथा पक्के मकानों को 1000 रुपये का अनुदान दिया जायगा, तो क्या यह सहायता दी जाने लगी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो घोषणा की गयी थी, उसके अनुसार दिया जा रहा है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

जो सूचना माननीय मंत्री जी को मिली है, वह गलत मिली है। मैं अपनी सूचना के आधार पर कह रहा हूं कि इस समय देवरिया में 5–6 ग्राम महुवी, मथुराछपर, मुण्डरा-मिश्र और बैकुण्ठपुर आदि कटान पर हैं। यह ग्राम नदी में चले गये हैं। जब बाढ़ अभियन्ता, श्री सिंघल से बात की, तो वे कहते हैं जल्दी क्या है ? इन ग्रामों को बचाने के लिये मंत्री जी कुछ करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गांवों के कटान को रोका जाय। माननीय सदस्य ने जिन गांवों का जिक्र किया है, उनको भी दिखवा लेंगे कि यहां कुछ किया जा सकता है।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

आगरा जिले की खारिजा नहर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*3—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि आगरा में नहर खारिजा के दोनों ओर पड़ी हुई कीमती भूमि पर लोग अपना अनधिकृत कब्जा किए हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस अनधिकृत कब्जा को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिये संबंधित व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में नहर खारिजा के दोनों ओर पड़ी हुई कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्ज हो गये हैं और कितनी भूमि अनधिकृत कब्जे से बची हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो जमीन छोड़ी जा रही है, यह 18.6 एकड़ है और 1.36 एकड़ जमीन पर अनधिकृत कब्जा है।

श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अनधिकृत कब्जा करने वालों में कौन-कौन से व्यक्ति हैं उनके क्या नाम हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, उसकी सूचना इस समय नहीं है, नोटिस दी गयी है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, अनधिकृत कब्जा करने वाले किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? जिन-जिन व्यक्तियों को नोटिस दी गयी उनके कृपया नाम बता दें?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके है कि नोटिसें दी गयी हैं और व्यक्तियों के नाम के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि नोटिसें दी गयी हैं अनधिकृत कब्जे हटाने के लिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब अनधिकृत कब्जा हटा देंगे, तो इस कीमती भूमि को सदुपयोग में लाने के लिए कोई योजना आपके पास है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, शासन का यही विचार है कि यह जमीन सरकार के काम में इस्तेमाल हो, सरकार के बहुत से विकास के काम हो रहे हैं, उसमें इस्तेमाल हो, और उससे जो जमीन बचेगी, तो सरकार के और विभाग को दे दी जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अनधिकृत कब्जा है; वह खेती के काम में लाया जा रहा है या कोई इमारत बनाकर खड़ा कर लिया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इमारत बनाकर इन्क्रोचमेंट करके कब्जा कर लिया है।

बस्ती जिले के हरिजन छात्रों का आन्दोलन एवं छात्र वृत्ति का भुगतान

*4—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छात्रवृत्ति के वितरण की धांधली को लेकर गत मार्च, 1980 में कुछ छात्रों ने हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय बस्ती में कुछ आन्दोलन तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही की थी? यदि हां, तो छात्रों के क्या-क्या आरोप थे? क्या उस समय उप-निदेशक, हरिजन कल्याण, गोरखपुर मण्डल भी मौजूद थे? इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

छात्रवृत्तियों के वितरण के सम्बन्ध में 18 मार्च, 1980 को कुछ छात्रों ने हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, बस्ती में तोड़फोड़ की कार्यवाही की। छात्रों की मांग थी कि बजट में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में छात्रवृत्तियों का भुगतान कर दिया जाय। उस समय उप निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल भी मौजूद थे।

अब बस्ती के समस्त हरिजन छात्रों को जिन्हें पहले धनावंटन के अभाव में छात्र वृत्तियां नहीं मिल पायी थीं, 38 लाख रुपये की छात्रवृत्तियों का भुगतान कर दिया गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो लड़कों की मांग थी, उसमें यह भी मांग थी कि यह जो जिला हरिजन अधिकारी हैं, ये पैसे ले लेकर कुछ स्कूलों को पहले छात्रवृत्ति दे देते हैं और जिनसे पैसा नहीं पाते उनको छात्रवृत्ति नहीं देते हैं?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और न ऐसे कोई आरोप ही हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जिन छात्रों ने तोड़-फोड़ की कार्यवाही की थी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी कि नहीं?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, विद्यार्थियों के प्रति कोई शिकायत नहीं थी।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर वहां पर जो हरिजन समाज कल्याण समिति बनाई गयी थी, शासन के सामने भी यह मामला आया था, उसमें कम से कम 4 लाख रुपये के घोटाले का मामला है,

मेरी इस सूचना को सही मानकर क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में कोई कार्यवाही शीघ्र करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, यदि माननीय सदस्य निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से आरोप लिखकर देंगे, तो जांच करा दूंगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

विधायकों की समिति जो बनी थी, जिसमें कुछ प्रस्ताव रखे गये थे, उन्हीं प्रस्तावों को लिखकर दिया गया है, क्या उन्हीं प्रस्ताव के आधार पर माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मैं पुनः माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी जिम्मेदारी पर निश्चित रूप से लिखकर दें और उस प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करें, तो सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि जो 38 लाख रु0 छात्रवृत्ति बांटी गयी है, वह कुल कितने छात्रों में बांटी गयी है और कुल छात्रों की संख्या क्या थी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, बाद में दूंगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी हमारी सूचना को सही मान कर बस्ती जनपद में तमाम ऐसे विद्यालय हैं, जहां फर्जी हरिजन छात्रों की सूची बनाई जाती है और वहां के हरिजन समाज कल्याण के कार्यालय द्वारा ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति पहले बांट दी जाती है और जो सही छात्र होते हैं, वह ऐसे ही रह जाते हैं, और वहां पर बवाल जब शुरू हो जाता है, तो उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर कोई कार्यवाही करेंगे और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों को दण्डित करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

माननीय सदस्य यदि निश्चित रूप से स्पष्ट सूचना लिखकर देंगे, तो हम उसकी जांच करवा देंगे।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी यह तो आपके उत्तर से ही स्वयं स्पष्ट है कि अगर वहां छात्र तोड़-फोड़ न करते तो उनको 38 लाख रु0 की छात्र-वृत्ति न दी जाती। यदि वे छात्र-वृत्ति सीधे ढंग से दे देते, तो यह तोड़-फोड़ की नौबत न आती। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी उन दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मैं फिर माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर वे निश्चित रूप से लिखकर देंगे, तो कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय खेर साहब जो इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके समय में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था। जो माननीय सदस्य यहां प्रश्न करते हैं, वे अपनी पूरी जानकारी के आधार पर करते हैं, जो कि एक प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाता है और उसी के आधार पर जांच शुरू हो जानी चाहिए। किसी माननीय सदस्य को लिखकर देने की जरूरत नहीं है। यह मान्यवर, खेर साहब के जमाने में ही तय हो गया था, चूंकि जो भी माननीय सदस्य ने कहा, वह प्रोसीडिंग का पार्ट बन गया।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न उठाया है कि लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है सदन में, और माननीय अध्यक्ष श्री खेर ने इस पर अपनी अभियुक्ति दी है कि सदन में जो बात पूछी जाय उसके आधार पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही कर सकते हैं, यह बात उचित है, लेकिन माननीय मंत्री जी का भी सिर्फ यह कहना है कि यदि कोई निश्चित रूप से सूचना उनको मिले तो अच्छा है। यह आपके लिखने पर नहीं है। सूचना केवल निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए आप लिखकर देंगे, तो अधिक उचित होगा वे इसे देखेंगे ही।

*5---श्री मित्रसेन---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

आलमबाग, लखनऊ में सिंचाई विभाग की कालोनी की बाउन्ड्री-वाल का निर्माण

*6---श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर में (भोला खेड़ा) आलमबाग मोहल्ले एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण की गयी कालोनी के मध्य 13 फीट जगह इसलिए छोड़ी गयी थी ताकि उसका उपरोक्त मुहल्ले व कालोनी के निवासियों की सुविधा के लिए सड़क बनाने के लिए उपयोग किया जा सके? क्या यह सही है कि अब सिंचाई विभाग उक्त सड़क के बीचो बीच दीवार खड़ी कर रहा है? क्या इस सम्बन्ध में उक्त मोहल्ले के निवासियों तथा भूतपूर्व विधायकों के अनेकों पत्र सितम्बर, 79 से जून, 1980 के बीच शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं। सड़क बनाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गयी थी।

सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा अपनी भूमि के हद में बाउन्ड्री-वाल बनाना आरम्भ किया गया था, जिस पर भोलाखेड़ा के निवासियों द्वारा आपत्ति की गयी तथा उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन दिये गये। प्रश्नगत अवधि में भूतपूर्व विधायकों का पत्र भी प्राप्त हुआ। वहां के निवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र विधान परिषद् की याचिका समिति को भी दिया तथा उक्त समिति ने आदेशों के फलस्वरूप फिलहाल बाउन्ड्री-वाल बनाने का कार्य स्थगित कर दिया गया है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या भोला खेड़ा के निवासियों ने कोई ऐसी दर्खास्त दी थी जिसमें उन्होंने 13 फुट जगह सड़क के लिये छोड़ने के लिये कहा था?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह वहां के निवासियों की मांग है, लेकिन जैसा मैंने बता दिया कि जो जमीन है, वह बाउन्डरी-वाल जहां बन रही है, वहां सड़क बनाने के लिये नहीं थी।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि भोला खेड़ा में जहां पर उन्होंने सिंचाई विभाग की कालोनी बनवाई है, उसमें 30 वर्ष पहले से वहां लोग रह रहे हैं और वहां घर बने हुए हैं, तो पहले से जो घर बने हुए हैं, उनके जो दरवाजे हैं और यह जो कालोनी बनी है, इसका जो पिछवाड़ा है, इसके बीच की जगह यह है, क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह इस प्रकार का नक्शा है ? इसके लिये वे क्या कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह मामला याचिका समिति ने स्थगित कर रखा है। उस पर विचार किया जा रहा है कि इस पर क्या किया जा सकता है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

याचिका समिति ने इसे कब तक के लिये स्थगित किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भोला खेड़ा और सुभाषनगर के लिये स्वतन्त्र रूप से रास्ता लखनऊ-कानपुर रोड से मौजूद है, लेकिन उसकी हालत बड़ी खराब है। जब तक महापालिका द्वारा उसको बना नहीं दिया जाता, तब तक के लिये स्थगित कर रखा है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

यह जो दीवार बननी शुरू हुई है, याचिका समिति ने जब स्थगित कर दिया है, उसके बाद बनना शुरू हुई है या उसके पूर्व शुरू हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उसके पूर्व बनना शुरू हुई है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि यह दीवार याचिका समिति ने जो स्थगन किया है, उसके बाद में बनना शुरू हुई है। इसकी मैं जानकारी देना चाहती हूं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्या जो जानकारी दे रही हैं, उसकी जानकारी कर ली जायेगी।

सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं का चुनाव

*7--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि मार्च, 80 में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को भी चुना गया है जिनके खिलाफ विजीलेन्स आदि की जांचें चल रही हैं ? यदि उपरोक्त तथ्य सही हैं तो सरकार क्या उपरोक्त चुनाव को रद्द करके नियमानुसार निष्पक्ष चुनाव कराकर ईमानदार व सही पात्रता वाले उम्मीदवार का चयन करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं (यांत्रिक) का एक चुनाव जनवरी, 1980 तथा फरवरी, 80 में हुआ था तथा कुछ ऐसे उम्मीदवारों का भी चुनाव हुआ है जिनके विरुद्ध केवल सतर्कता जांच चल रही है।

शासन के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत सतर्कता जांच पदोन्नति में बाधक नहीं होती है। अतः प्रश्नगत चयन को निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे और चुने गये, जो भी उम्मीदवार थे, उनमें कितने अधिकारी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ सतर्कता की जांच चल रही है? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब चुने गये अधिकारी के समान योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के अन्य उम्मीदवार मौजूद थे, तो सतर्कता वाले उम्मीदवार को क्यों चुना गया? क्या मंत्री जी की निगाहों में यह भी कोई क्वालीफिकेशन है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, कई लोगों के खिलाफ सतर्कता जांच चल रही थी। जो चनाव का आधार है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्ता को छोड़ते हुए यह चयन किया गया है। जो सीनियर लोग हैं, उनकी सारी इन्ट्री और रिकार्ड को देखकर किया गया है। जिनका रिकार्ड अच्छा था, उनको चुन लिया गया है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मेरा कहना है कि पुराने रिकार्ड को देखकर चुने गये? मेरी निश्चित जानकारी है और आरोप है कि अगर उनके पुराने रिकार्ड को देख लिया गया होता, तो जो लोग चुने गये, उनकी प्रविष्टि सबसे खराब थी और उनकी रिपोर्ट पिछले वर्ष मंगायी ही नहीं गयी। क्या छानवीन करायेंगे?.

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो रिपोर्ट है, सारी इंट्री देखकर जो मौजूद है, देखकर ऐसा किया गया है और चयन समिति ने देख कर इसको किया है।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के ऐसे नियम हैं कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो, दक्षता-रोक लगा दी जाती है, लेकिन जब एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति का मामला हो, तो ऐसे नियम क्यों नहीं बनाये जाते?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जिनके खिलाफ जांच होती है वह उनके प्रोमोशन में बाधक नहीं होता।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एडीशनल चीफ बनाये गये हैं क्या उनमें ऐसे भी हैं जिनका, एडवर्स इन्ट्री समाप्त नहीं हुई है और उनको एडीशनल चीफ बना दिया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसकी जानकारी नहीं है।

शारदा नहर, हरदोई जिले के हर्रई स्केप का क्षतिग्रस्त फाल

*8—श्री खान गुफरान जाहिदी (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता की लापरवाही के कारण वर्ष 1979–80 में हरदोई शाखा के मील 79–4 व 85–4 पर खादियों से 70 लाख रुपए व हर्रईस्केप के फाल बहने में 15 लाख रुपए की हानि हुई है? यदि हां, तो क्या अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करके दण्ड दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1979–80 में हरदोई शाखा के मील 79.4 एवं 85.4 पर कोई खांदी नहीं हुई।

हरैंई स्केप के दो फाल अक्तूबर, 1979 में क्षतिग्रस्त हो गए थे जिससे 2 लाख रुपये की हानि अनुमानित है। इन फालों के क्षतिग्रस्त होने के कारणों एवं उसके लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, जिसकी आख्या प्रतीक्षित है। समिति की रिपोर्ट पर विचारोपरांत यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे तो उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाएगा।

मोदी स्टेडियम, ग्रीन पार्क, कानपुर का निर्माण

*9—श्री हरीकिशन श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—

क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोदी स्टेडियम, ग्रीन पार्क, कानपुर में स्टेडियम का निर्माण कार्य धन के अभाव में रुक गया है? यदि हां, तो क्या शासन मोदी ट्रस्ट को अनुदान शीघ्र ही स्वीकृत करेगा जिससे अधूरा कार्य पूरा हो सके? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी, हां।

मामला शासन के विचाराधीन है।

*10—श्री राज किशोर राव—

[4 थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बस्ती जिले के ग्राम बेंवा हुसेन का नलकूप

*11—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील के ग्राम सभा देवा, विकास क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद बस्ती में राजकीय नलकूप पिछले 15 वर्षों से खराब पड़े हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उसके स्थान पर दूसरा नलकूप लगवाने की कृपा करेंगी? और कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील डुमरियागंज के विकास क्षेत्र डुमरियागंज में देवा नाम की कोई ग्राम सभा नहीं है। परन्तु विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम सभा तथा ग्राम बेवा हुसैन में राजकीय नलकूप संख्या–13 डुमरियागंज समूह वर्ष 1964–65 में फेल हो जाने के कारण शासन द्वारा दिनांक 17 मई, 68 को परित्याग किया जा चुका है। इसके स्थान पर दूसरा नलकूप नहीं लगाया जा रहा है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप है, उसका परित्याग कर दिया गया है, जिससे जितने गांव की सिंचाई होती थी उनको काफी परेशानी हो रही है, तो क्या जनहित में दूसरा नलकूप बगल के गांव में लगाने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस नलकूप का जो कमाण्ड एरिया था वह 799 एकड़ था। उसके बगल में दूसरा नलकूप लगा दिया गया है और उस पर सिंचाई हो रही है और जो माननीय सदस्य की भावना है, दूसरा नलकूप लगा दिया जायेगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

लटिया गांव उससे काफी दूर है। उसमें न तो कोई गूल है और न एक पानी से सिंचाई की गई है, तो क्या वहां नलकूप लगवा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो क्षेत्र बचता है, उस पर नलकूप लगा देंगे।

सुल्तानपुर जिले के पण्डेला ताल व दसऊपुर तालाब की ड्रेन का निर्माण

*12—श्री जैराज गौतम (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के अन्तर्गत तहसील कादीपुर के दो तालाबों (पण्डेला तालाब, दसऊपुर तालाब) में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसलें डूब जाती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

तहसील कादीपुर में पण्डेला ताल से लगभग 300 एकड़ तथा दसऊपुर ताल से लगभग 250 एकड़ कृषि क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है।

पण्डेला ताल से जल निकासी हेतु 4.00 किलोमीटर लम्बी ड्रेन निर्माणाधीन है। इसमें से 1.00 किलोमीटर लम्बाई में कार्य कराया जा चुका है। शेष भाग में निर्माण के काय के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

दसऊपुर ताल से जल निकासी हेतु बेहराभारी ड्रेन प्रस्तावित है, जिसका निर्माण वर्षा के उपरांत कराया जायेगा।

गोंडा जिले के कटहा व नकटी नाले से खेतों को क्षति

*13—श्री अकबाल हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोंडा के विकास खण्ड गैंसड़ी में कटहा तथा नकटी नाले ने अपना बहाव बदल दिया है और वे अब मैदानी क्षेत्र के उपजाऊ खेतों में बाढ़ में रेत लाकर खेतों की उपजाऊ शक्ति कम कर रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकने के लिए क्या कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जनपद गोंडा के गैसड़ी विकास खंड में कटहा एवं नकटी नाले बूढ़ी राप्ती नदी में मिलने से पूर्व विभिन्न शाखा में बहते हैं। इन शाखाओं का नियंत्रण तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शाखायें मैदानी क्षेत्र में बहती हैं, वहां पर रेत लाकर डालती हैं, जिसके कारण खेतों की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है ? इससे किसानों पर तथा इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह जो कहा गया है कि तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से यह साध्य नहीं है इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी इसको दिखलायेंगे और इनको नियंत्रण में लाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह नाले जितने हैं पहाड़ी नाले हैं। पहाड़ से आते हैं। ऊपर से ये मिट्टी और पत्थर लेकर नीचे आते हैं और मैदान में कई धाराओं में बहने लगते हैं, बूढ़ी राप्ती में मिलते हैं इन सबको देखते हुए इन पर नियंत्रण आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।

श्री अकबाल हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी क्षेत्र में जहां पर यह बहती है, वह पहाड़ से 20 किलोमीटर दूर की बात है, वहां पर बहाव कम हो जाता है। 20 साल पहले यह नियंत्रित रूप में बहती थीं, अब इसमें क्या तकनीकी दिक्कत है। क्या मन्त्री जी इसको पूर्व अवस्था में लाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं है। माननीय सदस्य की भावना है, तो उसको देखते हुए दिखवा लिया जायगा कि इस पर क्या कार्यवाही हो सकती है।

*14—श्री बलवीर सिंह—

[5 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जालौन जिले की चन्दरसी लिफ्ट नहर की सिंचाई क्षमता

*15—श्री शंकर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जालौन जनपद में चन्दरसी लिफ्ट नहर की सिंचाई क्षमता कितनी है ? क्या यह नहर पूरे कमाण्ड को आसानी से पानी दे देती है ? यदि नहीं, तो पूरे कमाण्ड में सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध कराने हेतु शासन की क्या योजना है? माननीय मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि पिछले वर्ष नहर किस तारीख से चालू की गयी तथा मशीनी खराबी के कारण इसकी सिंचाई क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चन्दरसी लिफ्ट नहर की सिंचाई क्षमता 20 क्यूसेक्स है। इस नहर का कृषि योग्य शुद्ध क्षेत्रफल 2068 एकड़ है जिसको यह नहर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है अतः किसानों को पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई अतिरिक्त योजना नहीं है।

पिछले वर्ष 1979–80 में कृषकों की मांग के अनुसार उक्त पम्प नहर 25–8–79 को फसल की सिंचाई हेतु चालू की गई थी। इस वर्ष मशीन की खराबी से पम्प नहर दिनांक 25–1–80 से 26–1–80, 29–1–80 से 30–1–80, 27–2–80 से 28–2–80 तथा 5–3–80 से 7–3–80 तक बंद रही। उक्त मशीन की खराबी के कारण सिंचाई क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि नहर कभी भी एक बार में तीन दिन से अधिक बन्द नहीं रही।

शाहजहांपुर कारागार से पराहू नामक कैदी की कथित रिहाई

*16—श्री रूपराम दिनकर (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर कारागार में दिनांक 5 जुलाई, 1980 को पराहू नाम का हवालाती बिना अदालती आदेश के छोड़ दिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त हवालाती का रिहाई आदेश अदालत के माध्यम से 13 जुलाई, 1980 को कारागार में प्राप्त हुआ ? उक्त आदेश पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी नहीं। पराहू नाम का कोई हवालाती जिला कारागार शाहजहांपुर से दिनांक 5–7–80 को रिहा नहीं हुआ था। उक्त व्यक्ति का कोई रिहाई आदेश अदालत के माध्यम से दिनांक 13–7–80 को कारागार में प्राप्त नहीं हुआ। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बदलापुर ब्लाक, जिला जौनपुर के अन्तर्गत राजकीय नलकूप

*17—श्री जंग बहादुर—

क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद जौनपुर के बदलापुर ब्लाक में कोई भी राजकीय ट्यूबवेल नहीं है और न नहर से ही सिंचाई की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी किसानों को पानी देने के लिए राजकीय ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के बदलापुर ब्लाक में केवल एक राजकीय नलकूप 55एस0 सरोखनपुर वर्ष 1975–76 से कार्यरत है, जिसका पानी खारा है। जनपद जौनपुर के बदलापुर ब्लाक में शारदा सहायक नहर प्रणाली एवं सोनोरा लिफ्ट पम्प नहर द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त है।

क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त है अतएव राजकीय नलकूप लगाना सम्भव नहीं है।

श्री जंग बहादुर—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विश्वास करते हुए कि यह नहर जिसका जिक्र किया गया है, इसमें प्रतापगढ़ से भीमपुर रजबहा तक बदलापुर के पास से एक शाखा निकाली गयी है, जिसमें 8 वर्षों से एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। दूसरे लिफ्ट योजना का जिक्र किया, लिफ्ट से जो नहर निकाली गयी है, उसका सारा पानी फैलता जा रहा है, जिससे काफी घर गिरे हैं और काफी खेती बरबाद हो गयी है इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बदलापुर ब्लाक में एक ट्यूबवेल बनाया गया था, इसके अतिरिक्त और ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री जी इसको दिखला कर और ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बीर बहादुर सिंह—

यह बदलापुर ब्लाक क्षेत्र 40,180 एकड़ का है। नहर और ट्यूबवेल से जो व्यवस्था की गयी है, उससे 30,657 एकड़ का एरिया कवर किया जा चुका है। ट्यूबवेल जो वहां लगाया गया है, वह खारा पानी देता है। काफी नीचे ट्यूबवेल लगाया गया है तब भी सफल नहीं हुआ। खारा पानी निकलता है और खारापानी खेती के लिए ठीक नहीं होता। अगर खारा पानी न होता, तो लगा दिया गया होता।

श्री जंगबहादुर—

वहां 25 लघु ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई गयी थी जिसका सर्वे किया जा चुका है। क्या उसे पूरा करने की कृपा करेंगे?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की जरूरत है।

सीतापुर नगर की सरायन नदी की बाढ़ सुरक्षा योजना

*18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए सरायन नदी पर बन्धा बनाने तथा पानी का रास्ता आदि बदलने के बारे में कोई बाढ़ नियन्त्रण योजना इस समय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसको स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीतापुर नगर को सरायन नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें नदी के दोनों किनारों पर बंधों का निर्माण व संकरे पुलों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है । तकनीकी सलाहकार समिति की सहमति एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी करने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित योजना का सर्वेक्षण कब से प्रारम्भ हुआ और सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ कि नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, सर्वेक्षण का काम चल रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कब से चल रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। वैसे सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण का काम कब से प्रारम्भ हुआ और आज योजना किस स्टेज पर है ? अगर कब से की बात नहीं आयेगी तो मेरा मतलब नहीं पूरा होगा क्योंकि उसी आधार पर मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि सर्वेक्षण चल रहा है। कोशिश की जायेगी कि जल्दी सर्वेक्षण हो जाय।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

अगर नहीं बता सकते, तो स्पष्ट कह दें । लेकिन पहले तो चिन्ता की बात यह है कि मंत्री जी तैयार होकर नहीं आते या इनके सचिव पूरी जानकारी नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं कि टेकनिकल योजना किस स्टेज पर है । अगर स्टेज की जानकारी नहीं होगी, तो हम आगे प्रश्न कैसे कर सकेंगे ? मान्यवर, एक प्रश्न के पूछने में 400/500 रुपये खर्च होते हैं । अब इस तरह से होगा, तो कैसे होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि यह किस स्टेज पर है ? कब पूरी हो जायगी ? अगर मान्यवर, माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि सर्वेक्षण हो रहा है । उसमें बहुत से काम ऐसे हैं, जो हो चुके हैं और बहुत से सर्वेक्षण के काम ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं। मान्यवर, जो प्रस्तावित है, उसमें 9-7 किलोमीटर बांध बनाया जायगा । एक रेगुलेटर बनाया जायगा और तीन और पुल के कार्य ठीक किये जायेंगे । इसमें लागत 3.15 करोड़ रुपये की है और इसको करने में तकनीकी सलाहकार कमेटी जब तक स्वीकृति नहीं देती तब तक वह सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मामले को और गोल कर दिया । पहले कहा कि सर्वेक्षण हो रहा है । अब उनकी बात से स्पष्ट हो गया कि सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है क्योंकि उन्होंने यहां तक बता दिया कि इतने रुपये की लागत है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की नियत पर शंका नहीं करता कि वह गलत बयानी कर रहे हैं । लेकिन मेरे मन की शंका का समाधान होना चाहिये कि यह स्कीम किस स्टेज पर है ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि टेक्निकल राय ली जायेगी । दूसरी तरफ उनकी बात से स्पष्ट होता है कि स्वीकृत सबमिट कर दी गयी है, तो मान्यवर, पूरी बात नहीं आ रही । जब लिखित पूरक प्रश्न करेंगे तो समय लगेगा । मान्यवर, मेरा संरक्षण करें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य को शंका है, तो उसके बारे में कहना चाहता हूं कि सर्वेक्षण का काम चल रहा है । मान्यवर, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनमें नयी-नयी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं टेक्निकल कमेटी कहती है कि यह कमी रह गयी । उसके लिये काम होता रहता है । जब टेक्निकल सलाहकार समिति स्वीकृति देगी, गंगा बाढ और प्लानिंग कमीशन स्वीकृति देगा, तो योजना बनायी जायेगी । आखिर नियमानुसार हो तो काम होगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 7 वर्ष पूर्वसे सीतापुर जिले के बाढ़ नियंत्रण योजना के बारे में चर्चा चल रही है। माननीय मंत्री जी से मैं जाना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो बता दिया ?

श्री मुख्तार अनीस--

लेकिन कब से प्रारम्भ हुआ, यह नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन उसके ऊपर प्रश्न तो हो गया ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जो बाढ़ आयी उसको रोकने के बारे में कहा कि नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी है । तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वह कौनसी नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है और उसके निराकरण के लिये क्या रास्ता निकाला है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरी भावनाओं को नहीं समझे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके बारे में बहुत सी बातों के बारे में जानकारी करने की जरूरत होती है और उसके टेक्निकल ऐडवाइजरी कमेटी तमाम जानकारियां खोजती रहती है ताकि स्वीकृति दे । अब उसमें कोई बात रह गयी है तो उसके लिये जानकारी कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह ऐसी योजना है जो दीर्घकालीन योजना मालूम देती है। लेकिन इस बात को देखते हुये कि सीतापुर जिले में हर साल बाढ़ आती है इस बार तो ऐसी बाढ़ आयी कि आधा शहर बिल्कुल बरबाद हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि कोई तात्कालिक योजना है जिसे बना करके बाढ़ से होने वाली विभीषिका को बचाया जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब तक यह योजना सही ढंग से बनायी नहीं जायगी तब तक लाभ नहीं होगा यह आसान योजना नहीं है लखनऊ में जो किया गया है उसी तरह से वहां पर करना होगा। ऐसा न हो कि काम जल्दी में करके धन का नुकसान किया जाय।

अमरहट पम्प नहर परियोजना के निर्माण से संबंधित सत्याग्रहियों का पत्र

*19--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 जुलाई, 1974 को सरकार की ओर से उप सचिव, सिंचाई विभाग ने सत्याग्रहियों की ओर से मिलने वाले प्रतिनिधि मण्डल के विधायकों श्री रणवीर सिंह व श्री रामपाल सिंह यादव के पत्र के उत्तर में उसी दिन यह उत्तर पत्र द्वारा दिया था कि अमरहट पम्प कैनाल दो चरणों में बनाई जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो दूसरा चरण बनाना सरकार कब से प्रारम्भ करेगी और उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अमरहट पम्प नहर परियोजना 50 क्यूसेक क्षमता के लिये स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है। इसकी क्षमता बढ़ाने की कोई परियोजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

सत्याग्राहियों की ओर से 31 जुलाई, 1974 में प्राप्त प्रतिवेदन या इस संबंध में उन्हें कथित उत्तर की सूचना उपलब्ध नहीं हो रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी ने कहा कि सत्याग्रहियों की ओर से पत्र की उनको सूचना नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से उप सचिव, सिंचाई विभाग तथा भूतपूर्व सिंचाई मंत्री के दस्तखत से एक पत्र आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि द्वितीय चरण के अन्तर्गत यमुना नदी में जल की उपलब्धता के अनुसार पानी पंप करके रसाधन सिकन्दरा और अलीपुर के मुहान्ड से ऊपर भोगनीपुर शाखा में उपयुक्त स्थान पर डालने की उचित योजना बनायी जायगी, तो जो वचन मंत्री जी ने 74 में दिया था, उसका सरकार पालन करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो रिपोर्ट आयी है, यमुना नदी में पानी कम है और इसी कारण यह जो बनाने की बात थी, वह संभव नहीं हो पा रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, अभी तो मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास कोई पत्र नहीं मिला है और अब कह रहे हैं कि यमुना में पानी नहीं है, तो कौन सा उत्तर सही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने पत्र के बारे में कहा था कि वह नहीं मिल रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मंत्री जी का 74 का पत्र है, उसकी फोटो स्टेट कापी भी आपके पास भेजी जाय, तो उसकी सूचना को सही मानकर उसका पालन करेंगे और उस वक्त जो मंत्री जी ने वचन दिया था, उससे मुकरने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, यमुना नदी में पानी कम है । 50 क्युसेक की पम्प कैनाल बनायी जा रही है । माननीय सदस्य जो कहते हैं उसको दिखवा लिया जायगा । अभी जो सूचना है उसके अनुसार यमुना नदी में पानी कम है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या मंत्री जी इस पत्र को ध्यान में रखते हुये कि तब भी पानी उपलब्ध था और पानी की उपलब्धता को देखते हुये द्वितीय चरण का सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

माननीय सदस्य अगर कोई पत्र लिखेंगे या उसकी कापी देंगे, तो हम उसकी जानकारी करा लेंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मैं अर्ध शासकीय पत्र का नम्बर आपको बताये देता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप उसकी कापी दे दीजियेगा । अब 12 बज चुके हैं, मैं अब नत्थी (ग) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लेता हूं ।

*20---श्री भानु प्रताप सिंह---

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला जेल, वाराणसी में बागपत कांड के आन्दोलनकारी बंदियों पर लाठी चार्ज

**1---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में ही वाराणसी स्थित जिला अथवा केन्द्रीय कारागार में बागपत काण्ड से सम्बन्धित सत्याग्रही बन्दियों पर लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी---

दिनांक 11-7-1980 को जिला जेल वाराणसी में 32 लोकदल आन्दोलनकारी सायं देर से भर्ती हुये थे । भोजन की व्यवस्था के मामले को लेकर आन्दोलनकारियों ने अभद्र व्यवहार तथा शान्ति भंग किया । उन्हें नियंत्रित करने के लिये साधारण बल प्रयोग किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सत्याग्रही जेल में बन्द थे, उन्होंने जेल के अधिकारियों से क्या शिकायत किया था, जिस पर उनको लाठियों से मारा गया । वह शिकायत क्या है और उसके बारे में क्या कोई जांच करायी गयी है ?

नोट:-तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हो गया ।

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, लोकदल के जो आन्दोलनकारी थे उन्होंने अनुशासनहीनता का व्यवहार किया और इसलिये साधारण बल का प्रयोग किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसको आप देखें तो उसमें यह है कि जिला जेल, वाराणसी में 32 लोकदल आन्दोलनकारी सायं देर से भर्ती हुये थे। भोजन की व्यवस्था के मामले को लेकर अन्दोलनकारियों ने अभद्र व्यवहार किया, तो मैं उत्तर से पूछ रहा हूं कि स्पष्ट है कि आन्दोलनकारियों ने शिकायत किया था, तो वह शिकायत क्या है मैं यह जानना चाहता हूं। लेकिन मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि अभद्र व्यवहार किया, जिस पर साधारण बल का प्रयोग किया गया। मेरी जानकारी है कि सत्याग्राहियों ने जेल अधिकारियों से शिकायत किया था कि भोजन जेल मैनुअल के अनुसार हमको नहीं मिल रहा है, भोजन खराब है और उसमें कीड़े पड़े हैं। शिकायत करने पर उनको लाठियों से मारा गया है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उनकी शिकायत क्या थी ?

श्री छेदालाल चौधरी--

मान्यवर, जहां तक जानकारी है कि उन आन्दोलनकारियों ने जो जेल में बन्द होने के बाद विलम्ब से जेल में भर्ती हुये थे, गोदाम बन्द हो चुके थे, इसलिये भोजन की व्यवस्था करने में स्वाभाविक है कि विलम्ब हो, इसलिये आन्दोलनकारियों ने कारागार कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गालियां दीं। बन्दी रक्षकों को गालियां दी और उन पर आक्रमणकारी हमला किया इसलिये अनुशासनहीनता की नौबत आयी, जिसको यदि नियंत्रित न किया गया होता, तो भयंकर घटना घटी होती।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर निहायत गलत है। आप पत्रावली देख लें। झगड़ा जेल जाने के तीसरे दिन का है जबकि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि विलम्ब से आये थे, इसलिये झगड़ा हुआ। इसलिये मान्यवर, आप स्पष्ट उत्तर मंत्री जी से दिलायें कि पहले मैंने पूछा था कि शिकायत क्या है जिसको मंत्री जी ने नहीं बताया। दूसरी जानकारी मैं दे रहा हूं कि झगड़ा जेल में जाने के तीसरे दिन का है जबकि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि आन्दोलनकारी जेल बिलम्ब से पहुंचे इसलिये झगड़ा भोजन के मामले को लेकर हुआ।

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर को देखें जिसमें दिया है कि 11-7-80 को जिला जेल वाराणसी में 32 लोकदल आन्दोलनकारी सायं देर से भरती हुए और भोजन की व्यवस्था को लेकर आन्दोलनकारियों ने अभद्र व्यवहार किया। उन्हें नियंत्रित करने के लिए साधारण बल प्रयोग किया गया। आपका कहना है कि उसके एक दिन पहले वह भरती हुए थे तो पहले यह स्पष्ट करलें कि क्या झगड़ा है और किस दिन की बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, भोजन के मामले में झगड़ा हुआ था तो जेल बंदियों ने शिकायत किया था। वह लिखित है। शिकायत यह थी कि भोजन जो मिल रहा है वह ठीक नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो शिकायत किया था उसकी कोई जांच करायी गयी है क्या ?

श्री अध्यक्ष--

पहला प्रश्न था कि उसी दिन नहीं भर्ती हुये थे। आप भी इसमें संतुष्ट है। अब मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसी दिन की क्या शिकायत थी। अगर आप को मालूम हो, उन आन्दोलनकारियों की क्या शिकायत थी जिन पर लाठी चार्ज हुआ तो बतादें।

श्री छेदा लाल चौधरी--

शिकायत थी कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और हमला किया । हमला करने की वजह से नियत्रण से बाहर हुए तो (व्यवधान) मान्यवर, बंदियों की तरफ से हमला करने की, गाली देने की और उत्तेजित करने की शिकायत थी और सामूहिक हमला करने की शिकायत थी ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

अध्यक्ष महोदय, समय हो चुका है (व्यवधान) ।

श्री रियासत हुसैन--

11 तारीख को दाखिल हुए थे जो सत्याग्रही तो उनके अलावा जो जेल अन्दर के थे पहले बन्द थे क्या उन की तरफ से कोई शिकायत प्राप्त हुई कि उनका राशन प्रबन्ध ठीक नहीं है खाना उचित नहीं मिला या अन्य मामलों के बारे में कोई शिकायत है । उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई और क्या उसी शिकायत के विरोध में कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

आप के माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है मंत्री जी के माध्यम से कि सत्याग्रहियों ने उसी दिन प्रवेश किया उसके तीन दिन पहले लाठी चार्ज किया गया । हाउस को यह बताया गया कि प्रवेश के दिन ही उनके अभद्र व्यवहार अनुशासनहीनता से उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। इसकी जांच करा कर क्या उन अधिकारियों को मंत्री जी सजा देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, उसमें मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करा ली गयी है लेकिन मैजिस्ट्रेट की जांच के परिणाम से यह मालूम हुआ है कि आन्दोलनकारियों ने अभद्रता और अनुशासनहीनता की ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

अध्यक्ष जी, जो हमने प्रश्न किया उसका जवाब नहीं आया । जो इस समय हाउस को गुमराह किया जा रहा है जैसा कि माननीय गुप्ता जी को जवाब दिया गया है क्या माननीय मंत्री जी जांच करा कर उन अधिकारियों को सजा देने की व्यवस्था करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उन्होंने उत्तर दे दिया । उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में ही वाराणसी स्थित जिला अथवा केंद्रीय कारागार में बागपत कांड से संबंधित सत्याग्रही बंदियों पर लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उसका उत्तर उन्होंने दिया । उन्होंने हाल ही ले के बारे में बताया कि 11-7-80 को लाठी चार्ज किया गया बताया कि भोजन के मामले को लेकर किया गया । अब आप यह बता रहे हैं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

लिखित उत्तर से ही संदेह पैदा हो गया । इसलिये हाउस के और आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करा लें और उसके बाद सही रिपोर्ट हाउस को दे कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ.....

श्री अध्यक्ष--

किस आधार पर जांच करा लें ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट से इनक्वायरी करायी और मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी में कहा गया है कि उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, तो अभद्र व्यवहार करने का क्या कारण था ? झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात क्या माननीय मंत्री जी अपने सोर्स से दूसरी बार इनक्वायरी करा कर विस्तृत रूप से बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

बहुत ज्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता जितना हो गया, काफी है ।

पर्वतीय विकास परिषद् का पनर्गठन

**2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् जिसके वे स्वयं ही अध्यक्ष हैं, को समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

पर्वतीय विकास परिषद् राष्ट्रपति शासन काल में विघटित कर दी गई थी । उसके पुर्नगठन की कार्यवाही की जा रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर बड़ा हास्यास्पद सा दिया है । जैसे ही हाउस डिजाल्व होता है या राष्ट्रपति शासन होता है तो इस प्रकार की समितियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं । लेकिन जैसे ही नयी सरकार आती है नयी सरकार का गठन होता है तत्काल इसी प्रकार की जो भी समितियां या परिषदें होती हैं उनका भी गठन हो जाता है तीन महीने का समय बीत गया है क्या कारण है कि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है ! क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इसका गठन कर देंगे?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, इस बजट सत्र की समाप्ति से पूर्व कर दिया जायगा । कार्यवाही हो रही है । बहुत जल्द हो जायगा । लेकिन बजट सत्र की समाप्ति से पूर्व निश्चित रूप से इसका गठन हो जायगा ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय मंत्री कहते हैं इस सत्र के समाप्त होते ही पर्वतीय विकास परिषद का गठन कर दिया जायगा । मैं पूछना चाहता हूं, कि क्या इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है कि पर्वतीय विकास परिषद् एक निश्चित कार्य के लिए बनायी गयी थी । अगर उस पर्वतीय विकास परिषद् का इस बजट सत्र में पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता तो बजट के समय में कई प्रकार की अनियमिततायें आ जायेंगी?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मैंने, मान्यवर, निश्चित रूप से पूछा था इसलिये निश्चित कह दिया कि बजट सत्र की समाप्ति से पूर्व गठन कर दिया जायगा । पहले भी किया जा सकता है । पर्वतीय विकास का बजट आखिर में आने वाला है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

अभी माननीय मुख्य मंत्री का बयान छपा था कि उन्होंने पर्वतीय विकास के बारे में पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों से विचार विमर्श किया था ? क्या वह बताने का कष्ट करेंगे कि उस विचार विमर्श में कौन-कौन से विधायक मौजूद थे ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

यद्यपि इस संदर्भ में नहीं है फिर भी स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो हमारे दल के नेता भी हैं डिवीजनवाइज पार्टी मीटिंग की उन्होंने शुरुआत की उस संदर्भ में मीटिंग बुलायी गयी थी । इस परिषद के गठन के बाद सभी विधायकगण आमंत्रित किये जायेंगे शीघ्रातिशीघ्र किये जायेंगे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

गैर कांग्रेसी पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को नहीं बुलाया गया था कांग्रेसी विधायकों और अधिकारियों को बुलाया था । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी संसदीय परम्परा अपना रहे हैं ? प्रेस को नहीं बताया कि गैर कांग्रेसी विधायकों को नहीं बुलाया गया था । क्या आपने प्रेस को बताया था कि केवल पर्वतीय क्षेत्र के कांग्रेसी विधायकों को बुलाया है ? लेकिन आप अधिकारियों को हमारी पीठ पर नहीं बुलायेंगे ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस परम्परा को तोड़ रहे हैं । जो पहले की परम्परा थी, जो पहले की सरकारों ने किया था क्या उन्होंने भी विरोधी दल के सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया था अगर शामिल नहीं किया था तब तो ठीक है । अगर किया था तो हम आशा करते थे हमारे मुख्य मंत्री जी अच्छे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं आपका प्रश्न हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

वह ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे ।

अगर उच्चाधिकारियों को बुलाया गया था तो गैर कांग्रेसी विधायकों को भी बुलाना चाहिये था । अगर पार्टी मीटिंग थी तो उच्चाधिकारियों को नहीं बुलाना चाहिये था । मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दें क्योंकि पर्वतीय विकास परिषद् के चेयरमैन हैं ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

सब लोगों को शामिल किया जायगा पर्वतीय विकास परिषद् में चाहे वे किसी भी दल के हों ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग किस लिये माननीय मंत्री करना चाहते हैं जब कि बजट में सभी अनुदानें रखी जा चुकी हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

पर्वतीय विकास परिषद् के चेयरमैन मुख्य मंत्री हैं और उन्होंने उसकी बैठक बुलाई है तो वही इस पर प्रकाश डालें कि कांग्रेसी विधायकों को ही बुलाया गया है या विरोधियों को भी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

माननीय सदस्य की धारणा निर्मूल है। यह बैठक कांग्रेस विधान मंडल की ओर से बुलाई गयी थी हमने बुलाई थी ।

(डाक्टर शिवानन्द नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् की जो बैठक . . . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें । मैंने डाक्टर नौटियाल को पुकार लिया है ।

श्री यदुनाथ—

आप तो मान्यवर, हमें कभी समय नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष—

यह आरोप है । आप निश्चित रूप से बैठ जायं । कृपया आप इसका ध्यान रखें कि ऐसा कहना असंसदीय है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी आज यहां विराजमान हैं। मैंने मुख्य रूप से इसीलिये यह प्रश्न किया था क्योंकि पर्वतीय विकास परिषद् के अध्यक्ष मुख्य मंत्री होते हैं। पर्वतीय विकास परिषद् का गठन इस रूप से हुआ है कि कैबिनेट को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मंत्री में सारे के सारे अधिकार निहित हैं। पर्वतीय क्षेत्र का वार्षिक बजट पेश हो चुका है और छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है और हमारे माननीय राज्यमंत्री जी ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जो चार-चार साल की योजनायें हैं उनको बन्द करवाने पर लगे हुए हैं जैसे कर्णप्रयाग में आई० टी० आई० के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी है । इसका तात्पर्य यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी विशेषरूप से हमेशा चाहे किसी की सरकार रही है पहल करके पर्वतीय अंचल की विशेषताओं को देखते हुए बैठक करवाई है । सौभाग्य से वे इस समय उपस्थित भी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वे अविलम्ब पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की मीटिंग अपने कमरे में कब तक बुलायेंगे और कब तक इसका गठन कर देंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह बैठक शीघ्र ही बुलाई जायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

उन्नाव जिले के ग्राम रहमतपुर के बसहा नाले पर पुल निर्माण की मांग

1—श्री सच्चिदानन्द—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 10 फरवरी, 1977 को शासन ने मुख्य अभियंता सिंचाई को उन्नाव जनपद में रहमतपुर ग्राम में बसहा नाले में स्थायी पुल निर्माण हेतु सिंचाई-6 अनुभाग के अ०शा० पत्र संख्या 2713-एफ/77—23 सि—6 दिनांक 5—5-77 द्वारा आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत पुल के निर्माण का कार्य शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस पर कार्य वर्षाकाल के बाद आरम्भ करने की संभावना है।

गंगोत्री एवं खर्तालिग से टिहरी बांध तक सिल्ट के बहाव की दर

2—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगोत्री से टिहरी बांध स्थल तक भागीरथी नदी में तथा खर्तालिग से टिहरी बांध स्थल तक भीलंगना नदी में गाद (सिल्ट) के बहाव की दर सन् 1970 से अब तक प्रति वर्ष क्या रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गंगोत्री से टिहरी बांध स्थल तक भागीरथी नदी तथा खर्तालिग से टिहरी बांध स्थल तक भिलंगना नदीं में सिल्ट के बहाव की दर का डेटा अलग-अलग उपलब्ध नहीं है। सिल्ट की डेल्टा माप में गंगा डिस्चार्ज खंड देहरादून (केन्द्रीय शासन का कार्यालय) द्वारा भागीरथी भिलंगना नदी के संगम से नीचे टिहरी शहर को जाने वाले स्टील गर्डर पुल पर की जाती है। वहां से डेटा प्राप्त किया गया है जिसकी सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	वर्ष	कुल सिल्ट की मात्रा प्रतिवर्ष (लाख टन में)		विवरण
1	2	3		4
1	1970		..	उपलब्ध नहीं है।
2	1971		..	उपलब्ध नहीं है।
3	1972	75	लगभग ,,	20-6-72 से 31-12-72 तक (20-6-72 से पूर्व का उपलब्ध नहीं है)
4	1973	260	,,	..
5	1974	70	,,	..
6	1975	70	,,	..
7	1976	100	,,	..
8	1977	190	,,	..
9	1978	390	,,	..
10	1979	220	,,	1/79 से 8/79 तक (9/79 से उपलब्ध नहीं है)
11	1980	..		उपलब्ध नहीं है।

टिहरी बांध परियोजना में टिहरी जिले के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

3—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना संगठन में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कुल कर्मचारियों की संख्या इस समय क्या है तथा उनमें से टिहरी जनपद के निवासियों की संख्या कितनी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध परियोजना में इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या 386 है, इनमें टिहरी जनपद के निवासियों की संख्या 270 है।

उरई नगर, कोतवाली में बन्द किया गया रिग्स खंड का ट्रक

4—श्री शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जालौन जनपद की उरई नगर कोतवाली (पुलिस स्टेशन) में लिफ्ट सिंचाई विभाग के रिग्स सम्भाग (रिग्स डिवीजन) का ट्रक कितने दिन तक इस वर्ष बन्द रहा था उसके क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जालौन के उरई नगर कोतवाली में रिग्स खंड, उरई का ट्रक दिनांक 10—3—80 से दिनांक 29—6—80 तक बन्द रहा क्योंकि यह ट्रक एक अवर अभियंता एवं अन्य कर्मचारियों सहित 260 लीटर डीजल के गबन के आरोप में पकड़ा गया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जालौन जिले में नलकूपों का छिद्रण

5—श्री शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में सन् 1979—80 में कितने सरकारी नलकूप बोर किये गये ? इन बोर किये गये नलकूपों में कितने स्टेट प्लान के थे तथा कितने डी0पी0ए0पी0के अन्तर्गत थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1979—80 में जनपद जालौन में 58 (अट्ठावन, राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया गया। यह समस्त नलकूप स्टेट प्लान के अन्तर्गत हैं। डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत किसी भी राजकीय नलकूप का छिद्रण नहीं किया गया है।

आगरा जिले के ग्राम सामरा व दाऊदपुर के नलकूपों का विद्युतीकरण

6—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम सामरा व दाऊदपुर में लगे राजकीय नलकूपों को अभी तक बिजली नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? इन नलकूपों को कब तक बिजली दे दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, जनपद आगरा के विकास खंड फतेहपुर सीकरी के ग्राम सामरा व दाऊदपुर में लगे राजकीय नलकूप संख्या 1, 2 तथा 3 किरावती समूह का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। राजकीय नलकूप संख्या 1 तथा 2 से वी0एण्ड एल0 फार्म 2/80 में एवम् राजकीय नलकूप संख्या 3 का वी0 एण्ड एल0 फार्म 12/79 में राज्य विद्युत परिषद् को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

7—श्री मोहन सिंह—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता श्री बी0पी0 सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

8--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-3-80 को एक शिकायती पत्र अधिशासी अभियंता नलकूप खंड, शाहजहांपुर श्री बी0पी0सिंह के विरुद्ध सचिव, सिंचाई विभाग एवं उसकी एक प्रति गृह सचिव सतर्कता को दी गयी उन शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, सचिव सिंचाई को प्राप्त शिकायती-पत्र प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ सिंचाई विभाग से जांच कराई जा रही है। सतर्कता विभाग में प्राप्त शिकायती-पत्र उक्त विभाग में विचाराधीन है।

चमोली जिले के जोशीमठ-गोरसों रोपवे के निर्माण का प्रस्ताव

9--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में जोशीमठ हेलंग रोपवेज के निर्माण के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और कब तक इस रोडवेज के बन जाने की आशा है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जोशीमठ हेलेंग रोपवे की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। चमोली जिले की केवल जोशीमठ-गोरसों रोपवे की स्थापना के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। आशा है इन प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री बद्री नाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का गठन

10--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेंद्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का वर्तमान गठन किस तिथि को किया गया है? इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है तथा कौन-कौन इसके सदस्य नामांकित किये गये हैं और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का गठन दिनांक 29 अप्रैल, 1980 को किया गया है। समिति के चेयरमैन श्री सी0पी0एन0 सिंह, 2 हैले रोड, नई दिल्ली है एवं इसके निम्नलिखित सदस्य नामांकित किये गये हैं:--

(1) श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद, 119/270 ठाकुर माना सिंह मार्ग, दर्शन पुरवा, कानपुर।

(2) श्री गोविन्द प्रसाद नौटियाल, ग्राम और डाकघर नन्द प्रयाग, जिला चमोली।

(3) श्री श्रीधर पंडा ग्राम मुखवा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तर काशी।

(4) डा0 जे0डी0शुक्ला, बटलर रोड, लखनऊ।

(5) श्री रामानन्द सिंह, एडवोकेट सीतामढी, बिहार।

(6) पंडित शिव शर्मा, बहारिस्थान 9 ए0, बामनजी पैटिस रोड, कम्बाला हिल, बम्बई-36

(7) श्री दल बहादुर सिंह, रायबरेली।

(8) श्री धनीराम जैसवाल, सदस्य विधान परिषद्, रायबरेली।

उपरोक्त क्रम संख्या–6 में उल्लिखित पंडित शिव शर्मा के निधन के फलस्वरूप श्री सी० एस०, रामचन्द्रन, 29-बी० भारतीय नगर, नई दिल्ली को दिनांक 30–5–1980 से समिति का सदस्य बनाया गया ।

"उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939" की धारा 8 के अन्तर्गत समिति के चेयरमैन तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है ।

आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी ब्रांच में माइनर निर्माण की मांग

11—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में फतेहपुर सीकरी ब्रांच के मील नं० 26 दांई पटरी पर 8 क्यूसेक डिसचार्ज की एक छोटी माइनर खुदवाने का आदेश 5–2–80 को तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो अभी तक वह माइनर क्यों नहीं खोदी गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बस्ती जिले के विकास खंड रुधौली एवं सांथा में नलकूप निर्माण

12—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खंड रुधौली तथा सांथा में कितने राजकीय नलकूप 30 जून, 80 तक बोर हो चुके हैं परन्तु अभी तक उनसे सिंचाई कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? इनकी बोरिंग कब हुई और अभी तक उनसे सिंचाई कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली तथा सांथा में 30 जून, 1980 तक बोर किये गये 33 राजकीय नलकूपों में से 7 नलकूपों पर सिंचाई कार्य अभी तक सीमेन्ट व पम्प सेटों की कमी के कारण आरम्भ नहीं हुआ है ।

उक्त नलकूपों की बोरिंग उनके समक्ष अंकित महीनों में हुई है:—

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या	ग्रुप	विकास खण्ड	बोरिंग की तिथि
1	नलकूप संख्या 58	बांसी समूह	रुधौली	3–80
2	नलकूप संख्या 63	,,	,,	6–80
3	नलकूप संख्या 53	,,	सांथा	11–78
4	नलकूप संख्या 56	,,	,,	3–79
5	नलकूप संख्या 57	,,	,,	3–79
6	नलकूप संख्या 59	,,	,,	3–80
7	नलकूप संख्या 60	,,	,,	3–80

शारदा सहायक से सम्बद्ध किया गया केराकत राजबहा एवं चोलापुर माइनर से वाराणसी एवं जौनपुर में सिंचाई

13—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सागर की नहर केराकत वाराणसी में चोलापुर माइनर के नाम से जौनपुर जिले में तथा वाराणसी में चोलापुर माइनर के नाम से सन् 52 के बाद निकाली गयी थी? क्या यह सत्य है कि 12 वर्ष में शारदा सागर का पानी सिर्फ

एक बार ही गया था? जिसके कारण जौनपुर में टंडवा, भसा तथा एक और लिफ्ट कैनाल गोमती नदी में लाया गया था और उसने भी कमांड के मुताबिक कभी सिंचाई नहीं किया और वाराणसी जिले की नहरी क्षेत्र के कमांड से बाहर कर दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । वर्ष 1957–58 से 1968–69 की अवधि में पुरानी शारदा नहर प्रणाली का पानी एक वर्ष रबी तथा दो वर्ष खरीफ को छोड़कर प्रत्येक वर्ष चोलापुर माइनर को मिलता रहा ।

केराकत राजबहा की टेल रीच में पानी की कम उपलब्धता के कारण जनपद जौनपुर में टण्डवा व भैसा तथा जनपद वाराणसी में न्यारडीह पम्प नहर बनाई गई ।

यह सही है कि टण्डवा पम्प नहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्र से कम सिंचाई हो पाई क्योंकि पूर्ण क्षमता का ट्रांसफार्मर बिजली विभाग द्वारा नहीं लगाया गया ।

जनपद वाराणसी का नहरी क्षेत्र कमाण्ड से बाहर नहीं किया गया है ।

14—श्री ऊदल—

क्या मंत्री को पता है कि इधर चार वर्षों से उक्त शारदा सागर नहर केराकत माइनर को शारदा सहायक में ले लिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों, क्या यह सत्य है कि वाराणसी जिले का पिंडरा ब्लाक चोलापुर ब्लाक तथा जौनपुर का जलालपुर ब्लाक एवं थाना गच्छी ब्लाक एकदम टेल पर 500 किलोमीटर दूर हेड से है? यदि हां, तो लाखों रुपया खर्च रिमाडलिंग एवं नहरों माइनरों को बनाने में किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । केराकत माइनर को शारदा सहायक प्रणाली से आश्वासित जल उपलब्धि कराये जाने के कारण पुरानी शारदा प्रणाली से अलग कर शारदा सहायक से जोड़ा गया है ।

वाराणसी जनपद का पिंडरा ब्लाक चोलापुर ब्लाक एवं थाना गद्दी ब्लाक केराकत राजबहा के टेल पर है, जिसकी घाघरा बैराज के हेड से दूरी लगभग 50 कि0 मी0 है । केराकत राजबहा के कि0 मी0 32 से टेल तक के कमाण्ड की सिंचाई के लिये पंम्प नहरों से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न हो सकने के कारण उक्त राजबहे को शारदा सहायक प्रणाली से जोड़ा गया है ।

कथित रजबहे को शारदा सहायक से दोनों फसलों में आश्वासित जलपूर्ति करने हेतु रिमाडलिंग तथा नई नहरों के निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि नहरों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके ।

राज्य सड़क एवं परिवहन निगम के वर्कशाप में मरम्मत हेतु लम्बित बसें

15—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून और 16, जुलाई 1980 तक कुल कितनी बसें स्थानीय वर्कशापों में बेकार पड़ी हैं और किन पुर्जों के अभाव के कारण उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है जिसके फलस्वरूप सारी गाड़ियां प्रयोग में नहीं आ रही हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न वर्कशाप में मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये खड़ी गाड़ियों की संख्या जून, 1970 में 976 तथा 16 जुलाई, 1980 तक 994 थी । इस समय कलपुर्जों का अभाव है । मुख्य-मुख्य पुर्जों की तालिका संलग्न है, जिनके अभाव के कारण मरम्मत के कार्य में देरी होती है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 180 पर)

मेरठ व गाजियाबाद के बीच मध्य गंगा नहर का निर्माण एवं मुआवजे का भुगतान

16—श्री मन्जूर अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ व गाजियाबाद के मध्य गंगा नहर की खुदाई में जिन कृषकों की भूमि नहर में आ गयी है क्या उनको फसल का मुआवजा दिया गया है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जनपद मेरठ एवं गाजियाबाद में मध्यगंगा नहर निर्माण हेतु ली गई भूमि पर उस फसल का जो कि नहर की खुदाई करते समय खड़ी थी तथा फसल काटना आवश्यक था, का प्रतिकर नियमानुसार दिया गया किन्तु जिन कृषकों की फसल पक चुकी थी तथा उन्होंने काट ली थी, को कोई प्रतिकर नहीं दिया गया ।

सरजू नहर परियोजना एवं पम्प नहर का निर्माण

17—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में कार्य हो रहा है और कहां-कहां किन-किन नदियों पर पम्प नहर हाउस बनाया जा रहा है? अब तक उसकी क्या प्रगति है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत जनपद बहराइच, गोण्डा, बस्ती एवं गोरखपुर में कार्य हो रहा है । निम्नलिखित स्थानों पर पम्प नहरों हेतु पम्प हाउस प्रस्तावित है:—

1—डुमरियागंज पम्प नहर हेतु जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज के ग्राम भिटरिया के समीप राप्ती नदी के दाहिने तट पर ।

2—अयोध्या पम्प नहर हेतु जनपद बस्ती की तहसील हरैया में घाघरा नदी के बायें तट पर ।

3—उतरौला पम्प नहर हेतु जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उतरौला नगर के निकट राप्ती नदी के बायें तट पर ।

4—गोला पम्प नहर हेतु जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव के ग्राम बरानगर के निकट घाघरा नदी पर ।

उपरोक्त सभी पम्प हाउसों पर अभी निर्माण के प्रारम्भिक कार्य जैसे—सर्वेक्षण मृदा परीक्षण, परिकल्प, भूमि अध्याप्ति आदि किये जा रहे हैं ।

जौनपुर जिले के ग्राम बीरनपुर में गोमती नदी के तट पर बांध का निर्माण

18—श्री जंग बहादुर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में खुटहन विकास क्षेत्र के बीरनपुर ग्राम में गोमती नदी पर तट बांधने की कोई योजना सरकार की थी और क्या उसपर कार्य भी प्रारम्भ किया गया था ? क्या कुछ समय बाद यह कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस योजना के अन्तर्गत कटान रोकने के लिए 14 डैम्पनरों का निर्माण किया जाना स्वीकृत था जिसके अनुसार ही कार्य जून, 1979 तक पूर्ण कर दिया गया । कार्य रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

19—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

20—श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले के विकास खण्ड बनकटा, भाटपार रानी एवं भटनी में नलकूप का निर्माण

21—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ब्लाक बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी में कहां-कहां राजकीय नलकूप लगे हैं तथा इनका निर्माण किन-किन वर्षों में हुआ ? इन ब्लाकों में कौन-कौन सी ऐसी गांव सभायें हैं जिनमें राजकीय नलकूप नहीं हैं तथा कब तक इन गांवों में नलकूप लग जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया जनपद के बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी विकास खण्डों में क्रमशः 25, 24 एवं 28 नलकूप लगे हैं । इन विकास खण्डों में क्रमशः 45, 46 एवं 45 ग्राम सभाओं में राजकीय नलकूप नहीं है । इन समस्त नलकूपों के नाम, निर्माण का वर्ष तथा उन ग्राम-सभाओं के नाम जहां पर नलकूप नहीं लगे हैं, की सूची की एक-एक प्रति अध्यक्ष महोदय की मेज पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

इस वर्ष तथा आगामी वर्षों में साध्य (फिजिबिल) पाये जाने पर तथा जिला सिंचाई सलाहकार समिति से अनुमोदित होने पर, आवंटनानुसार राजकीय नलकूप लगाये जा सकेंगें ।

बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर चलने वाली बसें

22—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर प्रत्येक दिन कुल कितनी बसें डुमरियागंज से बस्ती आती-जाती हैं ? क्या यह सत्य है कि इनमें सभी बसें एकदम बेकार हो चुकी हैं और यह प्रत्येक दिन कहीं न कहीं खड़ी हो जाती हैं जिससे यात्रियों को भारी संकट का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती–डुमरियागंज मार्ग पर प्रत्येक दिन कुल 20 बसें डुमरियागंज से बस्ती आती जाती है । यह सही नहीं है, कि इस मार्ग पर चलने वाली बसें बेकार हो चुकी हैं । इन बसों की हालत अच्छी एवं संतोषजनक है ।

23—श्री चेतराम गंगवार—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

आदर्श कारागार, लखनऊ के कैदी, श्री जयपाल को रिहा किये जाने की मांग

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श कारागार, लखनऊ के विरुद्ध श्री जयपाल पुत्र श्री मथुरा, ग्राम सिकरोरिया, थाना अतरौली, जिला हरदोई ने दिनांक 2-10-65 से दिनांक 2–8–66 तक हवालाती के रूप में जिला जेल, लखनऊ में तथा 2–8–66 से अब तक कैदी के रुप में सजा काट चुका है और उसके साथ के सभी बन्दी रिहा किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो इसके रिहा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

बन्दी श्री जयपाल दिनांक 2–8–66 से भारतीय दंड विधान की धारा 396 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह दिनांक 3–10–65 से 1–[illegible]–66 तक विचाराधीन बंदी रहा। उसके सभी साथी जेल से मुक्त नहीं हुए हैं। उक्त बन्दी को मुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु उसे इस कारण मुक्त नहीं किया गया है क्योंकि उसने अभी 14 वर्ष की अपरिहार्य सजा पूरी नहीं की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433–ए के अन्तर्गत उक्त बन्दी को तब तक जेल से मुक्त करना कानूनन सम्भव नहीं है जब तक वह 14 वर्ष की अपरिहार्य सजा पूरी न कर ले।

देवरिया जिले में परिवहन निगम के वर्कशाप का निर्माण

25—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया परिवहन डिपो के नये कार्यशाला का नव निर्माण कब से शुरू हुआ? उसमें कितने रुपये खर्च हुए तथा कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया में परिवहन निगम की एक नई डिपो कार्यशाला हेतु प्रस्तावित भूमि पर वर्ष 1974–75 में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया था। कार्यशाला स्थापित करने हेतु प्रथम चरण में केवल आवश्यक निर्माण कार्य वर्ष 1976–77 में प्रारम्भ कराया गया था। यह कार्य जून, 1978 तक पूर्ण करा दिया गया था। प्रथम चरण के कार्यों के निर्माण काल में ही इस कार्यशाला के द्वितीय चरण हेतु कुछ अन्य भवनों के निर्माण कार्य भी स्वीकृत किये गये थे। अब तक स्वीकृत ऐसे समस्त कार्यों की निर्माण मार्च, 1981 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। इस कार्यशाला के निर्माण पर अब तक लगभग 7.8 लाख रुपया की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[6–8–80 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न–1 द्वारा उत्तरित]

आजमगढ़ जिले के महुला गढ़वल बांध के रख-रखाव पर व्यय की गयी धनराशि

27—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में महुला गढ़वल बांध पर 1977–78 व 1979 में कितना धन रख-रखाव व मरम्मत तथा बाढ़ में खर्च किया गया है? क्या सिंचाई मंत्री उस खर्चे को हर वर्ष की अलग-अलग सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद में महुला गढ़वल बांध पर 1977–78 व 1979 में रख-रखाव व मरम्मत तथा बाढ़ कार्यों में क्रमशः रु0 3,57,541.44 एवं रु0 24,77,344.78 खर्च किया गया है।

व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

व्यय का मद		वर्ष 1977–78	वर्ष 1978–79
1—रख-रखाव व मरम्मत	..	714.15	29.3
2—बाढ़ कार्य	..	3,56,827.29	24,77,315.4
योग	..	3,57,541.44	24,77,344.77

मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम एवं बांध निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

28—श्री हुकम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में वित्तीय वर्ष 1979–80 में कुल कितना रुपया बाढ़ योजनाओं पर खर्च किया गया और इसके अन्तर्गत कितने नये बांध बनाये गये एवं पुराने बांधों की मरम्मत की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुजफ्फरनगर जनपद में वित्तीय वर्ष 1979–80 में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निर्माण पर 92.24 लाख रुपया व्यय हुआ तथा मरम्मत व रख-रखाव पर 10 44 लाख रुपया व्यय हुआ। निर्मित बाढ़ सुरक्षा कार्यों का मूल फांट निम्नांकित है :—

		व्यय
1—सीमान्त बांध लम्बाई 2.30 कि0 मी0	..	2.79 लाख रु0
2—नदी सुधार एवं भूमि कटाव निरोधक कार्य	..	85.10 लाख रु0
3—जलोत्सारण योजनायें	..	4.35 लाख रु0
योग	..	92.24 लाख रु0

जिन बन्धों, एप्रोच रोड व लिंक रोड की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य किया गया उनकी लम्बाई लगभग 55 कि0 मी0 है।

फैजाबाद–इलाहाबाद मार्ग का खजुहठ एव बीकापुर बस स्टापेज

29—श्री सीताराम निषाद—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि फैजाबाद–इलाहाबाद मार्ग पर खजुहठ बस स्टापेज बनाने तथा बीकापुर में फैजाबाद डिपो के बाहर की मेल बसों को रोकने का आदेश हाल में हो गया है ? यदि हां, तो कब से लागू होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फैजाबाद–इलाहाबाद मार्ग पर खजुहठ नामक स्थान पर पहले से ही (पेयर बस) स्टापेज है। बीकापुर में बुकिंग आफिस भी है। जनता की सुविधा हेतु दिनांक 13–8–80 से दोनों स्थानों के लिये फैजाबाद क्षेत्र की समस्त मेल तथा पैसेन्जर बसें रोकने के आदेश पुनः दे दिये गये हैं।

30—श्री शंकर सिंह—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

31—श्री बलबीर सिंह—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित।]

आजमगढ़ जिले के महुला गढ़वल बांध को पक्का किये जाने की मांग

32—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सगड़ी तहसील में महुला गढ़वल बांध को चौड़ा व पक्का करने के लिये 1973 में कोई योजना बनी थी? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार की योजना बनाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

विकास खण्ड, कदौरा में बेतवा नदी की बाढ़

33—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1978 में बेतवा नदी की बाढ़ में कदौरा विकास खंड के कितने गांव बह गये थे? सरकार ने उन ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर जिले में शारदा सहायक नहर से सीपेज

34—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर से सीतापुर जिले में कितनी जमीन सीपेज में बरबाद हुई और कितने गांव ध्वस्त हो गये?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत, शारदा सहायक पोषक नहर जहां-जहां भराव में है तथा जहां लाइनिंग नहीं हुई है उन स्थानों पर लगभग 1470 हेक्टेयर भूमि सीपेज से प्रभावित हुई है। सीपेज से कोई गांव ध्वस्त नहीं हुए हैं।

35—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री मारकण्डेय चन्द—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

परिवहन निगम द्वारा किराये पर की गयी निजी बसों से लाभ

36—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राज्य सड़क परिवहन निगम में लगी निजी बसों के मालिक लाभ पर बसें चला रहे हैं और निगम की अपनी बसें व उनकी मरम्मतों के लिये खोले गये डिपो घाटे पर चल रहे हैं? यदि हां तो इस हानि को ध्यान में रखकर सरकार निगम को तोड़ने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो निगम कब तक तोड़ दिये जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में लगी निजी बसें नफे पर चल रही हैं। यह सही नहीं है कि निगम की अपनी बसें घाटे पर चल रही हैं। निगम ने निजी बसों को किराये पर लेकर एक सुनियोजित योजना के आधार पर चलाया है जिससे कि यात्रियों की बढ़ती हुई परिवहन की मांग को पूरा किया जा सके। निगम की वर्कशाप विभागीय वाहनों की मरम्मत / रख-रखाव के लिये है। सरकार द्वारा निगम प्रबन्ध भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर जिले के ग्राम सधिका मऊ के राजबहा शिवराजपुर पर पुल निर्माण की मांग

37—श्री हरि किशन श्रीवास्तव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में शिवराजपुर राजबहा पर ग्राम सधिका मऊ पर इस समय कोई पुल प्रस्तावित है? यदि हां, तो वह पुल किस समय तक बन कर पूरा हो जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

पुल की आवश्यकता नहीं है।

जालौन जिले की मैनपुर नहर की सिंचाई क्षमता

38--श्री शंकर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में मैनपुर लिफ्ट नहर की सिंचाई क्षमता कितनी है ? क्या इस नहर के कमान्ड में कुछ रकबा ऐसा भी है कि जिसमें कभी सिंचाई नहीं हो सकी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जालौन जनपद की मैनपुर नहर की सिंचाई क्षमता 20 क्यूसेक है। इसके टेल भाग में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र असिंचित रह जाता है।

टिहरी-गढ़वाल जिले में व्यावर्तन मार्ग के निर्माण से नरेन्द्र नगर को कथित खतरा

39--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जिले में नरेन्द्र नगर के समीप टिहरी ऋषिकेश मोटर मार्ग पर पलासड़ा तथा लालमारा के मध्य बिन्दु से जो व्यावर्तन मार्ग नरेन्द्र नगर टोलचा की ओट के लिये बनाई गई उस पर कुल कितना व्यय हुआ तथा उसके बनाये जाने का उद्देश्य क्या था और क्या उक्त मार्ग के बनने के बाद से नरेन्द्र नगर के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सम्प्रति व्यावर्तन मार्ग पर लगभग 30 लाख रुपया व्यय किया गया है। यह मार्ग मनेरी-भाली परियोजना के भारी ट्रेलर्स पास करने हेतु बनाया गया था। मार्ग के बनने से नरेन्द्रनगर के अस्तित्व को विभाग के मत में कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम खण्डहर में नलकूप निर्माण की मांग

40--श्री जगदीश सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खंडहर तहसील जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में हाल में राजकीय नलकूप का कान्टूर सर्वे हुआ था ? यदि हां, तो क्या वह नलकूप बन गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम खंडहर, तहसील जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में नवीन नलकूप के लगाने हेतु वर्ष 1979-80 में कन्टूर सर्वे हुआ था। उक्त ग्राम बहयुल नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्षाकाल में ग्राम का अधिकतर क्षेत्र जल मग्न हो जाता है तथा नलकूप निर्माण हेतु केवल लगभग 200 एकड़ क्षेत्र बचता है जो एक राजकीय नलकूप निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है।

अतः ग्राम खंडहर में नवीन नलकूप का निर्माण नहीं कराया गया।

परिवहन निगम के प्रधान प्रबन्धक एवं जोनल मैनेजरों के कार्यालयों पर हुयी बैठकों पर व्यय की गयी धनराशि

41--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1979 से मार्च, 1980 तक प्रधान प्रबन्धक एवं जोनल मैनेजरों के कार्यालयों पर कितनी-कितनी बैठकें हुई और उन पर अलग-अलग कितना-कितना खर्च हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर जिले केडेरापुर व भोगनीपुर परगनों में यमुना व सेंगुर नदियों के बीच सिंचाई की सुविधा

42—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में डेरापुर व भोगनीपुर परगनों की शेंगुर व यमुना नदियों के बीच में 31 मई, 1980 को कितनी सिंचन योग्य भूमि असिंचित पड़ी हुई थी और उसे सींचने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और वह कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कानपुर जिले में डेरापुर व भोगनीपुर परगना के अन्तर्गत सेंगुर व यमुना नदी के बीच 31 मई, 1980 तक कुल क्रमशः 17416 व 71404 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 2836 व 22634 हेक्टेयर भूमि असिंचित थी । डेरापुर में 4 नलकूप लगाकर 400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन सुविधा देना प्रस्तावित है । भोगनीपुर में प्रस्तावित 15 नलकूपों से 1500 हेक्टेयर एवं निर्माणाधीन उमरहट पम्प नहर योजना से 4856 हेक्टेयर अर्थात् कुल 6356 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचन सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है । यह योजनायें वर्ष 1982–83 तक पूर्ण होनी सम्भावित है ।

सीतापुर जिले में हरिजन छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव

43—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय सीतापुर में कोई हरिजन छात्रावास बनना स्वीकृत है? यदि हां, तो यह कब से स्वीकृत है और क्या उसका बनना प्रारम्भ हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

सीतापुर में हरिजन छात्रावास का बनना 1977–78 से स्वीकृत है । अभी इसका निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसके लिए जो भूमि उपलब्ध की गयी थी वह बाद में निर्धारित मापदंड के अनुसार अपर्याप्त पायी गयी । अब इस कार्य के लिए दूसरा भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके उपलब्ध हो जाने पर ही छात्रावास का निर्माण प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद व परसेण्डी में नलकूप निर्माण एवं मुआवजा

44—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी में जो-जो राजकीय नलकूप तथा उनकी गूलें वर्ष 1974 से 1980 (अप्रैल माह) के बीच जिस भूमि पर बनी हैं, क्या उन सब का मुआवजा दे दिया गया है? जिनका नहीं दिया जा सका है उसका कारण क्या है तथा कब तक अदा कर दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप खंड सीतापुर के ब्लाक खैराबाद व परसेण्डी में जिस भूमि पर राजकीय नलकूप व उनकी पक्की नालियों का अंशतः निर्माण कार्य हुआ है, उसका मुआवजा अभी नहीं दिया जा सका है । भू ३-अर्जन का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, शारदा सहायक परियोजना, लखीमपुर खीरीको भेजा जा चुका है । भू-अर्जन कार्यवाही के बाद मुआवजे का वितरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अपने स्तर से करेंगे ।

हरैया तथा आजमगढ़ विकास खण्ड में नलकूपों का निर्माण

45—श्री पंचानन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया तथा आजमगढ़ ब्लाकों में इस समय अलग-अलग कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा इनका निर्माण किन-किन वर्षों में हुआ है? इन ब्लाकों में कौन-कौन सी ऐसी गांव सभायें हैं जिनमें राजकीय नलकूप नहीं हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में 29 तथा आजमगढ़ ब्लाक में 49 राजकीय नलकूप हैं। हरैया ब्लाक में इन नलकूपों का निर्माण वर्ष 1955, 56, 57, 65, 70, 73, 74, 75, 77, 78 तथा 79 में हुआ है तथा आजमगढ़ ब्लाक में वर्ष 1954, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 तथा 80 में हुआ है। हरैया ब्लाक में 101 गांव सभाओं में से 73 तथा आजमगढ़ ब्लाक में 122 गांव सभाओं में से 77 गांव सभाओं में राजकीय नलकूप नहीं हैं। इन गांव सभाओं की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 181–184 पर)

भूतपूर्व सदस्य, श्री हरी सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 अगस्त, 1980 को 12 बजे रात्रि में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री हरी सिंह जी ने स्वतन्त्र भारत की अन्तिम सांस ली और यही उनके जीवन का अन्तिम लक्ष्य था। जब 60 वर्ष पूर्व हरी सिंह जी का जन्म हुआ था तब उस बालक की प्रथम सांस एक परतन्त्र भारत की सांस थी। उस परतन्त्रता की सांस और इस स्वतन्त्रता की सांस के बीच हमारे देश की स्वतन्त्रता के संघर्ष की बीर गाथा लिखी गयी है और यदि उसके पन्ने उल्टे जायं तो 1932 में एक ऐसा पृष्ठ आयेगा जब एक 12 साल का बालक जो किशोर अवस्था को भी नहीं पहुंचा था, उसके हृदय में एक लौ, बल्कि स्वतन्त्रता की आग और ज्वाला धधक रही थी। मान्यवर, अग्नि को अग्नि से भय नहीं होता इसीलिए जब गांधी जी ने आवाहन किया तो यह बालक उसमें कूद पड़ा। मान्यवर स्वर्ण ताप से खरा ही निकलता है। इस बालक को उस वक्त 18 मास की सजा हो गयी। 250 रुपया का जुर्माना अंग्रेजी सरकार ने किया। सजा करने के बाद उसके साथ उन्होंने सौदा किया। उस 12 साल के बालक को उन्होंने कहा कि माफी मांग लो, तुमको मुक्ति दे देंगे। लेकिन उस बालक को अपनी मुक्ति नहीं चाहिए थी। अपने लिए तो सजा और देश के लिए मुक्ति चाहिए थी। इसलिए उसने इनकार कर दिया और उनकी बात को ठुकरा दिया। वही बालक जब 22 वर्ष का नौजवान होता है तो वह फिर विदेशी सत्ता से टकराया और उसे पुनः 10 महीने की सजा हो गयी और इस तरह की सजा हुई कि 8 घंटे तक उनके हाथों में रस्सी बांधकर उनको लटका दिया। रस्सी के निशान हरी सिंह जी के हाथों में 2 अगस्त को भी, जब उन्होंने दम तोड़ा, पड़े हुए थे। मान्यवर, कहा जाता है कि आदमी खाली हाथ जाता है लेकिन हरी सिंह जी खाली हाथ नहीं गये। अपने हाथों में अंग्रेजों के अत्याचार के वे निशान लेकर हरी सिंह जी इस संसार से चले गये जिसका किसी भी शहीद को फख्र है कि उसके हाथों में स्वतन्त्रता संग्राम के निशान हों। मैं उन निशानों को नमन करते हुए अपनी और सदन की ओर से श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इस भावना को शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने हरी सिंह जी की मृत्यु पर जो संवेदना व्यक्त की है मैं और मेरा दल अपने आपको उससे सम्बद्ध करता है। श्रीमन्, मुझे हरी सिंह जी के साथ रहने का मौका मिला है। वह बड़े निर्भीक व्यक्ति थे और जो बात उनके मन में आती थी उसे वह चाहे विधान मण्डल की बैठक हो या पार्टी की मीटिंग हो, उसे कहने से नहीं चूकते थे। अगर नेता की बात से उन्हें इत्तफाक नहीं हुआ तो वह अपनी बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते थे। ऐसे निर्भीक व्यक्ति इस राजनीतिक जीवन में आज के युग में बहुत कम देखने को मिलते हैं। वह बहुत गरीब हरिजन परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह बहुत निष्ठावान और चरित्रवान व्यक्ति थे। उनका जीवन राजनीति में ही बीता, वह बचपन से राजनीति में आ गये थे और जेल यातना उन्होंने सही। करीब चार बार वह इस माननीय सदन के सदस्य रहे। जब कभी भी उनको बोलने का मौका मिला, उन्होंने अपने विचारों को बहुत निर्भीकता और मजबूती के साथ पेश किया। श्रीमन्, मैं उस महानुभाव के प्रति, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनसे यह सदन बंचित है, अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम--

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि श्री हरी सिंह हम लोगों से छूट गए। जहां तक मुझे जानकारी हुई है और मैं मालूम कर सका हूं, श्री हरी सिंह आजादी की लड़ाई में अपनी उम्र के शुरू के हिस्से से ही कूद पड़े थे। उन्होंने मुल्क की लड़ाई में बड़ी-बड़ी कुर्बानी दी और बड़ी मुश्किलात उनके सामने आयीं, लेकिन कभी अपना कदम उन्होंने पीछे नहीं हटाया। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से श्री हरी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जिस तरीके से अपने दुख का इजहार किया है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी ओर से भी उनके दुखी परिवार को यह पैगाम पहुंचाए कि हम उनके गम में पूरी तरह से शरीक हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय श्री हरी सिंह के देहावसान पर जो उद्गार नेता सदन और नेता विरोधी दल ने तथा नेता कांग्रेस अर्स ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह सच में बड़े दुख की बात है कि आजादी की लड़ाई में जिन वीर पुरुषों ने हमारी अगवानी की और राष्ट्र को प्रेरणा दी और आजा दी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे? वे धीरे-धीरे हमारे बीच से चले जा रहे हैं। श्री हरी सिंह जी के साथ मुझे भी इस सदन में सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह अपने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय थे कि कई बार वह इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे। बाणी से बड़े निर्भीक' लेकिन मन के बड़े साफ थे। कई कमेटियों में भी मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। चाहे उनकी पढ़ाई-लिखाई कम हुई हो, लेकिन जीवन में काम करते-करते इतना अनुभव प्राप्त वे किए थे कि जिस मसय भी अपनी बात रखते थे उनके विचारों से एसा मालूम होता था कि उनको हर चीज का बहुत अनुभव है। आज उनके न रहने से जो रिक्तता हुई है उसकी पूर्ति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय हरी सिंह जी के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे हम अपने को सम्बद्ध करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वर्गीय श्री हरी सिंह के साथ माननीय सदन में मुझे भी काफी अर्से तक काम करने का मौका मिला है। वह हमारे नजदीकी मिलने वाले मित्रों में से थे। वह एक गरीब हरिजन परिवार से आए थे और वह गरीबों की आवाज इस सदन में बड़ी निर्भीकता के साथ उठाया करते थे। वह कभी-कभी शासन पक्ष की सीमाओं को तोड़कर ऐसी-ऐसी बातें कहा करते थे, जिन पर हम भी कह दिया करते थे कि आप शासन पक्ष में रहते हुए विरोधी दल की बात कह रहे हैं, आप हमारी तरफ आ जाओ। तो वह कहां करते थे हम हर जगह गरीबों की आवाज उठाया करते हैं और सदा हर हालत में उठाते रहेंगे। आज हमारे बीच में से गरीबों की आवाज उठाने वाला उठ गया है। इससे हमारे समाज को बड़ी क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय हरी सिंह को अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे समवेदना के शब्द उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय स्वर्गीय श्री हरी सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, हालांकि वह इस वर्ष चुनाव में जीत कर नहीं आये थे, फिर भी वह इस सदन में बैठकर जिस साफगोई, हिम्मत और बहादुरी के साथ अपने विचारों को व्यक्त करते थे, उनकी वह तस्वीर आज भी हमारे सामने यहां घूमती है। उनके साथ हमें कई-कई दिन तक घूमने का मौका मिला है। वह जब देश के स्वतन्त्रता संग्राम में आप बीती सुनाया करते थे, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और मालूम पड़ता था कि इस देश को आजादी कितने त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। आज वह हमारे बीच में नहीं है। मैं अपने और अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे यह आशा करता हूं कि आप उनके दुखी परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, जो विचार हरी सिंह जी के बारे में नेता सदन और तमाम विभिन्न नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, माननीय हरी सिंह मेरे साथ इसी सदन में माननीय सदस्य के रूप में रहे हैं, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। जहां तक उनका ताल्लुक है उन्होंने अपने बचपनकाल से स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी और अनेक बार जेल गए थे और जिला परिषद् के सदस्य भी वह रहे थे। जहां तक मुझे याद है सन् 52 से 56 तक वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर इसके सदस्य रहे और फिर जनता पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़कर वह इस सदन में आये थे। वह आज इस सदन में नहीं है, जिसका मुझे गहरा लोक है। मैं अपने और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी समवेदना शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय श्री हरी सिंह जी के बारे में समवेदना के जो शब्द माननीय नेता सदन नेताविरोधी दल और दूसरे माननीय नेताओं ने व्यक्त किये, मैं उससे अपने और अपने दल को—प्रगतिशील विधायक दल को—सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, पिछली विधान सभा में उनके साथ रहने का मुझे भी मौका मिला, सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वह जिस तरह अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, उससे साफ झलकता था कि वह एक तेज-तर्रार और निडर विधायक थे। बहुत से ऐसे मसले होते थे, जिनको वह सत्ता पक्ष में रहते हुए भी बरदाश्त नहीं कर पाते थे और जब वह यहां बोलने के विरोध में खड़े होते थे तो सबसे पहले अपनी बांहे चढ़ाने लगते थे। वह स्वतन्त्रता संग्राम के एक सफल सेनानी रहे और वह अन्याय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा—]
और जुल्म के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे। मैं एक ऐसे सिपाही को पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि के पुष्प उनके सन्तप्त परिवार तक और उनके जो हमदर्द लोग हैं, उन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेतागणों द्वारा जो समवेदना व्यक्त की गयी है उससे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। मैं माननीय हरी सिंह जी के साथ सन् 1962 से 1967 तक इस सदन का सदस्य रहा हूं। वे हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से थे। हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आप सबने जो उनकी बहादुरी उनकी निर्भीकता एवं साफ गोई के बारे में कहा है, निश्चित रूप से वह कम है जितना कि वे थे। वे गरीबों के लिए लड़ने वाले एक निर्भीक इन्सान थे। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तो थे ही। स्वतन्त्रता के बाद भी वे स्वतन्त्रता से सम्बन्धित आदर्शों के लिए बराबर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे लोग कम ही होते हैं। आज उनके निधन से उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले लोग कम ही मिलेंगे। मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आपके द्वारा व्यक्त की गई श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा।

अब दो मिनट के लिए सदन के सदस्य खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

झांसी नगर व जनपद में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मेरे पास 8 सूचनायें प्राप्त हुयीं थीं जिसमें से मैंने 5 स्वीकृत की हैं। पहली माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की है। वे उसे पढ़ दें।

[12 बजकर 40 मिनट]

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 1980 के प्रथम सप्ताह के प्रारम्भिक दिनों में अतिवृष्टि और दिनांक 9 अगस्त, 1980 से लगातार झांसी में 10 इंच रिकार्ड तोड़ वर्षा के कारण झांसी नगर व जिले में तबाही का दृश्य उपस्थित होगया है। हजारों मकान गिर गये एवं लगभग 50 हजार लोग बेघर हो गये हैं। झांसी नगर की नालियां, नाले टूटने और पथरीली जमीनों के कारण तेज रफतार से पानी बहने से झांसी नगर में गलियों की सड़कें बह गयी हैं। झांसी नगर का एतिहासिक स्मारक श्री गंगाधर राव का पानी के बहाव में बरबाद हो रहा है। अभी तक 3 व्यक्तियों और सैंकड़ों पशुओं के मरने के समाचार प्राप्त हुये हैं। झांसी नगर में अंधकार छा गया है। विभिन्न रोग पशुओं और मानव में फैल रहे हैं। कई स्थानों से हैजा के प्रकोप के भी समाचार मिले हैं। खरीफ की पूर्ण फसल नष्ट हो गयी है। झांसी नगरमहापालिका साधनहीन होने के कारण अक्षम हो गयी है। हजारों लोगों के जीवन मरण से सम्बन्धित होने के कारण मैं शासन से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सीमान्त किसानों भूमिहीन एवं खेतिहर मजदूरों तथा कमजोर वर्ग के लोगों की गृह निर्माण की सहायता उपलब्ध करायी जाये तथा पशुओं के लिये मुफत चारा बांटा जाये।

अतिवृष्टि के कारण कमजोर वर्ग को कार्य का अवसर नहीं मिल रहा है। जो दाने-दाने के लिये मोहताज हैं। अतः इन सबको आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा । झांसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगरपालिका क्षेत्र में प्रकाश का प्रबन्ध किया जाय एवं नालियों, नाले और सड़कों की मरम्मत कराके निर्माण कराकर सफायी करायी जाय। गंगाधर राव को पानी के बहाव से बचाया जाये। सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत भी करायी जाये।

सीतापुर के निकट रस्योरा घाट पर नाव डूबने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, दिनांक 16 अगस्त, 1980 की रात्रि में लगभग 9 बजे सीतापुर नगर से 2 किलोमीटर दूर सरायन नदी स्थित रस्योरा घाट पर एक हृदयविदारक नाव दुर्घटना हो गयी। रात्रि के अन्धकार में नाव डूब जाने से लगभग 20 व्यक्ति मर गये। साधनों के अभाव में प्रशासन हतप्रद रहा। शासकीय प्रयासों से एक भी शव नहीं निकाला जा सका। संयोग से धारा में बह गये नौ शव किनारे झाड़झंकार में फंस जाने से कुछ दूर गांव में मिले हैं। जिन्हें पहचाना नहीं जा सका। घटना इतनी रोमान्चकारी है कि एक ही परिवार के 3 सहोदर भाई काल के गाल में समा गये। मान्यवर, प्रश्न यह है कि घटना क्यों घट गई। सरकारी घाट होते हुये प्रकाश की व्यवस्था क्यों नहीं थी? उस ठेकेदार के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें होते हुये भी उसे हटाया क्यों नहीं गया था? दुर्घटना के दिन सरकारी नाव का चलना क्यों बन्द था ठेका देने के बाद क्या नाव तथा मल्लाह का परीक्षण हुआ था? दुर्घटना के समय नाव चलाने वाला क्या अधिकृत व्यक्ति था? जिले में कोई जाल क्यों नहीं है? एक भी लाश निकाल पाने में शासकीय प्रयासों को सफलता क्यों नहीं मिली? सही पहलुओं पर जांच होकर कठोर कार्यवाही आवश्यक है।

मान्यवर, प्रश्न है आहतों के आश्रितों को सहायता देने का अहेतुक सहायता के क्रम में अभी तक मात्र एक-एक हजार रुपया दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि प्रत्येक के आश्रित को कम से कम पांच-पांच हजार रुपया देने की कृपा की जाय। उसके साथ ही मृतक ओम प्रकाश पंचायत सेवक के स्थान पर उसके छोटे भाई दिनेश चन्द्र को तथा ओमकार नाथ कर्मचारी शारदा सहायक की पत्नी को उनके स्थान पर नौकरी दी जाय। यह सभी योग्यता पूर्ण करते हैं। मृतक बालक राम यादव, केन सोसायटी, हरगांव की जगह उसके लड़के हाई स्कूल पास राकेश कुमार को तथा रामकुमार यादव चपरासी, अतिरिक्त न्यायाधीश सीतापुर की जगह उसके भाई अरुन सिंह को नौकरी देने की कृपा की जाय।

यह बहुत ही हृदय बिदारक दुर्घटना है, माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कृपया इस ओर अवश्य ध्यान देने की कृपा करें।

नेहरू स्मारक इंटर कालेज, फुलेहरा, जिला मेरठ के प्रधानाचार्य को सी0आई0डी0 इन्स्पेक्टर श्री कुंवर पाल सिंह यादव द्वारा पीटे जाने तथा थाने में अवैध रूप से बन्द रखने की घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 12-8-80 को नेहरू स्मारक इन्टर कालेज, फुलेहरा, जिला मेरठ के प्रधानाचार्य दिन को लगभग साढ़े 9 बजे अपने कार्यालय में बैठे हुये थे कि सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर, कुंवर पाल सिंह यादव कुछ आदमियों के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय में घुसे तथा सबने मिलकर प्रधानाचार्य को कुर्सी से खींच लिया। उनके दोनों हाथ रस्से से पीठ के पीछे बांध दिये गये तथा बलपूर्वक घसीटते हुये अपने घर ले गये। वहां उन्हें मारा पीटा, गालियां दीं तथा त्याग-पत्र की

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीपंचानन]

मांग की। तत्पश्चात् उनके मना करने पर उन्हें और अधिक मारा पीटा तथा जब वे बेहोश हो गये तो रात्रि के 9 बजे ट्रैक्टर पर लादकर उन्हें थाना खेकड़ा ले जाया गया तथा रात्रि भर थाने में रखा प्रात:काल उनके हमदर्द जब थाने पर पहुंचे तो उन्हें थाने से छोड़ दिया गया। इस प्रकार अवैधानिक रूप से मनमानी करके प्रधानाचार्य को अपनी निजी हिरासत तथा थाने के हिरासत में सी0आई0 डी0 इन्सपेक्टर ने रखा। इस व्यवहार के कारण उस विद्यालय में तथा उस क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में भय और आतंक छा गया है। नेहरू स्मारक इन्टर कालेज, फुलेहरा अनिश्चित काल के लिये बन्द है। नगरिकों, छात्रों, अभिभावकों में पुलिस अधिकारी के इसअमानवीय, अभद्र एवं अवैधानिक व्यवहार से भारी क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है। स्थिति विष्कोटक है। अत: मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच करायी जाय।

हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुई हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण पानी भराव से अनेकों गांव प्रभावित हुए हैं, मकान गिरे हैं, सम्पत्ति नष्ट हुई है तथा किसी भी तरह की फसल की गुंजाइश नहीं रह गयी है। खाद्यान योजना के अन्तगत बने सम्पर्क मार्गों पर पुलियों के निर्माण न होने से पानी भराव की यह समस्या और भी गम्भीर हो गयी है।

शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल राहत दिये जाने की मांग करता हूं।

लखनऊ के मोहनलाल गंज तहसील में वर्षा व बाढ़ से हुई क्षति तथा राहत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्स रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चहता हूं, लखनऊ जनपद की मोहनलाल-गंज तहसील के 80 प्रतिशत ग्रामवासी गोमती नदी की बाढ़ एवं जल प्लावन के कारण अत्यन्त परेशानी की स्थिति में हैं। लगभग 70 फीसदी खेतों की बोयी फसल नष्ट हो गयी है और आगामी रबी की फसल की बुवाई की सम्भावना क्षीण होती जा रही है। लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग का यातायात ठप्प हो गया है। मुख्य सड़क पर जगह-जगह पर भारी जल भराव है और उसके पानी के निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं है। विगत दिनों की अतिवृष्टि के कारण जल-प्लावन एवं गोमती में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को समुचित सहायता नहीं मिल पायी है। वास्तव में जो सहायता के पात्र थे, उन्हें सहायता नहीं मिल पायी है और अन्य लोगों को सहायता दी गयी है, ऐसी सूचना ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय को दी है। जिन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है बाढ़ एवं वर्षा से गिरे मकानों के निर्माण हेतु शासन से जो धन प्राप्त हुआ है जिसका वितरण प्रारम्भ हो गया है किन्तु क्षेत्रीय जनता की शिकायतें हैं कि लेखपालों ने सूची ठीक से नहीं बनाई है और वे अभी तक अपने हल्के के सभी ग्रामों को गये ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अनेकों गरीबों का काम छूट जाना स्वाभाविक है। मौजूदा पक्षपातपूर्ण वितरण के कारण क्षेत्रीय नागरिकों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इसलिये आवश्यक है कि पहले सभी ग्रामों की हुई क्षति की सूची तैयार करवा कर उचित सहायता दी जाय।

अत: आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि पुन: शीघ्र ही क्षतिग्रस्त गांवों का दौरा कराया जाय और भेदभाव पूर्ण बटी सहायता की भी जांच की जाय तथा सभी क्षति-ग्रस्त लोगों को समुचित क्षतिग्रस्त सहायता दी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 की वैधानिकता तथा सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपका ध्यान मैं 'भारत' की संविधान' के अध्याय 4 जिसमें लेजिस्लेटिव पावर आफ दि गवर्नर है, धारा 213 की तरफ आकर्षित करता हूं।

[12 बजकर 47 मिनट]

"213. (1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinance as the circumstances appear to him to require :"

श्री अध्यक्ष--

आप इसको हिन्दी कर दीजिए।

श्री मोहन सिंह--

अध्याय 4--राज्यपाल की विधायिनी शक्ति।

"213(1)-उस समय को छोड़ कर, जब कि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जायं कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हो :"

मान्यवर, यह सदन और यह देश भारत के संविधान से संचालित होता है। महामहिम राज्यपाल और हम सभी भी संविधान से संचालित होते हैं। विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति के पेज 48 देखें जिसके अन्तर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसका शीर्षक "राज्यपाल की विधायनी शक्तियां" है। 'विधायन की शक्ति वस्तुतः सदन या सदनों को है तथा राज्यपाल केवल उनके द्वारा पारित किये गये विधायन पर अपनी अनुमति देते हैं। जब कभी राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत कोई अध्यादेश जारी करने के लिये अपनी विधायनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह ऐसा विधान मण्डल की ओर से करते हैं न कि कार्यपालिका की ओर से।" मान्यवर, विधान मंडल के दोनों सत्र अधिवेशन में थे। विधान सभा का सत्र आहूत था, विधान परिषद् अवश्य स्थगित कर दी गयी थी, लेकिन आहूत करने के बाद तिथियों में परिवर्तन किया गया। विधान सभा मान्यवर, जब एक बार भी बुला ली जाय, तो इसकी तिथियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। मान्यवर इसके संबंध में पार्लियामेण्ट्री प्रोसीजर इन इण्डिया ए 0 आर0 मुखर्जी की किताब का 24 वां पेज पढ़ता हूं।

"That the President shall from time to time summon each House of Parliament at such time and place as he thinks fit. But no power is given to him expressly to postpone a meeting or accelerate a meeting. In the absence of such power it is doubtful whether the President has the power to alter the date of meeting after he has once summoned it for a particular date."

इस बारे में यह कहते हैं कि भारतीय कांस्टिट्यूशन में जब एक बार राष्ट्रपति महोदय ने संसद को आहूत कर दिया तो उसमें उन्हें परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। इसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

तरह से अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदय के भी है जैसे कि राष्ट्रपति महोदय के हैं ऐसी स्थितियों में यहां कोई ऐसी विशेष परिस्थिति भी नहीं थी जिसके आधार पर उन्होंने परिवर्तन किया है विधान परिषद् की बैठकों में। यह मान्यवर, सदन की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा यह अध्यादेश न केवल जनतंत्र विरोधी है और न केवल हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला है बल्कि संविधान के प्रक्रियाओं के बिल्कुल खिलाफ है। महामहिम राज्यपाल महोदय को जो विशेष परिस्थिति में अधिकार दिये गये हैं वह किसी गम्भीर स्थिति पर सुरक्षा मात्र है न कि इस प्रकार के गलत अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे अध्यादेश लागू नहीं होते। यह मान्यवर जुर्म है। ऐसे अपराध करने वालों को आपको कटघरों के पीछे भेज देना चाहिए ना कि उन्हें इस प्रकार के अध्यादेश को पटल पर रखने की अनुमति देनी चाहिए। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर विचार कर लें तब इसे पटल पर रक्खे और जहां तक मेरिट और डिमेरिट का सवाल है वह डिस्कस कर लिया जायेगा। तब तक यह अध्यादेश के रूप में सदन के पटल पर रखा ही नहीं जा सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसी से संबंधित एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय कांस्टिटयूशन में जो व्यवस्था दी गयी है, वह अपरिहार्य रूप में विशेष परिस्थितियों में किया जायेगा अगर तकनीकी दृष्टि से सदन में पूरा मान भी लिया जाये तब भी मंत्रिमंडल द्वारा सलाह के बिना ऐसा किस आधार पर किया जा सकता है। मान्यवर, जब 18 तारीख को विधान परिषद् का सत्र आहूत होने की सूचना जारी हो चुकी है फिर अध्यादेश जारी कर वह 18 तारीख से बढ़ाकर 8 तारीख कर दिया गया, ऐसा क्यों किया गया, कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति चलरही थी, जिस कारण से इन्हें ऐसा करना पड़ा। मैं तो समझता हूं कि यह केवल संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता की अवहेलना करना मात्र है, नहीं तो क्या वजह हो सकता है जबकि 18 तारीख को सब बैठ ही रहे हैं उसी में जो होना होता, हो जाता। लेकिन जानबूझकर एक मन्सा के तहत सत्र की तिथि बढ़ा दी गयी और अध्यादेश जारी कर दिया गया। इस संबंध में मोहन सिंह जी ने जो उदाहरण दिये हैं राज्यपाल महोदय के अधिकारों के बारे में उसी से संबंधित उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति का राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय पर दिये गये प्रतिवेदन के पैरा 118 में दिया गया है, पढ़ना चाहता हूं।

"जबविधान सभा (या विधान परिषद्) के आहूत करने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो तो उस विज्ञप्ति के जारी होने के उपरान्त कोई अध्यादेश जारी न किया जाय और केवल विषम परिस्थिति हो जाने पर ही अध्यादेश का सहारा लिया जाय जबकि सदन को आहूत करके विधेयक पारित करना सम्भव न हो, विशेष तौर पर जबकि अल्प सूचना पर भी सदन को आहूत करने का विधान सभा के नियमों में प्राविधान है। किन्तु उस समय भी विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति की सहमति प्राप्त करना उचित होगा।'

लेकिन मान्यवर, इस सरकार द्वारा वर्तमान में सारे काम अध्यादेश जारी पहले करती है और काम बाद में करती है इनको करना है तो एक नया विधेयक लायें, उसके बाद सदन में चर्चा होगी।

दूसरी गम्भीर बात यह है कि यह अध्यादेश होने के बाद प्रतिपक्ष के नेताओं की एक बैठक मुख्य मंत्री जी से हुई थी जिसमें हम लोगों ने आशंका प्रकट की थी कि इस अधिकार का दुरुपयोग राजनीतिक नेताओं को बंद करने, प्रताड़ित करने और कुचलने में किया जाएगा। आज सारे प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पकड़े जा चुके हैं और इस अध्यादेश का उपयोग राजनीतिक दलों के लोगों को प्रताड़ित करने के लिये किया जा रहा है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की अनुमति आप न प्रदान करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

जिस पैरा की तरफ सम्मानित सदस्य ने इंगित किया है उसके अन्दर लिखा है कि: "when both the Houses of Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances--which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances."
यहां विधान परिषद् प्रोरोग हो चुकी है, विधान सभा सेशन में थी तो यहां जो 'बोथ दि लेजिस्लेचर' लिखा है, इससे वह कन्डीशन जिसकी तरफ माननीय सदस्य इशारा कर रहे हैं,वह पूरी नहीं होती ।

श्री मोहन सिंह---

विधान परिषद् भी आहूत हो चुकी थी । यह किसी भी अदालत के सामने जाएगा तो टर्न डाउन होना ही है। लेकिन हम नहीं चाहते कि यह किसी माननीय न्यायालय के सामने जाय । यदि यह बहुत जरूरी ही था तो विधान सभा और विधान परिषद् की बैठक होने ही वाली थी, उसमें मुख्य मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते थे । इसे अध्यादेश की शक्ल में लाने में वैधानिक, संवैधानिक और व्यवहारिक दिक्कत भी है । सामान्य दृष्टि से यह जनतंत्र विरोधी भी है ।

*श्री फखरे आलम---

मान्यवर, आर्टिकल 213 का इन्टरप्रिटेशन कैसे लिया जा रहा है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 213 की हेडिंग आप देखिये :
"Power of Governor to promulgate ordinances during recess of Legislature" प्रोमलगेट करने का यह तरीका नहीं है जिसमें आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है । 17 और 18 तारीख से विधान सभा और विधान परिषद् की बैठक शुरू होने वाली थी तो प्रश्न यह है कि क्या लेजिस्लेचर का रिसेस था ? क्या इसलिये 16 तारीख को हम लोगों का यहां बैठना रोक दिया गया था कि यह आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाए ?

श्री अध्यक्ष---

आप अनुच्छेद 211 का हवाला दे रहे हैं ?

श्री फखरे आलम---

मान्यवर, मैंने 213 को रेफर किया है । मैं हेडिंग के बारे में आपसे अर्ज कर रहा हूं कि :
"Power of Governor to promulgate Ordinance during recess of legislature."

सबसे पहले हम लोग यह क्लिग चाहते हैं कि लेजिस्लेचर का रिसेस था या नहीं ? अगर आपका फैसला यह है कि लेजिस्लेचर का रिसेस नहीं था तो इसके पटल पर आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है । अगर इस तरीके से इसको कर दिया जायेगा तो यह एक मिनट भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं रुक सकता। आप भी बहुत पढ़े, एक्सपीरिएन्स्ड हैं। आप इसको देखें । यह एक मिनट नहीं रुक सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पंचानन—

इस प्रदेश में इस बात के उदाहरण मौजूद हैं कि जब एक सदन सत्र में था और दूसरा नहीं था, तब अध्यादेश जारी किये गये थे। पिछली सरकार ने भी आरक्षित समूह अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में ऐसा किया था। तब उसके पक्ष में भारत के सालीसिटर जनरल ने यह कहा था कि जब एक सदन चल रहा हो और दूसरा न चल रहा हो, गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सालीसिटर जनरल ने जब यह व्यवस्था दी थी तब यह आर्डीनेन्स जारी किया गया था और विधान परिषद् का सत्र नहीं चल रहा था तो इसमें अनियमितता क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय लाइयर सदस्य, फखरे आलम साहब ने और पंचानन राय जी ने तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने-अपने विचार इस संबंध में व्यक्त किये। श्री मोहन सिंह ने यह प्रश्न उठाया कि यह अध्यादेश सदन के पटल पर नहीं लाया जा सकता क्योंकि विधान परिषद् आहूत हो चुकी थी और विधान सभा सत्र में थी। ऐसी स्थिति में यह अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। इसके संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह विचार व्यक्त किया कि तकनीकी आधार पर, कायदे कानून के अन्तर्गत तो यह अध्यादेश जारी हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह जारी नहीं किया जा सकता। और श्री फखरे आलम ने उसकी हेडिंग जो है अनुच्छेद 213 में है जो उन्होंने अंग्रेजी की किताब से पढ़ा है "उसमें पावर आफ गवर्नर टु प्रोमलगेट आर्डिनेन्स ड्यूरिंग रिसेस, आफ लेजिस्लेचर" लेकिन संविधान के हिन्दी के संस्करण में यह अध्याय 4 है, और उसमें "राज्यपाल की विधायनी शक्ति," दिया है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 213 में यह है कि "उस समय को छोड़ कर जब विधान सभा और विधान परिषद् वाले राज्यों में दोनों सदन सत्र में हो" इस तरह का वर्णन है। तो जहां तक वह अंग्रेजी और उसका अर्थ निकालने की बात कही गयी उसका अर्थ निकालने में शायद हम इतने सक्षम न होते। अच्छा हुआ उसका अर्थ निकालने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे मामले में पहले भी आपत्तियां उठ चुकी हैं। वह आपत्तियां उठी हैं 1952 में, अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति के संबंध में और अध्यादेश मेज पर रखने के सम्बन्ध में। जहां तक यह अध्यादेश जारी करने का प्रश्न है, उसमें जब दोनों सदन सत्र में हों, वही एक स्थिति है जिसमें कि राज्यपाल का कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं होता। यहां एक सदन तो सत्र में था, दूसरा सदन सत्र में नहीं था उसका सत्रावसान हो चुका था। यह अवश्य है कि वह आहूत हो चुका था। परन्तु उसका सत्र में होना उस दिन प्रारम्भ होगा जिस दिन बैठक होगी। आहूत होने का मतलब यह नहीं है कि वह सत्र में है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न व्यवहारिकता और अन्य चीजों का है, उस संबंध में राज्यपाल को देखना है। जैसा कि पहले ही निर्णय हो चुका है राज्यपालका अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में, परिस्थितियों के संबंध में, निर्णय करना उनकी स्वविवेक पर निर्भर करता है। उस पर न ही न्यायालय में और न ही सदन में चुनौती दी जा सकती है। जहां तक अध्यादेश को मेज पर रखे जाने के सम्बन्ध है इसमें कोई आपत्ति नहींउठायी जा सकती, ऐसा निर्णय पहले हो चुका है। तो पूर्व हुए निर्णयों पर आधारित अपना निर्णय मैं आपके सामने देता हूं कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था और अध्यादेश जारी किया गया। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश समाजविरोधी तत्व निवारण अध्यादेश 1980 को सदन के पटल पर रख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश समाज विरोधीतत्व निवारण अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1980†

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्सी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थसंशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

जिला जेल फैजाबाद में बंदियों के मध्य हुई मारपीट की घटना के संबंध में एक सदस्यीय जांच आयोग की जांच रिपोर्ट‡

कारागार मन्त्री (श्री छेदालाल चौधरी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से 17 जनवरी, 1975 को जिला जेल, फैजाबाद में कुछ विचाराधीन बन्दियों तथा कुछ सजायाफ्ता बन्दियों के मध्य हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में, एक सदस्यीय जांच आयोग की जांच रिपोर्ट को ज्ञापन सहित कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 से संबंधित शुद्धि-पत्र†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 3942 सं0/सत्रह 78–275 सं0–69, दिनांक 31 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 से संबंधित शुद्धि-पत्र अधिसूचना संख्या 2547–सं0/सत्रह–79–275 सं0–69, दिनांक 4 मई, 1979, जो दिनांक 30 अगस्त, 1979 को सदन के पटल पर रखा गया था तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 तथा इसके संबंध में जारी किये गये शुद्धि-पत्र†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस0 आर0 530/दस–500(82)–75, दिनांक 30 जनवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 तथा उसके सम्बन्ध में जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या एस0 आर0–2362/दस–500(82)–75, दिनांक 1 जून, 1979 सहित, जो दिनांक 30 अगस्त, 1979 को पटल पर रखा गया था तथा जिसके पटल पर रखे रहने के निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

[श्री अम्मार रिजवी]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1188–बी 33–127–78, दिनांक 20 जून, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975, जो निर्दिष्ट कालावधि पूरी न होने के कारण दिनांक 25जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर पुनःरखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप फिर भी पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन††

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (जो 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि से संबंधित है) को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू0पी0 स्टेट हैंडलूम कारपोरेशन लि0 का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन 1976 77††

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0पी0 स्टेट हैंडलूम कारपोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (बीसवां संशोधन) नियमावली, 1979†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 31/1–79 (507)–रा–8, दिनांक 15 नवम्बर, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (बीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76, 1976–77, 1977–78 एवं 1978–79†††

उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)––

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76, 1976–77, 1977–78 एवं 1978–79, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए, की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।
††छापा नहीं गया ।
†††छाप नहीं गय ।

दि उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण 1977–78†

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण 1977–78, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए, की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 1980 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 1980 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अगस्त, 1980 को प्राप्त कर ली गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एव प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा––

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जुलाई, 1980 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अगस्त, 1980 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अगस्त, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाए

श्री अध्यक्ष––

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, दोषसिद्धि कारावासित किये जाने, रिहाई की सूचना संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हुई है:––

श्री छत्तर सिंह, सदस्य, विधान सभा, बुलन्दशहर,
श्री राम स्वरूप निगम, सदस्य, विधान सभा, सहारनपुर,
श्री चन्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा, मथुरा,
श्री किरनपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, बुलन्दशहर,
श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, मेरठ,
श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा, मेरठ,
श्री विजय सिंह राना सदस्य विधान सभा, आगरा,
श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, मुजफ्फरनगर,
श्री हुकम सिंह सदस्य, विधान सभा, मुजफ्फरनगर,

†छापा नहीं गया

[श्री अध्यक्ष]

श्री भगवान दीन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा, कानपुर,
श्री मेंहदी असगर, सदस्य, विधान सभा, मुजफ्फरनगर,
श्री जमुना प्रसाद, सदस्य, विधान सभा, बाराबंकी,
श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा, बस्ती,
श्री राम आसरे पासवान, सदस्य, विधान सभा, बस्ती,
श्री हर गोविन्द वर्मा, सदस्य, विधान सभा, सीतापुर,
श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, सदस्य, विधान सभा, बस्ती,
श्री माता प्रसाद पांडे, सदस्य, विधान सभा, बस्ती,
श्री काजी मोहीउद्दीन, सदस्य, विधान सभा, सहारनपुर,
श्री राम सागर, सदस्य, विधान सभा, बाराबंकी,
श्री संत बक्स रावत, सदस्य, विधान सभा, लखनऊ,
श्री मुख्तार अनीस, सदस्य, विधान सभा, सीतापुर,
श्री हरी किशन श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा, कानपुर,
श्री रुद्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा, देवरिया,
श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा, कानपुर,
श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा, जालौन,
श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा, देवरिया,
श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य, विधान सभा, देवरिया,
श्री कुबेर भंडारी, सदस्य, विधान सभा, देवरिया,
श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा, देवरिया,
श्रीमती पारवती देवी, सदस्य, विधान सभा, बाराबंकी,
श्री अनवार मुहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा, फर्रुखाबाद,
श्री राधेश्याम वर्मा, सदस्य, विधान सभा, फर्रुखाबाद ।

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, दोषसिद्धि, कारावासित किये जाने तथा रिहाई की सूचनायें इस सचिवालय द्वारा जारी किये गये बुलेटिन संख्या 5, 6, 7 एवं 8 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बहुत से लोग आ चुके हैं, कम से कम आप इतना तो पूछ लें कि खैरियत से दिन कटे जेल में या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

रोज की तरह स्वस्थ और चैतन्य दिखायी पड़ रहे हैं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना की कुछ सूचनायें आयीं थीं जो संबंधित लोगों को स्पष्टीकरण हेतु भेजी गयी हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक सूचना मेरी थी ।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो सूचना दी थी वह भेज दी गयी है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, पहले सुन लें । जब विशेषाधिकार की सूचना दी जाती है तो पहले सुन लिया जाता है । यह प्रथा रही है । आपके पूर्व जो पीठासीन अध्यक्ष रहे हैं, जिस दिन विशेषाधिकार की सूचना आती थी वह सदन में पढ़ दी जाती थी । मैंने एक नोटिस दी है ।

श्री अध्यक्ष--

मोहन सिंह जी बैठें, ऐसी कोई परम्परा नहीं रही । मेरी जानकारी में जो लाया गया है उसके अनुसार ऐसी कोई परम्परा नहीं है । आपकी सूचना एक त्र के सम्बन्ध में आयी है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, "नेशनल हेराल्ड" के संपादक के विरुद्ध मैंने सूचना दी है । उसमें बड़ी लम्बी साजिश है कई लोगों को भेजना पड़ेगा । मान्यवर, 12 अगस्त के अंक में इस आदरणीय सदन के संबंध में संपादक "नेशनल हेराल्ड" ने कुछ टिप्पणी की है और आपकी कार्यशैली के बारे में काफी विस्तार से विवरण दिया है और कहा है कि आप पहले कार्यस्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लेते हैं और बोलने की इजाजत देते हैं । आप बार बार ऐसा करते हैं कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी टलता जा रहा है । यह आपके ऊपर आक्षेप है जो इस आदरणीय सदन का अपमान है । और मान्यवर, इसमें एक साजिश है कि यह कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे वारिश हैं । इसके माने गाली तो हमको देंगे लेकिन 398 लोग उस समय हम भी जीतकर आये थे किन्तु मुख्यमंत्री को दिल्ली से बुलाकर यहां बैठाया था और यह भी मुख्यमंत्री को दिल्ली से लाये हैं जिसके माने इनको भी यहां पार्टी में कोई काबिल नहीं मिला था । आदरणीय पीठासीन अधिकारी को वहां बैठाया गया और मान्यवर, आप ही बाद में वहां आसन ग्रहण करेंगे । संपादक के यह लिखने के बाद मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने उनको घर पार्क रोड में आवंटित करने के लिये कह दिया है । तो जब यह मामला विशेषाधिकार समिति में जायेगा तो सारी बातें खुल जायेंगी ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मुख्य मंत्री के खिलाफ हमने एक सूचना विशेषाधिकार की दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

इसको सुनने की आवश्यकता नहीं है । आप बैठ जायं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, 27 को जो हाउस पोस्टपोन किया गया उसके संबंध में मैंने एक सूचना दिया था उसमें आप बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

सबसे पहले सदन जब प्रारम्भ हुआ तो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस सम्बन्ध में पूछा था तो इसके संबंध में मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी जांच की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह की सूचना के बारे में संपादक को विशेषाधिकार की सूचना भेज दी गयी है । इसलिये उनका उत्तर आने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरी एक विशेषाधिकार की सूचना स्वायत्त शासन मंत्री, श्री राम सिंह खन्ना के खिलाफ दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सब सूचनाओं को भेज दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह कहां भेज दी गयी है और वह कब वापस आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप पुराने सदस्य हैं इसलिये यह तो आप जानते ही हैं।

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अष्टम विधान सभा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9(1) के अन्तर्गत बुधवार, दिनांक 27 अगस्त, 1980 की तिथि निर्धारित की थी। इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय नेता विरोधी दल के आग्रह पर मने उक्त पद के निर्वाचन की तिथि को स्थगित कर दिया है और यह निर्वाचन अब शुक्रवार, 29 अगस्त, 1980 को प्रश्नोत्तरकाल क बाद होगा। उक्त नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्थापित तथा समर्थित किये जाकर गुरूवार दिनांक 28 अगस्त, 1980 को मध्यान्ह 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं। नाम-निर्देशन पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेज दिया गया है।

विधान सभा की कतिपय समितियों व अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना दिनांक 17 अगस्त से 26 अगस्त, 1980 तक विधान सभा का अधिवेशन स्थगित रहने के कारण वर्ष 1980-81 के लिये लोक लेखा समिति के लिये 21 सदस्यों, प्राक्कलन समिति के लिये 25 सदस्यों, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिय 25 सदस्यों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के लिये 21 सदस्यों, मंत्रियों को परामर्श देने वाली 29 स्थायी समिति में प्रत्येक में 14-16 सदस्यों, राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिये तीन सदस्यों, जिसमें कम से कम एक महिला होगी तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के लिये 5 सदस्यों के निर्वाचनार्थ जो कार्यक्रम पहले निर्धारित किया गया था उसमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इन समितियों के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है--

1--नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1980 को अपरान्ह 4 बज तक।
2--नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शनिवार, दिनांक 6 सितम्बर, 1980 को अपरान्ह 3 बजे (सचिव, विधान सभा के पक्ष में।)
3--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 1980 को अपरान्ह 5 बजे तक।
4--निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो--	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए।	गुरुवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को मतदान पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 5 बज तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

तथा (ख) 29 स्थायी समितियों के लिये-- .. शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1980 को मतदान पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक, विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

इस परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना माननीय सदस्यों को पत्र द्वारा दी जा चुकी है।

गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के हड़तालियों पर लाठी चार्ज के संबंध में वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28 जुलाई, 1980 को गाजियाबाद में पुलिस द्वारा हड़तालियों पर लाठीचाज नहीं किया गया था। दिनांक 23 जुलाई, 1980 को एक स्थानीय कारखाने म शांति भंग होने की सम्भावना के सम्बन्ध में श्री बालेश्वर त्यागी, एडवोकेट तथा तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया था और इस पृष्ठभूमि म श्री त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी क माध्यम से दिनांक 27 जुलाई, 1980 से घंटाघर के पास सार्वजनिक मार्ग पर तख्त तथा तम्बू से स्थान घेर कर क्रमिक भूख हड़ताल प्रारम्भ की जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न हो गया। दिनांक 28 जुलाई, 1980 को इन भूख हड़तालियों ने और तख्ते डालकर रास्ते को एकदम अवरुद्ध कर दिया जिससे यातायात ठप्प हो गया। पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कायकर्ताओं से मार्ग खाली करने का बार-बार अनुरोध किया। जब उन्होंने अवरुद्ध मार्ग खाली नहीं किया तो मजबूर होकर पुलिस ने हड़तालियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उस स्थान पर रखे तखत और तम्बू को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो हड़ताल पर बैठे व्यक्ति एवं उनके समर्थकों ने विरोध करते हुए तम्बू के बांसों इत्यादि से पुलिस पर प्रहार कर दिया जिसके फलस्वरूप तीन सिपाहियों को चोटें आई। अतः गिरफ्तारी हेतु न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग करके सात व्यक्तियों को धारा 147,148,332,353,324, 323 भा0 दं0 वि0 तथा 34 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में से केवल पांच को इस घटना में साधारण चोटें आई और शेष दो के कोई चोट नहीं पाई गई। इस आन्दोलन का गाजियाबाद की सामान्य स्थिति पर कोई कु प्रभाव नहीं है व स्थिति शांतिपूर्ण है।

मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित वक्तव्य पर आपत्ति

(1 बजकर 30 मिनट)

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी 13-8-80 को मुरादाबाद नगर में तथा उसके बाद प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर घटित साम्प्रदायिक घटनाओं के संबंध में (व्यवधान)।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बयान से काम नहीं चलेगा.....(व्यवधान) एक साजिश के अधीन सरकार ने प्रदेश के (शोर)

श्री अध्यक्ष--

कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे....

सुन तो लें क्या हुआ है.....

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हम ने पूरा पढ़ लिया है। यह कार्य स्थगन प्रस्ताव.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया पहले बैठ जायं। बाद में सुनूंगा। (शोर) बैठ जायं (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय मुख्य मंत्री किस नियम के अन्तर्गत बयान दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

नियम बताता हूं। मुरादाबाद और इससे सम्बन्धित स्थानों पर अन्य जो घटनायें हुई हैं, वे ऐसी घटनाएं नहीं हैं जिस में हम या कोई माननीय सदस्य या शासक दल गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श नहीं करना चाहते। मैं स्वत: आप से कहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से इसको एक गम्भीर घटना मानता हूं। उस सम्बन्ध में माननीय मुख्तार अनीस साहब ने कहा है कि किस नियम के अन्तर्गत मंत्री जी का वक्तव्य होगा। प्रति दिन का अजेंडा देखें, उसमें रहता है, मंत्री अगर कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

एक सदस्य--

कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था मैं दे रहा हूं। जो नियम है बतला रहा हूं।

एक सदस्य--

इस समय माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकते थे। कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। उस बहस को टालना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिये। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) सुन लें। आप तो नियम जानते हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

बयान दे कर अपने कुकर्मों को छिपाना चाहते हैं। कौन सा नियम है?

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई चीज छिपाने की और कोई आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। आप भी बैठ जायं। आप भी मेम्बर हैं।

एक सदस्य--

उस तरफ से हंसने की आवाज आती है।

नोट--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य वाही से निकाल दिया गया।

मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित वक्तव्य पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--
मैंने रोका।

एक सदस्य--
इस मसले की गम्भीरता को समाप्त किया जा रहा है। सिर्फ लिखित बयान दे देना इस मसले का हल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--
मैं निश्चित रूप से आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला बहुत गम्भीर है।

(एक सदस्य के खड़े रहने पर) आप बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूं। आप कृपया बैठ जायं। आप कृपया बैठ जायं।

एक सदस्य--
अजेंडे में आइटम आता उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री को बयान देने का मौका दे देते। यह ऐसे ही है कि प्रश्न मिला नहीं जवाब देने लगे। जो आगे कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ रहा है।

श्री अध्यक्ष--
आप कृपया बैठ जाइये। आप बैठ जायं। आप मेरी बात सुन लें। आप खड़े हो जायेंगे तो कैसे काम चलेगा?

एक सदस्य--
नियमों का पालन सदन में करवाइये।

श्री खैरुल बशर--
आपको कैसे मालूम हो गया कि माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--
यह मेरे पास वक्तव्य की कापी आयी है। आपके पास भी वक्तव्य की कापी गयी होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
लेकिन हमारे पास नियमावली की भी कापी है। उसको देख लीजिये। नियमावली के तहत इस आइटम पर माननीय मुख्य मंत्री को अधिकार था वक्तव्य देने का जब वह आता तब सहर्ष वक्तव्य देते। नियमावली के अन्तर्गत काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष--
आप बात सुन लें। मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मान्यवर, आप बोलते रहेंगे या मेरी बात भी सुनेंगे।

एक सदस्य--
प्रदेश जिस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है उस पर आप ध्यान देना नहीं चाहते।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले आप मुझे सुन लें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर तथा शोरगुल करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

एक सदस्य --

जिसके राज्य में मुरादाबाद कांड हो गया उनको इस्तीफा दे देना चाहिये ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा एक साथ पुनः शोरगुल करने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा --

इस तरह की [* * *] नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग बैठे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी --

[* * *]

(व्यवधान तथा शोरगुल) (नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस तरह से यह विधान सभा नहीं चलने दी जायेगी ।

(व्यवधान तथा शोरगुल) नेता विरोधी दल खड़े हुए लेकिन उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां --

[* * *]

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री राजेन्द्र सिंह --

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुरादाबाद का प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष--

केवल इस पर बोलें कि वक्तव्य दिया जा सकता है कि नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह --

नहीं दिया जा सकता। हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव इस पर आ चुका है। यदि मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देने का अधिकार होता तो एजेन्डे में उसका उल्लेख होना चाहिये था। आज के एजेन्डे में यह कहीं लिखा नहीं है। मान्यवर, आप एजेन्डा देख लें। उसमें लिखा होना चाहिये था "मंत्रियों के वक्तव्य यदि कोई हों"। इसमें नहीं है। मान्यवर, यह सब जानते है, आप भी जानते है और मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं कि जिस दिन सदन बैठेगा इस घटना को विरोधी पक्ष निश्चित रूप से नियम 56 के अन्तर्गत उस दिन कार्य - स्थगन का प्रस्ताव रखेगा। यह बात सभी जानते है। यदि मुख्य मंत्री जी को कोई वक्तव्य देना था तो उसको एजेन्डे में आना चाहिये था। यह एजेन्डा रात्रि को ही छपा है। यदि कल तक आपका कोई इरादा होता तो इसे आज आ जाना चाहिये था। हमारे इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को बाई-पास करने के लिए आप बिना एजेन्डे में उसका उल्लेख किये वक्तव्य ले आये। यह नहीं होना चाहिये। मेरा यही निवेदन है कि इस पर हमने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है --

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है --

श्री अध्यक्ष --

व्यवस्था के प्रश्न पर ही तो नेता विरोधी दल बोल रहे हैं।

नोट--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय ---

व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि आय-व्ययक पर बहस के दौरान इस बारे में कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था नहीं होती। आप बैठें (व्यवधान) । कृपया बोल लेने दें।

श्री राजेन्द्र सिंह ---

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मुरादाबाद के बाबत सत्ता पक्ष से ज्यादा विरोधी पक्ष चिन्तित है और सत्ता पक्ष इसकी गम्भीरता को न लेकर उसको बाई-पास करने की कोशिश कर रहा है। आप समझते है कि कार्यस्थगन आने पर पहले हम वक्तव्य दे दें। इस वक्तव्य से क्या होगा। और फिर आपके वक्तव्य तो निकलते रहते है। मुख्य मंत्री का वक्तव्य, प्रधान मंत्री का वक्तव्य, माननीय मकवाना का वक्तव्य, सेठ जी का वक्तव्य। किस-किस पर आप विश्वास करेंगें। इनके वक्तव्य में अब कोई विश्वास नहीं रह गया है। आज ही प्रधान मंत्री का वक्तव्य निकला है। सब ने कट्रेरी स्टेटमेंन्ट दिया है। इसलिए किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह वक्तव्य नहीं आना चाहिये था। यही मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ---

मान्यवर, जो व्यवस्था के प्रश्न में रखना चाहिये था, माननीय नेता विरोधी दल नें उसी बात को रख दिया लेकिन उसमें एक तर्क और जोड़ देना चाहता हूं कि हमें नियमों के अधीन कार्य करना है। यह बात सही है कि शासन की ओर से मंत्रियों को किस समय वक्तव्य देने का अधिकार है यह सापेक्ष कर दिया है नियमावली में। यह नियमावली के आखीर में पृष्ठ 90 पर दिया हुआ है आइटम नं 0 15 अध्यक्ष की व्यवस्थायें अथवा घोषणा होगी और उसके बाद मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य होगे। इस तरह से सापक्ष आग्रेता का प्रश्न क्रम होगा। इसलिए जो वक्तव्य हुआ उसे कार्यसूची में आना चाहिये था। यह कार्यसूची में नहीं है। आप सदन में वक्तव्य देगें, यह एजेन्डे में उल्लख होना चाहिये था। उसके अतिरिक्त नियमावली में नियम 110 में भी दिया हुआ है जिसमें कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव शासन की तरफ से होना चाहिये था। वह प्रस्ताव आया नहीं। इसलिए मेरा साफ मत है कि इसी मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देने की आज्ञा नहीं दें सकते ··· (व्यवधान) मैं अपनी बात पूरी कर लूं।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कहीं भी धारा 315 उसके उपखंड 16 की जो बात कह रहे हैं उसमें यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बन सकता है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं उनकी बात सुन लें।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

यह नेता सदन के वक्तव्य का सवाल है ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ---

आप बैठें, पहले उनकी बात सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि मुरादाबाद में जो कुछ हुआ उसमें सम्पूर्ण प्रदेश चिन्तित है। लेकिन सरकार की ओर से जो इस तरह की व्यवस्था की गयी है, कुछ तत्वों की साजिस को

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

जो सफलता मिली है उसको दबाने में शासन को असफलता मिली है उससे आज सम्पूर्ण प्रदेश अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी को लेकर इस सदन में माननीय नेता विरोधीदल और अन्य नेताओं की बात होगी। उस पर विचार करने का मौका आ रहा है। जानबूझ कर समस्या की गम्भीरता को समाप्त करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने पद का दुरूपयोग करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी साफ-साफ मांग है कार्य-स्थगन का प्रस्ताव जो आपके सामन है उसे ग्राह्य करें। उसके बाद नियमानुसार जो बहस चलेगी उसमें माननीय नेता सदन को भी जबाब देने का मौका मिलेगा और शासन का दृष्टिकोण सामने आयेंगा। यहां पर शासन की अव्यवस्था की धज्जियां उड़ायेंगें। उस पर जो माननीय मुख्य मंत्री जी बोलना चाहेगें, बोलेगें। इसलिए समस्या की गम्भीरता को समाप्त करने की चेष्टा न करें। इसके अतिरिक्त इस संबंध में और कुछ कहना प्रीमैच्योर बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं कार्यो-स्थगन के प्रस्ताव पर बल दता हूं। बिना नियमों के निलम्बन किये मुख्य मंत्री जी को बयान देने का अवसर न दें। नियमों को निलम्बित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी दूसरा आइटम आ रहा है जिसमें इस पर विचार किया जा सकता है।

*श्री रियासत हुसैन--

श्री मन्, बड़े दुख की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य पढ़ना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि जो मुरादाबाद में घटना हुई है इतिहास के अन्दर इतनी बड़ी दुर्घटना आज तक नहीं हुई। माननीय सदन के लोगों को जिस तरीके से इस में दिलचस्पी है उसमें क्वैश्चन आवर में ही यह बात शुरू हो जानी चाहिएथी लेकिन नियमों से बंधे होने के कारण माननीय सदस्यों ने नियम 56 में, नियम 103 में या जिस प्रकार भी हो नियमानुसार यह सूचना आपको दी है। मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री या शासक दल जो है उनके मंत्रियों का चाहे वह केन्द्र के हों या प्रान्त के उनके लिए मुरादाबाद की दुर्घटना एक रिक्रेयेशन सेंटर बन गया है। एक दिन में सात आठ मंत्री मुरादाबाद पहुंच गये और अब इस सदन में यह डिक्लेयर करने के लिए जिसका सारा निचोड़ है कि जुडिशियल इन्क्वायरी एपांइट कर दी गई है....

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोले।

श्री रियासत हुसैन--

वही कर रहा हूं कि गंभीरता को खत्म करने के लिए यह कह देंगे इंक्वायरी एपाइंट कर दी है ताकि नियम 56 और 103 की सूचनाओं की गंभीरता कम हो जाय। इसमें माननीय मुख्य मंत्री को मौका मिलेगा कि जुडिशियल इंक्वायरी डिक्लयर कर दी है। इसलिए नियमों के आधार पर कहीं भी बीच में खड़े हो कर स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दें उनको अधिकार नहीं दिया है। इसलिए यह वक्तव्य पढ़ने का उनको अधिकार नहीं है यह हमारा विचार है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, दो सवालों को एक साथ माननीय सदस्य मिला रहे हैं। आपने एतराज किया पर माननीय नेता सदन के खड़े होने पर। मुरादाबाद की घटना क्या है यह मेरे बहस नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या नेता सदन किसी बयान को लेकर सदन में खड़े हो सकते हैं या नहीं यह नेता सदन का अधिकार है--जितनी भी संसदीय परम्परा हैं, मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस आदि हैं, उन्हें निकाल कर आप देखें। नेता सदन का यह कर्त्तव्य है और हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा नहीं है, लोक सभा की परम्परा रही है और इस आदरणीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन की परम्परा रही है कि नेता सदन किसी भी वक्त किसी भी विवाद में हस्तक्षेप कर सकता है या नेता सदन, इस सदन को किसी भी समय कोई भी सूचना दे सकता है।

(व्यवधान) (शोर–घोर व्यवधान)

किसी भी बयान को किसी भी समय लेकर वह सदन में आ सकता है और कोई भी कभी भी इसमें किसी प्रकार की रूकावट नहीं हैं ..... (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

कोई आकस्मिक घटना होगी तो ऐसा होगा वरना नहीं। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

नेता सदन की अपनी अलग परम्परा, अलग नियमावली और कायदे–कानून की संसदीय परम्परा रही है। जहां तक रियासत हुसैन साहब का कहना है कि मुरादाबाद की घटना पर पर्दा डालने के लिए प्रयास किया गया है तो इससे इसका कतई संबंध नहीं, है। उसके बारे में जो भी कामरोको–प्रस्ताव या बात करना चाहें, कहें, लेकिन मुख्य मंत्री के इस बयान का मुरादाबाद की घटना से क्या सम्बन्ध है। वहां की घटना के बारे में आप जो भी चर्चा करना चाहे, नियमानुकूल करें। मुख्य मंत्री का बयान अपनी जगह संसदीय परम्परा के अनुरूप और पूर्णरूप से उचित है। क्या आप उनको बयान नहीं देने देंगे।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मुरादाबाद में एक चीज होने वाली है, आप बम गिरवायें, देखें कैसे रोकेंगे...

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम—

जो असली चीज है, मुरादाबाद में वह घटना हुई है जो कभी 1857 में भी नहीं हुई है..... (व्यवधान) हमें बोलने का हक है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या इस तरह से इस पर चर्चा होगी, अभी तो यह देखना है कि यह नियमानुसार है भी या नहीं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए, आप कितनों को मारेंगे, कितनों का खून बहाएंगे, गोलियों से हम नहीं दबने वाले हैं..... (शोर) आप कितने घर जलाएंगे ?

श्री पंचानन—

यह पूरे प्रदेश में संकट है। इस पर इस तरह से हंगामा करके आप क्या नतीजा निकाल पाएंगे। (व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

आप में से किसी का घर जला होता तो मालूम होता। आप क्या बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह—

इसमें पूरे अमेरिका और उनके लोगों का हाथ है..... (व्यवधान) उद्योग मंत्री नश्तर के बयान से यह चिंगारी और बढ़ी है।

(श्री फखरे आलम के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय फखरे आलम साहब, आप सुन लें। आपको जो मौका दिया है आप केवल इस पर कहें कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर वक्तव्य दे सकते हैं या नहीं। जो प्रदेश में घटनायें घटी हैं, उनके गुण और दोष पर मत कहिए।

श्री फखरे आलम—

मैं इसी प्रश्न पर कहना चाहता हूं, आप मुझे मौका तो दें जनाबे वाला। जो बात हैं इस समय कहना चाहता हूं वह यह हैं कि जब नियम 56 और नियम 103 की नोटिस दी गयी और यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है तो हम इस पर सदन में पूरी चर्चा करना चाहते हैं और मेरा यह निवेदन है कि सदन को इस बारे में एक राय होकर काम करना चाहिए। इस पर हमें जजबात में भी नहीं बहना चाहिए।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, सदन तो एक मत का है। मुरादाबाद की घटना से हम सभी दुखी हैं।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाजपेयी जी, सदन को चलाने में हमारी सहायता करें।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आया जिसे साइक्लोस्टाइल कराकर सब में बांट दिया गया। हम लोगों ने नियम 56 और नियम 301 में नोटिसें दी, जो आपके पास मौजूद हैं और जिन पर आपको आदेश देना है। तो मेरा कहना केवल यह है कि यह मुनासिब नहीं है कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री का कोई वक्तव्य हो, बयान हो। सदन को इस पर बहस का मौका मिलना चाहिए ?

श्री भीखालाल—

माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार का वक्तव्य दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने सदन में रखे हैं, उनसे मैं सहमत हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में नियमों से परे नहीं हैं। माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री को सदन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है लेकिन मेरा कहना है कि यदि कोई विषय सदन में चल रहा हो तभी मुख्य मंत्री हस्तक्षेप कर सकते है। यह विषय सदन में नहीं चल रहा है। हम लोगों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। मुरादाबाद और प्रदेश में अन्य स्थानों पर जो घटनायें घटित हुयी हैं, उनसे हम लोग सभी चिन्तित हैं, सरकार भी चिन्तित है। मैं सदन में कोई ऐसी बहस नहीं चाहता जिससे शांति व्यवस्था प्रदेश में बिगड़े बल्कि यह चाहता हूं कि जिससे मुरादाबाद और दूसरी जगहों में शांति स्थापित करने में मदद मिले, कोई रास्ता निकले। अगर माननीय मुख्य मंत्री का यह विचार है कि सदन में बहस करने से जो प्रदेश की स्थिति है, उस पर काबू पाने में मदद नहीं मिलेगी और वक्तव्य देने से संतुष्टि होगी तो हम लोगों को भी बुला लिया जाता और सब को कौफिडैन्स में लिया गया होता। हमको अगर संतुष्टि होती तो किसी वक्तव्य की जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने इस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में, मैं विरोधी दल के नेता से सहमत हूं कि मुख्य मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकते हैं।

ग्राम्यविकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा ही गम्भीर है विषय की गम्भीरता जो है जितना विरोध पक्ष में बैठने वाले महसूस कर रहें हैं उससे कम हम लोग नहीं महसूस कर रहे हैं।

मुझे तो यह उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत किया जायगा..... (शोर व्यवधान) यह सरकार किसी चीज को छिपाने नहीं जा रही है, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो या नेता हो, किसी को बचाने यह सरकार नहीं जा रही है।

जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है, मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के पृ0 332 को आप देखने की कृपा करें, उसमें साफ साफ दिया है कि मिनिस्टर या लीडर आफ दि हाउस को किसी भी डिबेट में इन्टरवीन करने का अधिकार है..... (शोर व्यवधान) आप मेरी बात पूरी सुन तो लें। उसके अनुसार सदन में सूचना देने का मुख्य मंत्री जी को पूर्ण अधिकार है। उसमें अध्यक्ष की आज्ञा की भी कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आप पेज 332 की आखिरी लाइन को देख लें। (व्यवधान) मामला केवल इस बात का है कि अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव आता तो इसका सेहरा विरोधी दलों के सर पर बंध जाता, सरकार खुद सारे तथ्यों को सदन के सामने ले आयी है तो उनको वह पसन्द नहीं है, वह स्वीकार नहीं है उनको। पोलिटिकली इसका कैसे फायदा उठाया जाये इसकी साजिश चल रही है। इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनको सामने लाया जायेगा। माननीय नेता सदन को पूरा अधिकार है यह वक्तव्य देने का। एजेन्डे में एक कालम दिया हुआ है उसमें मंत्रियों का वक्तव्य आ सकता है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, 19वें आइटम के अन्तर्गत यह वक्तव्य नहीं आ सकता। सत्ता पक्ष, मुझे अफसोस है, एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका कि किस धारा के अन्तर्गत यह वक्तव्य दिया जा सकता है। हम नियम से चलना चाहते हैं और यह सत्ता पक्ष नियमों को तोड़ने पर उतारू है। नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत यहां पर बिना सूचना के कोई वक्तव्य दिया जा सकता है और उस नियम में 10 बातें हैं--संवेदना या बधाई का प्रस्ताव, उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव, अजनवियों को हटाने का प्रस्ताव,समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव, किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, वाद विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव, किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव, किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, इनमें से किसी के भी अन्तर्गत आज का यह वक्तव्य नहीं आता है और बहुत सीधे तौर पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव मौजूद है। आप उस मद तक पहुंच चुके हैं। तो हमारा तो नम्र निवेदन है मुख्य मंत्री जी से कि उन्हें यह साहस ही नहीं करना चाहिये था कि वह वक्तव्य देते। मान्यवर, आप इतना उदार न बनें कि नियम टूट जाय।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं ग्राह्यता पर बोलने जा रहा हूं। मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है और इससे देश और प्रदेश की जनता दुःखी है,हम सभी दुःखी हैं। ऐसे प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य दे रहे हैं। मान्यवर, इस वक्तव्य को ग्राह्यता के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि एक आम स्वीकार्य रास्ता निकाल लिया जाय जिससे प्रदेश में शांति और सद्भाव स्थापित हो सके। इसलिये इस गम्भीरता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य देने के अधिकार को माननीय सदन को स्वीकार कर लेना चाहिये और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे शांति स्थापित हो सके। मान्यवर, मुझे यह कहना है कि यह वक्तव्य मुख्य मंत्री जी दे सकते हैं, इसको मुझे कबूल कर लेना चाहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न जो उठा, उसके संबंध में मुझे कहना है। मान्यवर जब मामला नियम 56 के अन्तर्गत विचाराधीन है। नं0-2 माननीय काशी नाथ मिश्रा को हाउस आफ कामन्स का अभ्यास है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री को, बिना विवाद

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

चले, हस्तक्षेप का अधिकार है। वक्तव्य और हस्तक्षेप में अन्तर है। वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। नियमों के परे, नेता सदन नियमों के ऊपर नहीं हैं। कार्य-सूची आपके सामने है, एजेंडा आपके सामने है, एजेंडा में चूंकि था, उन्होंने वक्तव्य दे दिया। तो जिस विषय पर बहस न चल रही हो, उसके परे मुख्य मंत्री जी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मुख्य मंत्री जी तो बयान रोज देते हैं, वह तो उनका कर्तव्य है, जो भी चाहे वह करें, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जुडिशियल इन्क्वायरी एप्वाइंट कर दी है, इसकी न्यायिक जांच होने जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते क्या हैं?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मुख्य मंत्री जी को सदन में वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है, संसदीय तरीके से नहीं है, अपने संविधान के अन्तर्गत नहीं है, कार्य-सूची के अन्तर्गत नहीं है।

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, प्रश्न केवल यह है सदन के सम्मुख कि क्या मुख्य मंत्री जी बीच में जब कि एजेंडा पर बहस हो रही हो, वह वक्तव्य दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, जब यह सदन की कार्यवाही चल रही थी, तो मुख्य मंत्रीजी की तरफ से या सरकार की तरफ से इस सदन के सम्मुख जो वक्तव्य है, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी, पटल पर रखदी गयी, जिसकी कापी आपके पास भी पहुंच गयी, मेरे पास भी कापी है। इसका अभिप्राय यह है कि वह सदन की प्रापर्टी हो गयी, सदन की प्रापर्टी होने के बाद क्या सरकार को या मुख्य मंत्री को अधिकार है या नहीं है। अगर हम परम्पराओं को देखें या नियमों को देखें या जो मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस को देखें या तमाम और चीजों को देखें, तो सरकार को किसी भी मंत्री को या मुख्य मंत्री को पूर्ण अधिकार है, चाहे एजेंडे में हो या न हो, वह वक्तव्य दे सकते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि यह मामला नियम 56या नियम 103में देख रहे हैं, लेकिन जब नियम 56 और 301 का नम्बर आता है और वह उपयुक्त होती है तो पास हो जाती है। यह हम सब के देखने का काम है कि यह विषय चर्चा का विषय है या नहीं। यह सारी चीजें सदन में तय होंगी और मान्यवर, आप द्वारा तय होगी। लेकिन सरकार को, मन्त्रियों और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार है कि किसी चर्चा के दौरान, जिस पर वह महसूस करें कि इससे सदन को अवगत कराना आवश्यक है, बोल सकते हैं, तर्क दे सकते हैं और वक्तव्य दे सकते हैं। उनको पूरा अधिकार है और यह सदन की परम्परा भी रही है और इन्हीं परम्पराओं के मुताबिक, नियमों के मुताबिक ऐसा किया गया है, जिसे आपको स्वीकार करना चाहिये था।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह बड़ा अहम विषय है कि माननीय मंत्रियों और माननीय मुख्य मंत्री जी को किन्हीं बातों पर वक्तव्य देने का अधिकार है या नहीं है। वैसे यह आपके सहारे और माननीय मुख्य मंत्री व नेता सदन होने के नाते किसी विषय पर जो डिबेट सदन में चल रही है, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, और कर रहे हैं, यह कोई नया विषय नहीं है। हां इतना तो माननीय मुख्य मंत्री जी कर सकते हैं कि जब कोई डिबेट सदन में चल रही हो उसमें अपने विचारों को इनिशियेट कर सकते हैं, न कि पूरा पूरा वक्तव्य दे दें। लेकिन मान्यवर, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य देने की मन्शा ही कुछ और थी क्योंकि जब यहां 103 में मुरादाबाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की स्थिति को लेकर सूचना दी गयी तो उसको माननीय नेता सदन ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन सूचनाओं पर जो बयान दिये जा सकते थे, उस पर पर्दा डालने के लिए नया मोड़ लेकर इस पर वक्तव्य देना शुरू कर दिया । इसलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार किसी मामले में गुमराह न करके सही सूचना देकर नियमों की रक्षा करें और जो अधिकार माननीय सदस्यों को दिये गये हैं नियमों के तहत उनकी सुरक्षा करें ।

(शोर)

(कई सदस्यों के बोलने के लिए समय मांगने पर)

श्री अध्यक्ष---

इस पर अब काफी चर्चा हो चुकी है और अब इस पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

क्या मान्यवर, दिन भर यही चलता रहेगा सदन का आगे का काम भी चलने दिया जाय ।

(शोर)

*श्री मोती लाल देहलवी---

यह मान्यवर, बहुत गम्भीर घटना है । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते थे कि यह विषय कार्य-स्थगन के रूप में आयेगा और मान्यवर, यह कार्यस्थगन के रूप में दिया गया । दो प्रतियों में दिया जाता है, जिसमें से एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी जाती है । जिस पर उन्होंने जानबूझ कर और आपका सहारा लेकर.....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया इसकी ग्राह्यता पर आइये ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मैं मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर ही आ रहा हूं ।

मान्यवर, आपका सहारा लेकर इसकी गम्भीरता को कमजोर करने के लिये, इस पर परदा डालने के लिये यह वक्तव्य पढ़ने खड़े हो गये । मान्यवर, इस तरह की घटनायें और इससे छोटी घटनायें इस सदन में इससे पहले घटी हैं कि जिनको दूसरे कामों को रोककर उठाया गया है । मान्यवर, रवीन्द्र सिंह की मृत्यु हुई थी, नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं, उन्होंने स्वयं यह दलील दी थी कि यह विषय गम्भीर है । इस विषय को पहले उठाया जाना चाहिये । मान्यवर, मुरादाबाद की घटना तो उससे लाखों गुना गम्भीर है, एक आदमी की मृत्यु से । मान्यवर, नियम में कहीं ऐसा प्राविधान नहीं है कि मुख्य मंत्री जी जब चाहें, वक्तव्य दे सकते हैं । एजेंडा में भी नहीं है । नियमावली के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी कब वक्तव्य दे सकते हैं, क्या शर्तें हैं, उसके अनुसार भी नहीं है । मान्यवर, आपके जरिये से यह बेइन्साफी इस सदन में नहीं होनी चाहिये ताकि भविष्य में इस तरह का कोई रिकार्ड न बने कि आप जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति के आसन पर बैठे होने के बावजूद इस घटना के साथ में ज्यादती हुई और इस विषय को नियम 56 के अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य के जरिये से कमजोर किया हो । मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि नियमावली में कहीं भी ऐसा प्राविधान नहीं है कि इसकी एक प्रति नियम 56 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हो चुकी है और इसको जानते हुए वक्तव्य देना न्यायोचित नहीं है । इस सदन के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

यह अन्याय होगा। मैं आपसे इन्साफ के नाते चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वक्तव्य देने से रोकें और नियम 56 में जो यह विषय दिया गया है, उस पर चर्चा करने का अवसर दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप सब बैठ जायें। सदस्य गण जो कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(शोर)

नेता लोक दल, श्री मोती लाल देहलवी आदि बोल चुके। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है। काफी माननीय सदस्यों ने .....

(व्यवधान)

कृपया आप लोग बैठें। निर्णय-निर्णय होता है। आपकी जैसी कृपा होगी, उस पर वैसा आरोप लगेगा। शान्त रहें। कृपया बैठें। अब कृपया इस स्थिति में हो जायें (व्यवधान) बड़ा गम्भीर प्रश्न है किसी तरह से यह आभास होना चाहिए कि वास्तव में यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

मैंने बहुत आचारण माननीय सदस्यों के देखे। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उससे नहीं लगता कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। यह पूरे देश और प्रान्त के लिए बड़ी गम्भीरता की बात है। जिस तरह की स्थिति आज है और उसको सम्हालने के लिए, उसको और न बिगड़ने देने क लिए, उसमें जो कमी हुई है उसको बताने तथा और तेज करने के लिए, यही सब विषय हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी माननीय सदस्य इस विषय में इस सदन में कार्य-स्थगन लाते हैं, या दूसरे प्रस्ताव नियम 301 में, 51 में, 52 में लाते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा मन्तव्य नहीं है। नियम 103 में प्रस्ताव पर भी चर्चा के लिए आया है। 51, 56 में भी आया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी वक्तव्य, जो आपको बांटा था और मेरे पास भी आया है, देना चाहा। चाहे मुख्य मन्त्री के वक्तव्य या 103 में चर्चा या कार्य-स्थगन के माध्यम से विषय आये या अन्य प्रकार से उसके बारे में विचार हों, इन सब के मूल में केवल एक बात होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यही बात है कि घटना जिस तरह से घटी है, और जब भी उसकी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है उसको समाप्त करने के लिए, उसको खतम करने के लिए और भविष्य में फिर न हो, इसको बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये जायें इस पर चर्चा चाहते हैं। नियम 103 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है। 56 पर, 51 पर कोई निर्णय नहीं दिया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना आपकी राय के, बिना समझे, मैं कोई ऐसी बात पैदा नहीं होने दूंगा। लेकिन आप यह कैसे चाहते ह कि मुख्य मंत्री को वक्तव्य देने से रोका जाय? नियम 315 में, 16 वें मद पर "विविध" वक्तव्य" लिखा हुआ है।

(आज नहीं है, की आवाजें)

"मंत्रियों के विविध वक्तव्य" लिखा हुआ है।

(शोर)

इस सदन में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कार्य-स्थगन प्रस्ताव, आपके नियम 103 के प्रस्ताव और जो भी प्रस्ताव इस संबंध में आये हैं उन सारे विषयों के सम्बन्ध में आप अपने विचार देंगे। इसमें सब कुछ सुनकर तब निर्णय करने की बात पैदा होती है।

कई सदस्य—

नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री वक्तव्य दे सकते हैं।

(लगातार शोर)

(सदन के बीच खाली स्थान पर आकर कुछ सदस्य बैठ गये और तानाशाही नहीं चलेगी, मुख्य मंत्री इस्तीफा दें, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, इन्दिरा गांधी की सरकार नहीं चलेगी, खूनखराबे की सरकार नहीं चलेगी आदि नारे लगाने लगे)

(सदन में घोर व्यवधान होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

मैं 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करता हूं। (इस समय 2 बजकर 26 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 2 बजकर 41 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधा घंटा और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी। 3 बजकर 11 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे और स्थगित रहने की सूचना पुनः मार्शल द्वारा दी गयी। 3 बजकर 41 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजे तक और स्थगित रहने की सूचना पुनः मार्शल द्वारा दी गयी। तदुपरान्त 4 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

अब इस संबंध में अभी माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं तथा माननीय नेता सदन, इन सबके बीच में आपसी विचार-विमर्श हुआ और इसके अलावा कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक भी बुलाई गई, इसलिए थोड़ा समय और इस संबंध में लगा। इसमें जो कुछ निर्णय हुए हैं, जब यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव वाली मद आयेगी, उस समय इन्हें आपके सामने रखा जायगा कि क्या तय किया गया है।

(व्यवधान)

कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा राज्य मन्त्री, (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित तेरह विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनःअधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित तेरह विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्ववीद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो प्रस्ताव स्वीकार हो गया है उसके सम्बन्ध में निर्वाचन की तिथियों की सूचना देनी है। इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में यह सूचना देता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बुन्देल खंड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, प्रत्येक सभा के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय।	शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1980 को अपराह्न 4 बजे तक।
नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय।	शनिवार, दिनांक 6 सितम्बर, 1980 को अपराह्न 3 बजे। (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
नामों की वापसी की अंतिम तिथि .. तथा समय।	शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक।
निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो .. मतदान।	बुधवार दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 जे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980†

पंचायती राज्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

[4 बजकर 8 मिनट]

श्रीमन्, आपकी अनुमति से उत्तरप्रदेश राष्ट्रविरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 28 अगस्त, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, यह काला विधेयक जनतन्त्रीय भावनाओं के विरुद्ध तानाशाहीपूर्ण है। यह माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद, प्रतिपक्ष के नेताओं को समाप्त करने के लिए उनको प्रताड़ित करने के लिए उनको जेल में बन्द करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसका घोर विरोध करना चाहता हूं। संविधान में इसका स्पष्ट प्राविधान किया गया है किसी को बिना कारण बताये जेल में नहीं डाला जायगा। इसमें कहा गया है कि कारण बताने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जायगा, उसको उन कारणों का बताना जरूरी नहीं है जो गोपनीय हैं। सलाहकार समिति के सामने उसका जवाब जायगा। लेकिन जिन कारणों को आदेश में नहीं दिया गया है उनका वह जवाब नहीं दे पायेगा, उसको उनका जवाब देने से वंचित रखा जायगा। इसलिए सलाहकार समिति को भेजने का केवल बहाना है। दूसरी यह व्यवस्था है कि किसी वकील के माध्यम से अपनी बात करने का संविधान में प्राविधान है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जिला अधिकारी को प्राधिकृत कर दिया गया है, कि अगर जिला अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दे तो भी अवैध नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को वह निरुद्ध कर सकता है। यह राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अस्त्र रूप में रखा जा रहा है और आपातकालीन स्थिति फिर से लागू की जाय इसका संकेत है। इस आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि जैसे नेताओं की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था उसका यह साफ-साफ उल्लंघन है। इसको पुरःस्थापित न करें। इन तर्कों के साथ इसका विरोध करता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इस काले कानून के आने से एक बार फिर इमरजेंसी का जमाना माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि इमरजेंसी के जमाने में ब्यूरोक्रेसी को जो शक्तियां दी गयी थीं उनका कितना यूज और मिसयूज हुआ वह पूरे देश और प्रदेश के सामने है और उसके मिसयूज होने के कारण ही कांग्रेस पार्टी को पिछले इलेक्शंस में उसकी सजा भुगतनी पड़ी थी। डेमोक्रेसी में सर्वोच्च शक्ति कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में निहित होती है और मुख्य मंत्री उसको हेड करते हैं। रोजाना सदन में यह सुनने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी शक्तिशाली होती जा रही है कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रह गया है। लेकिन यह जानते हुए भी इस कानून के जरिये से उसी ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात सोची जा रही है। यह इस प्रदेश की जनता के साथ बड़ा अन्याय होगा। लाख मुख्य मंत्री इस बात का आश्वासन दें कि राजनैतिक विरोधियों पर इसका अमल नहीं होगा लेकिन एक्जिक्यूट करने वाली मशीनरी आप नहीं हैं, जिले में सिपाही से लेकर दरोगा तक और यहां चीफ सेक्रेटरी तक जो मशीनरी है उस पर आपका कितना कंट्रोल है इसको मुझसे ज्यादा आप बहुत जानते हैं। यह कह कर मैं इस काले कानून का विरोध करता हूं।

श्री मोहन सिंह--

मैं एक मिनट चाहता हूं। मैंने इसको टेबिल किये जाने का विरोध किया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब सदन का सत्रावसान न हुआ हो तो उस समय क्या अध्यादेश लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

सर्व प्रथम मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि इस सम्बन्ध में आपने मुझे विचार प्रकट करने का मौका दिया। विरोधी दल के लोग जो इस अध्यादेश पर अपना एतराज प्रकट कर रहे हैं। इन लोगों को भी अध्यादेश की जरूरत पड़ी थी जब ये शासन में थे और आज उसी मुंह से ये लोग दो मुंही बातें कर रहे हैं जो इनको शोभा नहीं देता। फिर यह अध्यादेश केवल गुन्डा तत्वों से निबटने के लिये लाया गया है, शरीफ आदमियों के लिये नहीं। पता नहीं ये क्यों शंका करते हैं, क्या ये भी अपने को गुन्डा तत्व मानते हैं (व्यवधान) मैं इस बारे में स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। इस पर पूरी चर्चा न करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा बोलने पर)

मैंने अब मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है। आप लोग सदन की हर बात में बोलने का प्रयास न करें क्योंकि पुर:स्थापन पर दो-दो सदस्य बोल चुके हैं। कुछ काम तो आप लोग चलने दें। पुर:स्थापन पर इतने लोग नहीं बोल सकते।

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई आसानी से इस अध्यादेश को मैंने राज्यपाल जी के पास नहीं भेजा था, बड़ी गंभीरता के साथ भेजा था। मैं जानता हूं कि कम से कम दो घंटे इसका ड्राफ्ट मेरी टेबिल पर पड़ा रहा था। मेरे हाथ में कलम थी और सोचता रहा कि मैं दस्तखत करूं या न करूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

लिखकर कौन लाया था ?

विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं इससे वाकिफ हूं कुछ मौलिक अधिकारों की किन्हीं परिस्थितियों में हम इस पर एक कैद लगा रहे हैं और ऐसी कोई कैद बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगानी है। लेकिन मान्यवर, जब आज देश और प्रदेश ज्वालामुखी के कगार पर खड़ा हो और उस ज्वाला.....,...

एक सदस्य--

तो इस्तीफा दे दो..... (व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

भारी बहुमत में आये हैं, इस्तीफा क्यों दें। आप शर्म खाइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक बहुत बड़ा फैसला करना था कि इस परिस्थिति का दृढ़ता से मुकाबला किया जाय या कमजोरी से कोई ऐसा न हो कि इसके बाद इससे भी और ज्यादा जानें जायं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का नैतिक कर्तव्य था कि उसने यह समझा कि दृढ़ता से काम करने की जरूरत है और स्थिति का मुकाबला करने की आवश्यकता है। मैं यह सदन को आश्वास्त करना चाहता हूं कि राजनीतिक लोगों को पकड़ने की बात उसके अन्दर हुई है लेकिन राजनीतिक लक्ष्यों के कारण किसी को नहीं पकड़ा जायेगा। अगर केवल लक्ष्य रहेगा तो हजारों हजार लोगों की जानें बचाने का लक्ष्य रहेगा, शांति और अमन कायम करने का लक्ष्य रहेगा, राजनीतिक लक्ष्यों के लिये इसका प्रयोग नहीं होगा।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

इलाहाबाद का एक राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसमें यह खतरा नहीं है कि ज्यादा अवधि तक किसी को बन्द किया जाय। 12 दिन के बाद उनको जज के पैनल के सामने पेश किया जायेगा। मैं इस वक्त ज्यादा बहस में इसपर नहीं जाना चाहता हूं किन्तु यह इस समय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जायेगी हम इसको आगे नहीं रखेंगे लेकिन जब तक आवश्यकता हुई तब तक अवश्य रखेंगे।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े हो गये और एक साथ बोलने लगे।)

श्री रियासत हुसैन--

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन तथा उनके साथ श्री मित्र सेन सदन त्याग कर चले गये।)

श्री छत्तर सिंह--

इस काले कानून के पुर:स्थापन के खिलाफ जनता विधान मंडल दल सदन का त्याग करता है.....(व्यवधान)

(विरोध पक्ष की ओर से यह नारे लगाये गये)--

काला कानून वापस हो, काला कानून वापस हो।)

(श्री छत्तर सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं।

(घोर व्यवधान)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

(नेता विरोधी दल तथा विपक्ष के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में कार्य-स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा प्रश्न यह है कि अभी माननीय नेता विरोधी दल माननीय नेता सदन और अन्य सभी माननीय नेताओं ने आपस में विचार विमर्श किया। इस विचार विमर्श के प्रकाश में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है। मद संख्या 23, जो आपके समक्ष है, उसको मैं ले रहा हूं।

(विपक्ष के सदस्य वापस आये)

(व्यवधान)

कृपया शांति रखें।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव मुरादाबाद के बारे में दिया था।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में काफी विचार-विमर्श हुआ काफी देर तक। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम आसरे वर्मा, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मोहन सिंह, श्री मुख्तार अनीस, श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री फखरे आलम, श्री मित्रसेन, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री भीखालाल, श्री ऊदल, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री मोहम्मद नबी और श्री अ. बाल हुसैन इन सब ने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव नियम 56 में मुरादाबाद और उसके साथ-साथ अन्य स्थानों पर हुए उपद्रवों के संबंध में दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पढ़कर सुना दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

कृपया इस बात पर राय न दीजिये, हमें कह लेने दीजिये। आप तो उसमें थे। जब जो प्रस्ताव आया था इसके पहले ही मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते थे उसी के संबंध में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सदन को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं के बीच विचार-विमर्श हुआ। उसमें यह तय हुआ कि यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव तो अस्वीकार किया गया है लेकिन एक दिन की चर्चा मान ली गई।

श्री मुख्तार अनीस—

कब होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, बताता हूं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

बड़े बेसब्र हैं, उपद्रव करवाते हैं और फिर वहां पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वाजपेयी जी, कृपया शांत रहें। (व्यवधान) थोड़ा थोड़ा हो तो काम चले ऐसा करेंगे तो मुश्किल होगी जरा हमारे ऊपर रहम कीजिये।

तो इस पर काफी विचार हुआ आपस में लेकिन संयोगवश कोई निर्णय नहीं कर सके, सदन उठने से पहले मैं निर्णय सुनाऊंगा कि कब चर्चा होगी। इस बीच नेतागण फिर बैठेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां—

चर्चा अभी हो।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

अभी चर्चा कोई जरूरी नहीं है, प्रस्ताव आपका स्वीकार हो गया।

श्री अध्यक्ष—

अब 1980–81 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी होगी।

श्री मुख्तार अनीस—

आप पहले मेरा एक निवेदन सुन लें, आपने जहां इतनी कृपा की है...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाएं, सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ समझा करें। आपके साथ के नेतागण बैठे हुए हैं वह सब आपको बता देंगे।

1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

(4 बजकर 25 मिनट)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, यह बजट भाषण एक मामले में अनूठा है कि इतना बड़ा बजट भाषण इस सदन के इतिहास में अभी नहीं आया। फिर जब इसके बोझ को खत्म करके इसके गुणों पर हम जाते हैं तो यह पाते हैं कि इससे निकम्मा बजट भाषण कोई हो ही नहीं सकता था। यह इतना निकम्मा है जितना कोई हो ही नहीं सकता था। क्योंकि किसी बजट भाषण के लिए जरूरी है कि सरकार जो नये काम करना चाहे, जो नई नीतियां लागू करना चाहे, उनका उसमें वह उल्लेख करे, लेकिन जो बातें चलती हैं और सामान्य रूप से चली आ रही हैं उन सबको गिनाना बजट भाषण का अंग नहीं हुआ करता था। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री ने अपने लम्बे बजट भाषण में यह सारी चीजें गिना दी हैं, जिनसे यह लगता है कि यह सारे बजट का संक्षेप है और सारे बजट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले दावा किया है कि हम प्रजातन्त्र को कायम करेंगे। इसमें पृष्ठ दो पर लिखा हुआ है कि हमारा शासन प्रजातन्त्र कायम करने के लिये कृत-संकल्प है। लेकिन ऐसा लगता है कि यदि कहीं मिथ्या शब्द निकला तो हर आदमी की आस्था उससे टूट जाती है। यही बजट है कि सरकार से आज जनता की आस्था खत्म हो चुकी है और वह उसके प्रचारों से आन्दोलित या प्रचारित नहीं होती है। दावा किया गया कि प्रजातन्त्र हर स्तर पर मजबूत किया जाएगा, लेकिन मैं उधर के बैठने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी आई हैं उनके 11 वर्षों में क्या कभी कांग्रेस के अन्दर चुनाव हुए? क्या आपने कभी महासमितियों और जिला समितियां बनाई हैं? वे केवल नामजद चल रही हैं। आज तक जिस संगठन में स्वयं चुनाव नहीं हुए वह पार्टी दावा करे कि हम प्रजातन्त्र मजबूत करेंगे तो इससे ज्याद हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है?

तीसरी बात यह है कि वहां पर योग्यता की बड़ी कमी है। और ऐसा भी लगता है कि इन लोगों का प्रजातन्त्र में विश्वास भी कम हो गया है। मुख्य मन्त्री इस बात को लेकर गये कि हमारे दल में अब कोई योग्य नहीं रह गया है, इसलिए राजीव गांधी को यहां लाया जाए। जनतन्त्र में मुख्य बात यह है कि वहां पर कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, हर आदमी अपने कार्य को करता है, वह अपनी पूरी क्षमता और योग्यता को प्रकट करने की कोशिश करता है, और बाद में वह लोगों को प्रभावित करता है और वह अपने दल का नेता बनता है।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए।)

लेकिन इस दल में जनतन्त्र का नाम ही नहीं है। एक राजतन्त्र चल रहा है। हमारे दोस्त कितना शरमायेंगे, यह तो वे जानें। वे राजतन्त्र का पोषण कर रहे हैं और जनतन्त्र का दिखावा कर रहे हैं। इसलिए जो बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी का वित्त मंत्री की हैसियत से हुआ है वह थोथा है। मेरी तो उनको सलाह है कि वे थोथे वक्तव्य देना बन्द कर दें तो अच्छा होगा। आज प्रदेश की सारी जनता हंस रही है कि माननीय मुख्य मंत्री

---

†6 अगस्त, 1980 की कार्यवाही से।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

जी प्रजातन्त्र की तो दुहाई देते हैं लेकिन राजतन्त्र के कार्य कर रहे हैं। कितना अन्तर है इनकी कथनी और करनी में।

आगे उन्होंने कहा है कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे जिसका अर्थ है कि हर वर्ग का विकास और जितनी भी शासन की मदें हैं, उनमें तरक्की की ओर जाना। तो मैं सबसे पहले एक बात यह पूछना चाहता हूं कि सर्वांगीण विकास कैसे होगा जब तक किसानों को टैक्सों में राहत नहीं मिलेगी। आज प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है और जब तक उनको आसायश नहीं मिलेगी तो यह कहना कि यहां के लोग खुशहाल होंगे, वे बुनियाद बात है। 70 प्रतिशत जनता टैक्सों के बोझ से दबी है, किसानों को टैक्स हर बात पर बढ़ता जा रहा है। जो यूरिया की बोरी 36 रुपये में मिलती थी वही आज 102 रुपये में मिल रही है और उसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि घाटा हुआ था। तो आज उसे किसानों से ही पूरा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार कितनी पूंजीपतियों की सरकार है। जब मिलों में घटी पड़ती है तो राज्यकोष से वह सारी घटी पूरी की जाती है लेकिन अगर किसानों को घटी पड़ती है तो उसे ही देने के लिए मजबूर किया जाता है, कितनी बेहूदी बात है। मेरा तो एक निश्चित सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भेंड़ के कम्बल बनवाकर देने के बजाय कम से कम ऊन को ही भेंड़ पर रहने दें। आज किसान ही एक ऐसा जीव है जिसके साधनों के इस्तेमाल से यह गारन्टी नहीं हो सकती कि उसके इस्तेमाल से पैदावार होगी ही। मान लीजिए उसे ट्रैक्टर खरीद कर दे दिया, उसने अपना खेत जोत लिया लेकिन अगर अच्छा बीज नहीं दिया तो पैदावार नहीं होगी। अगर अच्छा बीज भी मिल गया तो भी पैदावार की गारन्टी नहीं हो सकती।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अभी तो मुझे 5—6 मिनट ही हुए हैं। मैं अपनी पार्टी का नेता हूं। मुझे कम से कम 25 मिनट का समय मिलना चाहिए?

श्री अधिष्ठाता—

आपकी पार्टी रैकगनाइज्ड नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि किसान एक ऐसी कौम है कि जिसका हित उसके साधनों के ऊपर टैक्स लादने से नहीं हो सकता है क्योंकि किसान के किसी भी उत्पादन की कोई गारन्टी नहीं है। अगर उसे ट्रैक्टर मिल गया, तो अच्छा बीज नहीं मिल पाता, अगर अच्छा बीज भी मिल गया तो खाद नहीं मिल पाती, यदि खाद भी मिल जाये तो समय से पानी नहीं मिल पाता। अगर उसे सब चीजें भी मिल जायें जैसे कीट नाशक दवायें भी तो अन्त में एक कठिनाई यह हो जाती है कि पाला गिर गया या ओला पड़ गया। तो अगर ऐसी दैविक आपत्ति आ गई तो भी पैदावार नहीं होगी। तो मेरा एक नैतिक सुझाव यह है कि अगर आप वास्तव में किसान की भलाई चाहने वाले हैं तो सिद्धान्त रूप में जो चीजें उसकी खेती में इस्तेमाल में आने वाली हों कम से कम उन पर सूबे में पड़ने वाले टैक्स तो माफ हो जायं।

60 हजार रुपये का जो ट्रैक्टर किसान खरीदता है उस पर 6 हजार रुपये तो वह सूबा सेल्स टैक्स का किसान से ले लेता है। इसी तरह से जो और कर हैं जिन्हें किसान को देना पड़ता है उनमें भी राहत देने की बात नहीं कही गयी है। सर्वांगीण विकास तो किसान का होने से रहा, उसकी हालत और गिर रही है। जो 60 हजार रुपये का वह ट्रैक्टर खरीदता है उसका पैसा वह अदा नहीं कर पाता। 10 हजार मूल्य का ट्रैक्टर 60 हजार में उसे मिलता है। इसी प्रकार 36 रुपये वाली यूरिया की बोरी किसान को 102 रुपये में मिलती है। गरीब किसान अगर अपने साधनों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पायेगा तो उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा। अगर किसान को उसके साधन उपलब्ध कराये जाते

तो उससे उत्पादन बढ़ता और फिर उत्पादन पर आप टैक्स लगाते तो आपको टैक्स भी अधिक मिलता। सरकार किसान की गरीबी मिटा नहीं पा रही है। साधनों के अधिक होने से कम इस्तेमाल का प्रभाव उसके उत्पादन पर पड़ रहा है, उत्पादन गिर रहा है। सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिये सर्वांगीण विकास का सरकार का दावा एक थोथा दावा है।

सरकार कहती है कि हम प्रगति कर रहे हैं। गेहूं और चावल को छोड़ कर किसी चीज का भी उत्पादन नहीं बढ़ा है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उनको देकर समय नहीं लेना चाहता। हमारे लिये सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन की होती है और वह हमें दालों से मिलती है और दालों का उत्पादन बराबर गिर रहा है। दलहन और तिलहन दोनों की पैदावार घटी है और इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई उपाय नहीं किये हैं।

गन्ना हमारे यहां काफी पैदा होता है और देश की 40 प्रतिशत चीनी हम पैदा करते हैं। गुड़ भी ज्यादा पैदा करते हैं। इस व्यापार को बढ़ाने की ओर भी सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया है। मद्रास सरकार ने गैसोहोल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा था कि उनको पिट्रोल में एलकोहल मिलाने की इजाजत दे दी जाये। जब राज्य सरकार से हम ने इस बारे में प्रश्न किया तो बताया गया कि सरकार को इसका कोई ज्ञान नहीं है। इस सरकार के मुख्य मंत्री ने अपने चीफ सेक्रेटरी से यह भी कहने को जहमत गवारा नहीं की कि वे पूछते इसके बारे में मद्रास सरकार से कि वे क्या चाहते हैं। हमारा इतना बड़ा सूबा है और इसमें हम शुगर काम्पलेक्स काफी तादाद में लगा सकते हैं और इसके द्वारा तमाम तरह-तरह की चीजें पैदा की जा सकती हैं। इससे गन्ने का सारा खर्चा भी निकल आयेगा और चीनी के दाम भी डेढ़ रुपये किलो हो जायेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि गन्ने का विकास कैसे हो जब किसान का गन्ना ज्यादा पैदा होता है तो उसकी फसल सस्ती बिकती है और जब सस्ती बिकती है तो वह अगले वर्ष गन्ना कम बोता है, इस प्रकार गन्ने का उत्पादन गिरता है और उससे प्रदेश को काफी नुकसान होता है। हमने 3 साल पहले अपने आज के अखबार में यह निकाला था कि सन् 1980 में इस फसल का अकाल पड़ेगा। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी।

बात सिर्फ यह है कि गन्ना जब सरकार जिम्मेदारी से नहीं पेरवाती है, तो दूसरे साल में वह गन्ना बोना कम कर देते हैं। तीसरे साल वह फसल कम हो जाती है। जब किसान ज्यादा गन्ना बोता है और अच्छी फसल होती है, तो फिर मद्दा हो जाता है। तो कोई किसान का पुरसाहाल नहीं है। क्या यह नहीं हो सकता है कि जो किसान गन्ना मिल को गन्ना देने के लिए तैयार हैं, उनका सबका टेण्डर ले लें, उनकी सबकी सम्मति ले लें और उनकी सारी जमीन का हिसाब ले लें कि अगर 10 प्रतिशत से हमारा काम चलता है, तो इतने में जो गन्ना बोवेगा, उसका हम अपनी मिल में पेर देंगे जितनी जमीन में गन्ना बोना है, उसमें गन्ना बोवो ताकि अच्छे से अच्छा गन्ना हो। अगर आप वर्तमान गन्ने के आंकड़े देखें तो पैदावार इतनी कम है कि कोई विकास हुआ ही नहीं है। जो आज से बीस वर्ष पहले थी वही पैदावार है। कोई विकास हुए ही नहीं हैं। हम चीनी उद्योग को नहीं पनपाना चाहते। जो हमारे सूबे में गन्ना है, उसके विकास के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से सर्वांगीण विकास का दावा मुख्य मंत्री जी करते हैं। इन्होंने अच्छे बीज का प्रसार करने को कहा। अच्छे बीजों का कितना प्रसार हुआ? गेहूं और धान के बीजों को छोड़कर किसी तिलहन के बीज आपने पैदा किये इनकी खोज ही होती रहेगी। इनका कोई नियमित रूप से काम होने वाला नहीं है। सरकार यह कहती है कि हम सारे प्रदेश को रोजगार दे देंगे साहब।

श्री अधिष्ठाता––

आपके अभी 2 मिनट और हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि यह चौपाई मुख्य मंत्री ने बजट भाषण में लिखा है "सेवक हित साहेब सेवकाई, करैं सकल सुख लोभ बिहाई।" मुख्य मंत्री जी राम को अपना आदर्श मानते हैं। तुरन्त ध्यान गया कि सूबे में अशांति क्यों है। तो अशांति का कारण मालूम हो गया। अशांति का कारण तो उसी से मालूम हो गया।

"जेहि अघ बधेऊ व्याध इव बाली, फिर सुकंठ सोइ कीन कुचाली।
सोइ करतूति विभीषण केरी, सपनेहु सौ न राम हिय हेरी।
लहति न प्रभु चित चूक किये की, करत सुरत सौ बार हिये की।"

जिस अपने भाई की स्त्री को रखने पर बालि को राम ने मारा वही कुचालि बालि की स्त्री को सुग्रीव ने रख कर की। यही करतूत विभीषण ने मन्दोदरी को रखकर की, रामचन्द्र ने फिक्र क्यों नहीं किया। स्वप्न में भी फ़िक्र नहीं किया क्योंकि राम का स्वभाव है कि अपने आदमी की जो चूक होती है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके हृदय का सौ बार ख्याल करते हैं वही हाल इस सरकार का है, मुख्य मन्त्री जी का है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बनाया है, एम0 एल0 ए 0 सिफारिश करते हैं तो गुन्डे-बदमाश छूटते चले जा रहे हैं। मान्यवर, यह मेरी रपट नहीं है। हम सरकारी रपट के आधार पर कह रहे हैं 1948 में डी0 आई0 जी0 जो झांसी रेंज के थे, उन्होंने रपट दी कि क्यों जुर्म बढ़ता है जब कांग्रेस का शासन आता है। तो मान्यवर, उस पर डी0 आई0 जी0 ने रपट दी है, प्रशासनिक रपट 1948 की देख लें। उसमें लिखा है कि बहुत से गुन्डे अपने को कांग्रेसी कहने लगे हैं। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाय और मुख्य मंत्री उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते तो प्रदेश की शांति व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। यह मोटी सी बात है। हम तो मुख्य मंत्री जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि यह राजतन्त्र का आधार था, यह जनतन्त्र का आधार नहीं है। न्याययुक्त काम करो, किसी न्यायी को दुःख मत होने दो। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका यह बजट जो है प्रदेश की करोड़ों-करोड़ों जनता के विकास और समृद्धि का बजट है। अभी कुछ समय पूर्व हमारे प्रदेश में एक नई सरकार जनता ने दी। वह सरकार बनने के बाद आपने देखा और प्रदेश की गति को देखा कि किस प्रकार से पिछली सरकार ने 3 सालों के अन्दर देश को दिशाहीन कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है। जैसे कोई भवन कई सालों में बनकर तैयार हो और उसे बिगाड़ने वाले आसामाजिक तत्व 15 दिन के अन्दर ही उसे ध्वस्त कर देते हैं। इसी प्रकार से यहां यह ठीक मिसाल दिखाई देती है कि 28 और 30 सालों के अन्दर हमारी सरकार ने इस देश और प्रदेश को बड़े परिश्रम और त्याग से सींचा था, उसको उत्थान और विकास की ओर लायी थी, उसे ढ़ाई-तीन सालों के अन्दर इन लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया। हमको यह भी देखने में आया कि 3 सालों के अन्दर जो हमारे देश और प्रदेश का नागरिक है, उसके सोचने का ढंग और उसके विचारों में उसके तर्क में बदलाव पैदा हो गया है दूसरे यह कि जब से यह सरकार इधर बनी है, हमारे साथ दैवी प्रकोप भी लगा हुआ है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं।

एक सदस्य--

महंगाई का क्या हाल है।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

हां, महंगाई को भी रोकने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इन अराजक तत्वों के कारण काफी ताकत लगानी पड़ रही है। जिन आराजकतत्वों का साथ आपने अपने शासनकाल में

दिया और अब भी उन्हीं के साथी आप बन रहे हैं, तो देश और प्रदेश का कार्य किस तरह से चलेगा। देश के कुछ नेताओं प्रधान मंत्री आदि को छोड़कर इन कुर्सियों पर और भी नेता स्व0 सम्पूर्णानन्द जी, स्व0 सी0 बी0 गुप्ता भी बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह भी बैठ चुके हैं और भी अन्य नेता इन कुर्सियों पर बैठ चुके इसलिए हमें और आप सबको इस कुर्सी की मर्यादा पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

इसी के साथ ही मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद के चिकित्सा क्षेत्र की ओर और परिवार कल्याण की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां इस समय चिकित्सा भवनों की बहुत कमी है; इन भवनों का निर्माण भी वहां की आवश्यकतानुसार कम हो रहा है और इसके साथ ही डाक्टरों की नियुक्ति की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां जो भवन निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं और डाक्टरों की जो कमी है उसे पूरा करें। साथ ही चिकित्सा जगत में जो आयुर्वेद का स्थान नीचे गिराया जा रहा है, वह न गिराया जाए। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में रिसर्च बैठावें और जिस प्रकार से इन पी0 एम टी0 डाक्टरों की शिक्षा और ट्रेनिंग पर रुपया खर्च होता है, इसी प्रकार से आयुर्वेदिक पद्धति पर भी आर्थिक सहायता की जाए। जिन जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सुन्दर दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से यदि आप इस ओर भी बढ़ावा दें तो नागरिक भी सुन्दर बनेंगे। इसी प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र में परिवार कल्याण के बारे में कहना है कि इन्हीं जड़ी-बूटियों द्वारा उपचार किया जाए तो ज्यादा कल्याणकारी होगा। जिस प्रकार से लक्ष्मणजी मूर्छित हो जाने पर हनुमान जी ने संजीवन बूटी से ठीक किया था।

दूसरे अपने प्रदेश की बिजली की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं कि मान्यवर, वह जितनी बिजली की आवश्यकता है, जितनी बिजली का उपयोग है, उतनी बिजली वहां नहीं दी जा रही है। इसलिए बिजली विभाग के मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जनपद में बिजली उचित मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। शिक्षा जगत में हमारे बच्चे भूखे, नंगे और पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। इसलिये एक तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बिजली पर बजट बढ़ाया जाये और वहां उस विभाग के जो हमारे मंत्री भाई हैं उन पर नये ढंग से सोचें।

बाढ़ के समय में जो व्यवस्था जौनपुर में की उस पर मैं उनको बधाई दूंगा। और मैं चाहूंगा कि बहुत सी नदियों वाले इस जिले में जहां पर 5 नदियां हैं, वरुणा बसुही पर बरसात के दिनों से जनता का यातायात बिल्कुल बन्द हो जाता है। बजट भाषण में मैंने वरुणा नदी पर सुरेरी गांधी घाटपुल और वसुही नदी पर, कठवतिया घाट पुल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इन सब बातों के साथ-साथ मैं फिर अपने विधान सभा के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप प्रदेश को बनाना चाहते हैं तो, जनता आपकी हरकतों को, भाषणों को समझ रही है, समाज को, प्रदेश को बनाने के के लिए गम्भीरता से विचार करें। अगर आप दूरदर्शिता से काम नहीं करेंगे तो महंगाई होगी। महंगाई कैसे आयी। इस पर आप को ध्यान करना है। हमारे प्रदेश के अन्दर जिन-जिन चीजों की दिक्कतें हैं, मैंने निवेदन कर दिया है और विशेषकर निवेदन करूंगा कि विरोध पक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिये। अगर समाज विरोधी तत्वों के लिए प्रस्ताव आये तब तो ठीक है लेकिन अगर अराजक तत्वों को समाप्त करने के लिए नये-नये कानून बनाकर समाप्त नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। अन्त में मैं अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

श्री गोरे लाल शाक्य––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अच्छे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जनतंत्र में राज्य का यह सबसे बड़ा कर्त्तव्य होता है कि कानून और

श्री गोरे लाल शा य]

व्यवस्था को बनाये रखना । इसके साथ वेलफेयर स्टेट में और भी कर्त्तव्य जुड़ जाते हैं । मुझे बहुत दुख है कि जनतंत्र में आज विरोधी दल की क्या भूमिका है । जनतंत्र में विरोधी दल जनतंत्र की नीव होती है । आज विरोधी पक्ष अपना कर्त्तव्य ढंग से नहीं निभा रहा है । एक तरफ तो जली हुई कुरान की प्रतियां दिखाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि 400 कत्ल हो गये । अगर कानून व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए कोई व्यवस्था की जाती है तो यहां पर असेम्बली में हंगामा किया जाता है । मैं दायित्व पूर्ण ढंग से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से विरोध की भूमिका रहेगी तो जनतंत्र खत्म होगा । तो जो शिकायत आप करते हैं और उनका निराकरण किया जाता है तो उसका विरोध आप करते हैं । इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये और इस तरह से हंगामा नहीं करना चाहिये । काले कानून की संज्ञा नहीं देनी चाहिये ।

आप मूल्य वृद्धि की बात करते हैं कहते है कि मूल्य वृद्धि में जनता पिस रही है, 8 रुपये किलो शक्कर जा रही है और जब आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता है, जिसमें जनसंघ के लोग हैं, तब हमारे बाजपेयी जी कहते हैं कि आर्थिक अपराधियों के लिए आर्डिनेंस लाया जा रहा है, यह तो जनतंत्र विरोधी कानून है । दूसरी तरफ मूल्य वृद्धि की शिकायत करते हैं । तो दोनों चीजें नहीं चल सकतीं । कैसे चल सकती हैं आप खुद ही बतायें ? कानून व्यवस्था भंग हो रही है, उस पर ऐक्शन लेते हैं तो आप लोग हंगामा करते हैं । डबल पालिसी अपनाते हैं । डबल पालिसी जो विरोधी दल के नेता अपनाते हैं यह विरोधी दल को नहीं अपनानी चाहिये । यह स्वयं जनतंत्र के लिये कुठाराघात है । मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को किस तरह से मेनटेन करते हुए एक पैसे का हिसाब रखकर यह बजट पेश किया गया है । जो बजट है उसको जितने अच्छे से अच्छे ढंग से पेश किया जा सकता है, पैसे का जितना अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग हो सकता है इसमें वह किया गया है । यह बहुत अच्छा बजट है । आप देखें कि किस तरह से धन का अपव्यय होता है, स्वागत में, दौरों में धन का अपव्यय होता है, मुख्य मंत्री जी ने इस पर रोक लगा दी है । यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन का अच्छा उदाहरण है । इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन्फलैशन को बढाये । यह इन्फलैशन को चेक करने के लिये है, मूल्य वृद्धि को चेक करने के लिए है । यह वेलफेयर स्टेट है । हमारा कांग्रेस संगठन इस मुल्क को समाजवादी की ओर ले जाने वाला है और ले जा रहा है । इस मुल्क को समाजवाद की जरूरत है । मैं आपको 2-3 उदाहरण बता दूं । ,रोटी कपड़े और मकान की व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिये इस बजट में की गयी । ग्रामीण आवास के लिए इसमें व्यवस्था की गयी है । हरिजनों के पास जो मकान नहीं है इस बजट में उनके लिए मकानों की व्यवस्था की गयी है । एक-एक गरीब के लिए सूची बनाई जा रही है जिसके पास मकान नहीं है जिससे कि एक-एक को मकान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके । दूसरे भूमि आवंटन की व्यवस्था की गयी है । कांग्रेस के समय में जिन लोगों को पट्टे पर कब्जा दखल दिये गये थे उनको जनता पार्टी ने छीन लिया था। उनमें से कांग्रेस ने 1,20,632 लोगों को पुनः कब्जा दिला दिया है । रोटी की व्यवस्था हमने की है । जिनको भूमि नहीं दी गयी भूमि देंगे, रोटी की व्यवस्थ करेंगे । होमगार्ड का सिपाही जो गरीब आदमी होता है हम लोगों के ही बीच का होता है, उसके लिए 6 रुपये से 8 रुपये कर दिया गया है । यह समाजवाद की ओर एक कदम है । जो गरीब आदमी हैं उनको सहायता करना समाजवाद कहलाता है ।

अभी तक जो डिप्टी कलेक्टर होते थे वह डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में रहते थे उनको परगने में तहसील में रहने की व्यवस्था की गयी है जिससे कि उनको और अन्य अधिकारियों को जनता के पास पहुंचने में आसानी हो सके । तो अब यह व्यवस्था की गयी है कि यह लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा तहसीलों में जायं । तहसीलों में जाकर वह

जनता की तकलीफों को सुनें क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठकर जनता की तकलीफ नहीं दूर हो सकती । इसके अलावा जिलों में जो अपराधी हैं उनके लिये पानी विद्युत, चिकित्सा, भोजन आदि के लिये इस बजट भाषण में व्यवस्था की गयी है । वह भले ही अपराधी हों लेकिन माननीय दृष्टि से उनको यह सुविधायें देनी चाहिये । इसका प्राविधान किया गया है । अभी वर्मा जी ने कहा कि यह लम्बा बजट भाषण है, गन्ने के संबंध में भी उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी स्टेट है, अगर हम आर्थोडाक्स हो जायं कि पिछला बजट भाषण 10 पन्ने का था तो यह बजट भाषण भी 10 पन्ने का ही तो यह बात समझ में नहीं आती है, यह कैसी प्रगतिशीलता है । इतन बड़ प्रदेश के लिये एक साथ सारी व्यवस्थाओं को नहीं किया जा सकता लेकिन अधिक से अधिक व्यवस्थाओं को किया गया है । जहां तक गन्ने का सवाल है, गन्ना मिट्टी के भाव जनता सरकार ने बिकवाया था । आलू ढाई और पौने तीन रुपये क्विंटल बिका था । जितनी अच्छी व्यवस्था हमने गन्ने और आलू की की थी उतनी अच्छी व्यवस्था यह लोग जब इधर बैठे थे नहीं कर सके । मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि स्पीकर की रूलिंग के बाद भी आप लोग हंगामा मचाते हैं । यह बात हमारी समझ में नहीं आती । इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य इटावा ने अभी बोलते बोलते यह कहा कि अगर विरोधी पक्ष हंगामा करेगा तो फिर यह स्थिति आ सकती है कि विपक्ष बैठ नहीं पायेगा । तो मान्यवर, यह एक तरह से विरोधी पक्ष को धमकी है । क्या माननीय सदस्य इस तरह की धमकी दे सकते हैं । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

आपने मेरे ख्याल से समझा नहीं । मैं कार्यवाही देख लूंगा उसके बाद बताऊंगा।

*श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1980–81 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है । उन्होंने अपने बजट भाषण में एक बात बड़े जोर शोर से कही है कि बढ़ी हुयी कीमतों का अभिशाप हमें विरासत में मिला था। यानी जो जनता पार्टी का शासन था उसके जमानें में कीमतें बढी । मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में सभी चीजों के भाव घटे थे। चीनी और अन्य तमाम चीजों के दाम घट थे । आज स्थिति आप देख लीजिये । आज बाजार के अन्दर चीनी 8 रुपय किलो मिल रही है । आलू का दाम ढाई रुपये और तीन रुपय किलो हो गयी है । खाद मंहगी हो गयी जो किसान के इस्तेमाल की चीज है।

डी0पी0ए0पी0 महंगा हो गया, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया लेकिन वह केंद्र सरकार तय करती है, इस तरह से सभी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं । इसका परिणाम है कि जो गरीब और मेहनतकश हैं और शहर में रहने वाले हैं उन पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है और मुख्य मंत्री जी महंगाई को रोकने में असमर्थ हैं जबकि उन्होंने अपने बजट भाषण में अपने शासन की खुद तारीफ किया है और कहा है कि पुलिस प्रशासन की वंदना करता हूं क्योंकि जो चुनाव 6 महीने पहले हुए थे उसमें पुलिस प्रशासन के इस्तेमाल से ही इनकी जीत हुयी थी जिससे यह उनकी बंदना कर रहे हैं। आज शान्ति व्यवस्था का नाम कहीं नहीं रह गया है । हर जिले में अशांति की स्थिति आ गयी है । सूबे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस]

अपनी पुलिस के द्वारा अपने शासन की सामूहिक और संगठित हिंसा ने निरीह लोगों की जानें इतने बड़े पैमाने पर लिया और लोगों की हत्यायें हो गयी हैं और आप कोई भी काम करने में असमर्थ हैं ।

मान्यवर, ज्ञानी जैल सिंह जी ने बयान दिया है कि जो भी दंगा करेगा उसको कुचल दिया जायेगा । उसका नतीजा यह है कि पुलिस के हौसले आज बढ़ गये हैं । अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आपके थाने सबसे लूट के अड्डे बन गये हैं । आज एक-एक थाने में एक-एक एस0ओ0 10–10 हजार रुपये कमा रहा है । वह मुख्य मंत्री की कृपा से कमा रहे हैं, उन्होंने उनको बढावा दिया है । उत्तर प्रदेश में जबसे मुख्य मंत्री यह बने हैं वैसा कोई भी यहां मुख्य मंत्री नहीं आया जिसने इतने ओछे ढंग से अपनी पुलिस पर पर्दा डाला हो जिसका नतीजा है कि पुलिस आगे है और आप पीछे हैं जिससे प्रदेश में अशान्ति है । इन्होंने अपने बजट भाषण में इंदिरा जी के बहुत गुण गाये हैं और जहां इंदिरा जी का फोटो छपा ह वहीं उसके नीचे इनका फोटो छपा है और ऐसा लगता है कि इन्होंने प्रधान मंत्री से अपना रिश्ता जोड़ लिया है और कहते हैं कि देवी जी के नाम पर ही हमको केंद्र से सहायता मिली है।

केंद्र सरकार ने हमको 900 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि आवंटित किया है । तो जब यह चीज है तो मान्यवर, हमको एक चीज और भी देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है । उसके अनुपात में उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता मिलनी चाहिये । दूसरी बात योजनाओं पर जो खर्च है उसमें दूसरे सूबों में क्या है और आपके यहां क्या है । उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय क्या ह और दूसरे सूबों में क्या है । आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश 1950 के मुकाबले में निरन्तर पीछे जा रहा है । आप देखें तो प्रति व्यक्ति 1977–78 में कुल राष्ट्रीय आय पंजाब की 1991 रुपये, महाराष्ट्र की 1628 रुपये, पश्चिमी बंगाल, जो बहुत गरीब सूबा है, कंगाल है उसकी आय 1303 रुपये और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 916 रुपये थी । इस प्रकार 30 साल में आपने उत्तर प्रदेश को इस हद तक पहुंचा दिया है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घटती चली गयी है । मान्यवर, प्लान इक्सपेंडीचर आज उत्तर प्रदेश का सबसे कम है । पूरे देश का प्लान इक्सपेंडीचर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का सिफ जनता शासन के समय में 1977–78 में प्लान इक्सपेंडीचर प्रति व्यक्ति 75 रुपये हुआ है । वरना 74–75 में पंजाब का 94 रुपया, 75–76 में 123 रुपया, 76–77 में 164 रुपया, 77–78 में 174 रुपया । महाराष्ट्र का 74–75 में 59 रुपया, 75–76 में 76 रुपया, 76–77 में 100 रुपया, 77–78 में 137 रुपया । उत्तर प्रदेश का किसी में देख लें 74–75 में 42 रुपया पंजाब का 94 रुपया । महाराष्ट्र का 59, हरियाणा का 87, कश्मीर का 104 रुपया, 60 लाख का आबादी ह कश्मीर की और प्लांड एक्सपेंडीचर 104 रुपया । उत्तर प्रदेश का 42 रुपया 74–75 में । आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को कंगाली के कगार में खड़ा कर दिया । 75–76 में पंजाब का 123 रुपया हो जाता है उत्तर प्रदेश का 54 रुपया 76–77 में प्लांड एक्सपेंडीचर प्रति व्यक्ति पंजाब का 164 होता है उत्तर प्रदेश का 66 रुपया । इस तरीके से निरन्तर कांग्रेस शासन में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है।

इस के साथ साथ आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने योजनाओं का पैसा दिया है उस में निरन्तर उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है । उस का क्या कारण है । उत्तर प्रदेश प्रधान मंत्री देता रहा है और आप उत्तर प्रदेश की जनता का पेट काट कर नाइंसाफी करके दूसरे सूबों को खुश करने का काम करते रहेंगे । इसी कारण से उत्तर प्रदेश के साथ नाइंसाफी होती चली गयी । मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को उठाने का काम करेंगे। क्या आज हालत हो रही कि

मैं नाम नहीं लेना चाहता सम्मान के काबिल हैं हमारे राज्यपाल लेकिन उनके बंगले को रिनोवेट करने के लिये 12 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं जब कि हमारे सूबे के अन्दर बाढ़ आई है । तबाही की स्थिति ह । मुख्य मंत्री राज्यपाल महोदय के बंगले को रिनोवेट करने के लिए एयर कंडीशन करने के लिए, ठीक करने के लिये, 12 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं । डेवलेपमेंट के सभी इलाके बराबर हैं । आज क्या स्थिति हो रही है । पूरे सूबे के अन्दर कितनी सड़कें बनेंगी कितना रुपया हरिजनों के सुधार के लिये खर्च होगा, क्या काम होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है । दिल्ली में, पार्लियामेंट के अन्दर उत्तर प्रदेश का बजट गया, उसमें केवल अमेठी का जिक्र ह । मैं अमेठी की तरक्की चाहता हूं लेकिन अमेठी उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं बन सकती है । आज हालत क्या हो रही है । आज हरिजनों के उत्थान की बात की जाती है । उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हरिजन आबादी मिर्जापुर में है जहां कुल आबादी के 32 फीसदी हरिजन रहते हैं । लेकिन मिर्जापुर की कोई तरक्की नहीं कर सके । आप ने लखनऊ मंडल को छोड़ दिया । लखनऊ मंडल के अन्दर सबसे ज्यादा हरिजन आबादी है । उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के बाद सीतापुर की 30 फीसदी हरिजन आबादी है । इस जिले की हालत क्या है कौन सा आपने विकास का काम लखनऊ मंडल के लिए किया है । आप के ताप बिजली गृह हैं चाहे कोयले के हों, पानी के हों, आप उन्हीं क्षेत्रों में इन्हें लगाते हैं जहां कुछ असर हो, जो मंत्रियों के क्षेत्र हों, तमाम मामलों में आप उपेक्षा करते चले जा रहे हैं । (लालबत्ती जलने पर) मान्यवर, दो मिनट और समय दे दें । ग्रामीण विकास की बात आप करते हैं। ग्रामीण विकास के लिये कोई भी ठोस नीति आप ने नहीं अपनाई है। मैं आप को बता सकता हूं कि आज क्या हालत हो रही ह । जो पुरानी सड़कें हैं इस समय वे बाढ़ से नहीं बन सकती हैं लेकिन पिछले दो तीन महीनों में इन्होंने कोई भी सड़क नहीं बनाई । ग्रामीण विकास में हां और चीजों की जरूरत है वहां गांवों के अन्दर डेरी डेवलेंपमेंट की जरूरत है। आज क्या हालत है । आप ने दो बड़ी बड़ी डेरियां बनायीं, जिनकी कांग्रेस सरकार से पूर्व योजना थी, अब चालू हुई हैं, एक बनारस में और दूसरे मेरठ के अन्दर । एक लाख लीटर की क्षमता की डेरिया हैं, 40 हजार लीटर दूध भी नहीं हो रहा है । तो जो पैसा सरकार का लगा हुआ है उसमें सरकार को मितव्ययिता करनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अपना स्थान ग्रहण करें ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । साथ ही साथ यह वतमान बजट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, इसको मैंने गहराई से पढ़ने की कोशिश की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बजट दो बातों में जरूर अभूतपूर्व है । पहली बात यह है कि आज तक के इतिहास में कभी भी इतना लम्बा बजट पेश नहीं किया गया, चाहे सुख सुविधायें लोगों को न मिलें, यह अलग बात है । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है 49 पन्नों का वह इतना ही निराशाजनक है, जितना अधिक पन्नों में अंकित है । दूसरी बात यह है कि आज तक के इतिहास में इतने कम समय के लिए कोई भी बजट पेश नहीं हुआ । पिछले साल जो बजट पेश हुआ, उसमें अन्तरिम बजट 12 मार्च से 12 जून तक के लिए पेश हुआ था । यह पहला बजट है जो 31 अक्तूबर तक के लिए जिसमें वोट आन एकाउन्ट हो चुका है, जिस बजट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह केवल पांच-पांच महीनों से सात महीने बिना बजट पास किये हुए हो जायेंगे । बजट पर प्रदेश का भाग्य निर्भर है । उसमें भी जबकि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह—]

एप्रोप्रियेशन बिल पास हो गया हो, वित्त विभाग अपना कोई न कोई जरूर ऐतराज उठाता रहता है। इस सदन की शक्ति के ऊपर उनका अधिकार है। वह कोई न कोई ऐतराज करता रहा है। जब तक 31 अक्तूबर तक बजट पास नहीं होता तब तक इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई भी जिक्र नहीं है। जो भी खर्चा किया जायगा केवल प्रशासन के लिए, बल्कि जो नौकरशाही है उसकी तनख्वाह भुगतान करने के लिए। इससे कोई प्रगति का लक्षण नहीं दिखायी देता है।

यह बजट बिलकुल किसान विरोधी है, ग्रामीण अंचलों का विरोधी है, जो मैं कुछ तथ्यों के द्वारा साबित करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा सबसे कम है। बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश का नम्बर है वहां पर केवल 21 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। जबकि दूसरे प्रदेश जैसे केरल है वहां 60 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। लेकिन जहां पर इतनी कम शिक्षा है, उसकी अशिक्षा को दूर करने के लिए जनता शासन काल में जो कोशिश की गयी थी, यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है वर्तमान सरकार शिक्षा की ओर कितनी उदासीन है, 1976 में 1977 तक पिछले तीन वर्षों में 2 हजार 578 प्राइमरी स्कूल खोले गए, 267 मिडिल स्कूल तीन वर्षों में खोले गये। 1978–79 में जब जनता सरकार आयी तो एक साल के अन्दर 3 हजार 162 प्राइमरी स्कूल और 612 मिडिल स्कूल खोले गये। एक साल में जनता शासन में, जब कि इस साल में जो बजट पेश किया गया है उससे इतनी निराशा प्रकट होती है, शायद मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा, जिसका अन्जाम है कि इस साल 279 प्राइमरी स्कूल और 134 जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्राविधान किया गया है जब कि 1978–79 में 3162 प्राइमरी स्कूल, 52 नये राजकीय हाई स्कूल तथा 612 मिडिल स्कूलों का प्राविधान था उनके खिलाफ इस साल 270 प्राइमरी स्कूल, 134 मिडिल स्कूल तथा किसी भी हाई स्कूल का प्राविधान नहीं है। देखना यह है कि केवल स्कूल ही नहीं, आपने इस प्रदश के विकास के लिए, खेती के विकास के लिए कौन-कौन सी घोषणायें की हैं और प्रदेश का जनता के सामने उनको रखा है जिनसे प्रदेश को जनता को राहत मिल सकेगी। आपने सबसे पहले खादों के दाम बढ़ा दिये, डीजल के दाम बढ़ा दिये। इसके उपरान्त जब आपका बजट पेश हुआ तो उसमें देखने को मिला कि कृषि सिंचाई विद्युत कार्यक्रमों पर जहां पिछले साल 627.7 करोड़ रुपये खर्च हुआ था वहां इस साल केवल 610 करोड़ रुपये उन्हीं मदों पर खर्च करने का प्राविधान है।

इसी प्रकार ग्रामीण अंचलों में जहां 1979–80 में 50 नये शीतगृह, 3 दाल मिलें, दो आधुनिक चावल मिलें तथा 18 कृषि सेवा इकाई केंद्र खोलने का प्राविधान था वहां 1980–81 के बजट में केवल 10 शीत गृह, एक दाल मिल, एक आधुनिक चावल मिल ही खोलने का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जहां 1979–80 में बजट में सिंचाई परियोजना में 7.8लाख हेक्टेयर भूमिके सिंचन का प्राविधान था वहां इस साल केवल 6.17 लाखहेक्टेयर सिंचन की क्षमता का प्राविधान किया गया है। इस तरह से 1979–80 में जहां 50 हजार निजी नलकूपों के विद्युतीकरण 4900 ग्रामों के विद्युतीकरण और 4440 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था वहां वर्तमान वजट में केवल 37,470 निजी नलकूप, 4,380 गांवों तथा 4,735 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्राविधान है। इसी प्रकार 1978–79 में 3147 किलोमीटर सड़कें तथा 39 पुल बनवाने का प्राविधान किया गया था वहां इस साल केवल 2,650 किलोमीटर सड़कें तथा 36 पुल बनाने का प्राविधान है। इसके अलावा जनता सरकार ने अन्त्योदय योजना की भी घोषणा की थी और इस सरकार ने पिछले 33 साल में जितनी नई सड़कें बनायी थी उतनी जनता सरकार ने ढाई साल के अन्दर बना दी थी। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सूखे से त्रस्त गरीब किसानों के लिये जहां रोजी रोटी मिली थी वहां ग्रामीण अंचलों में सड़कों का निर्माण भी कराया गया था। लेकिन आज के बजट में ऐसी कोई घोषणा देखने को नहीं मिली जिससे यह परिलक्षित हो

कि अमुक अमुक योजनायें उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूरों की मुसीबत दूर करने के लिये कारगर साबित होगी। आपने जो भी कार्य किये हैं वे किसान विरोधी किये हैं। अभी अखबार में पढ़ा कि आप कन्ट्रोल के गेहूं और चावल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में नजरबन्दी कानून लागू कर दिया है, नशाबन्दी समाप्त कर दी है गरीबों को मार डालने के लिये यह काफी है।

श्री सतीश अजमानी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की आम चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं इस सदन में एक नया मेम्बर हूं और मेरी बहुत सी तमन्नायें थीं, बहुत सी इच्छायें थीं कि देखें विरोधी दल किस तरह से अपने आचरण और अपनी नैतिकता को निभाता है लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी नैतिकता नाम की चीज यहां पर देखने को नहीं मिली। विरोधी दल का केवल एक ही काम है कि वह हमको दो दूनी पांच का पहाड़ा बताये और कहीं अगर हम दो दूनी चार कहें तो बस यही उनकी नैतिकता है कि वह हमें दो दूनी पांच किस तरह से होते हैं इसको सिद्ध करने की कोशिश करे। वे ऊंचा बोलें, नारे लगायें, मुर्दाबाद के नारे लगायें, यही काम विरोधी दल का रह गया है। विरोधी दल बजट के ऊपर बहस में हिस्सा ले रहा है और बजट को गलत बता रहा है। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सब जानते हैं कि कोई भी सरकार बजट के ऊपर आधारित होती है और उसके ऊपर ही उसकी अच्छाई या बुराई का पता चलता है। यहां पर ढाई साल तक वर्तमान विरोधी दल बजट पेश करता रहा है। यदि ये अच्छे होते तो 32 महीने में ही क्यों यहां विरोध में चले जाते। हमारा कैसा बजट है यह इसी से पता चलता है कि हम पुनः अपनी जगह पर आ गये। आपकी हालत तो उसी तरह से है जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने गरीब किसानों को जमीन का पट्टा दिया है उसी तरह से हमने आपको विरोध पक्ष में बैठने का पट्टा दिया हुआ है, आप गल्ती से यहां सरकारी पक्ष में आ गये थे हमारा यह बजट गरीबी दूर करने के हक में है यही विरोधी को खतरा है कि जितना केंद्र से रुपया हमारी सरकार को मिल गया है उससे हम यहां की गरीबी दूर करने में सहायक हो सकेंगे और अगले चुनाव में विरोधी लोगों का नामोनिशान नहीं रहेगा।

मान्यवर, मैं लखीमपुर खीरी से चुनकर आया हूं जोकि प्रदेश में सबसे लम्बा क्षेत्र है। इसका क्षेत्र 140 किलोमीटर का है। वहां 1 लाख 70 हजार वोटर्स हैं। इस क्षेत्र के पिछड़े होने का कारण यह है कि वहां पर लगभग 15 वर्षों से जनसंघ से संबंधित विधायक होने के कारण अपने लोगों को सहारा देते रहे और पूंजीपत्तियों को सहारा देते रहे और उनके जरिये गरीब जनता हमेशा पिसती चली गई। इसलिये मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर बड़े-बड़े स्कूल अस्पताल खोले जायं। वहां पर एक भी डिग्री कालेज नहीं है। मेरा आपके जरिये शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वहां एक डिग्री कालेज खोला जाय। वहां सम्पूर्णानगर में हमारे यहां काफी गन्ना पैदा होता है और किसान लोगों ने वहां पर 45 लाख रुपया इकट्ठा किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर सरकार एक सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये लाइसेंस दें। निधासन क्षेत्र में जूट मिल खोला जाय ताकि वहां की जनता को सहूलियत मिल सके। मान्यवर, वहां पर एक दुधवा नेशनल पार्क है जो दुनिया में प्रसिद्ध है। मेरा निघासन क्षेत्र तीन तरफ से उस पार्क से घिरा हुआ है। वहां से अक्सर शेर आकर क्षेत्र के लोगों पर हमला करते हैं। इसलिये मेरा यह भी अनुरोध है कि पार्क की तीनों साइड में फेंसिंग कर दी जाय ताकि जानवर इस तरह की जान माल को हानि न पहुंचा सकें। अंत्योदय योजना के अन्तर्गत जो कच्ची सड़कें बनी हैं और सड़कों की वजह से लाखों टन अनाज बरबाद हुआ जिसका 3/4 हिस्सा पता नहीं अनाज का कहां गया। इसलिए मै मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन सड़कों को पक्का करने की कोशिश की जाय। गरीब जनता होने की

[श्री सतीश अजमानी]

वजह से वहां पर लघु उद्योग खोलना चाहिये क्योंकि वहां पर ज्यादातर हरिजन और गरीब मुसलमान भाई रहते हैं।

हमारा आपसे अनुरोध है कि सरकार वहा की गरीबी को दूर करने के लिए छोटे-छोटे लघु उद्योग खोले जिससे उनकी गरीबी दूर होने में वह सहायक हो सके। इस बजट की एक बार फिर सराहना करते हुए मैं अधिष्ठाता महोदय आपका धन्यवादी हूं कि जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री पंचानन--

व्यवस्था का प्रश्न है। 5 बज रहे है और कितनी देर तक समय बढ़ाया गया।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये, अध्यक्ष महोदय के कमरे मे मुरादाबाद तथा अन्य स्थानों पर घटी घटनाओं के संबंध में विचार हो रहा है, जैसे ही सूचना आयेगी, बता दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

बिना समय बढ़ाये 5 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

जब तक पीठासीन अधिकारी बैठे है सदन चलता रहेगा, ऐसा निर्णय हो चुका है इसमें घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्म सिंह --

सदन में किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं आया। तो जो समय निर्धारित है उसमें 5 बजे तक का समय है उसके बाद कब तक चलेगा समय निर्धारित कर दें 6 बजे तक या साढ़े 6 बजे तक।

श्री अधिष्ठाता--

अभी कार्यसूची में दो आइटम और है।

श्री धर्म सिंह--

समय तो सदन का 5 बजे तक है या फिर आप प्रस्ताव करें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

आप समय बढ़ा दें 6 बजे तक और फिर दूसरे प्रश्न है श्री उपाध्याय की हत्या के संबंध में वक्तव्य है उसको आप लें लें। बजट पर कल भी बहस चलती रहेगी।

श्री अधिष्ठाता--

पहले मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दे दूं। इसमें ऐसा है कि नियम 15 में दिया है--अध्यक्ष के निदेश के अधीन रहते हुए सभा का उपवेशन साधारणतया 11 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होगा और तब तक चलेगा जब तक उस दिन के लिए निर्धारित कार्य समाप्त न हो जाय। तो अभी निर्धारित कार्य बचा हुआ है इसलिए तब तक सदन चलता रहेगा।

श्री धनी राम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने बजट पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया।

श्री धर्म सिंह --

समय बढाने का प्रस्ताव तो आ जाय।

एक सदस्य--

अभी हमारे मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय और उसके बाद उपाध्याय जी के संबंध में वक्तव्य भी है तो उस पर आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री अधिष्ठाता --

प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक पीठासीन अधिकारी बैठा रहेगा सदन चलता रहेगा, माननीय उपाध्याय जी के संबंध में वक्तव्य भी आ जायगा।

श्री धनीराम लर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह नितांत निराशाजनक है। उसमें कृषि मजदूरों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की सुख सुविधा के लिए कोई प्राविधान नहीं रखा गया है, विद्यालयों की प्रगति के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

बजट में मैंने देखा बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल है जो अत्यन्त जीर्ण क्षीण अवस्था में है, जिसके भवन निर्माण के लिए कोई बड़ी धनराशि एलाट नहीं की गई है। इस तरीके से शिक्षा जगत में बहुत ही निराशा व्याप्त है। बजट में हम देखते है, अध्यापकों की बहुत सारी मांगें लम्बे समय से चली आ रही है, जैसे उन्हे अन्य कर्मचारियों की तरह परिवार पेंशन दी जाए, लेकिन हमारे बजट में उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है। मै चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अध्यापकों के परिवार पेंशन प्रदान करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करें। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने इण्टर कालेज के प्रिंसिपलों की सेवा शर्तो के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। वही पुराना बजट, जो एक रूढ़वादिता के आधार पर चला आ रहा है, वही यहां पेश किया गया है। प्रधानाचार्य छुट्टियों में और यहां तक की मई जून की छुट्टियों में भी काम करते है, लेकिन उनको अर्नलीव नही दी जाती है। उसका प्राविधान होना चाहिये था। प्रधानाचार्य के लिए सरकारी विद्यालयों में निवास-स्थान की व्यवस्था है, लेकिन एडेड संस्थाओं में और अन्य संस्थाओं में प्रधानाचार्यो के लिए निवास स्थान की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं किसानों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह बजट उनके लिए भी बड़ा निराशा-जनक है। किसानों के लिए डीजल और खाद्य बहुत मंहगी कर दी गयी है। उनके आवागमन के मुख्य साधन जो बसें है, उनका किराया, जिसका परिवहन मंत्री जी ने इशारा किया था 30-40 प्रतिशत बढ़ाने की सम्भावना है, बढ़ाया न जाय। उसकी हर एक चेजीस पर टैक्स बढ़ गया है, डीजल की कीमत बढ़ गयी है। डायरेक्ट टैक्स न लगाकर इनडायरेक्ट टैक्सेशन किया गया है। जो जनता के साथ एक धोखा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी मुख्य मंत्री जी ने कोई बहुत बड़ा प्राविधान नहीं किया है। देहातों में अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। देहाती क्षेत्रों में कोई भी होम्योपैथिक अस्तपताल नहीं है। शेष जिला परिषद् के अस्पताल भी अत्यन्त जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में पड़े हुए है। वहां के लिए दवाओं के नाम पर कोई पैसा नहीं है। डाक्टर लोग पैसा लेते है, लेकिन उनसे जनता का कोई फायदा नहीं होता है। पशु-अस्पताल की भी बड़ी खराब हालत है। वहा के डाक्टर कहते है कि हमारे पास कोई दवा नहीं है। वह कहते है कि हम क्या करें बहुत ही सीमित हम दवाएं मिलती है, उसमें कैसे हम पशुओं के इलाज की व्यवस्था करें। बजट में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके पशुओं के महामारी की रोकथाम की व्यवस्था हो सके।

(इस समय 5 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

सड़कों के लिए जो किया गया है, उसकी हालत यह है कि जो सड़कें केवल हमारे यहां कैश प्रोग्राम में बनाई गई है, वह अधिकांश बह गई है। उन पर पुल बनाने की कोई व्यवस्था

[श्री धनीराम वर्मा]

नहीं की गयी है। बड़े-बड़े पुल बनवाने की ओर भी कोई इशारा नहीं है। शेरगढ़ का पुल जो पूरे बुन्देलखंड को हरदोई तक से जोड़ेगा, उसके लिए भी उक्त पुल बनवाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उसके कई सर्वे हो चुके हैं, लेकिन इस बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं है। इसी तरीके से प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है कि हम लोगों को साक्षर बनायेंगे और बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रदेश में केवल 32 जिलों को ही लिया गया है जिनमें से 2–2 ब्लाक को ही छांटा गया है और शेष को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा का मखौल उड़ाया जा रहा है।

जहां तक छात्रों को स्कालरशिप दिये जाने की बात है वह उन्हें केवल 10 रुपये दिये जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से पुस्तकें और कापियां महंगी हो गयी हैं किस प्रकार से वह 10 रुपये में शिक्षा का सामान खरीद सकता है। इसी प्रकार से गरीब बच्चों को 25 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। आज के युग में वह बच्चा किस प्रकार से 25 रुपये में अपनी पोशाक बना सकता है। यह धनराशि इतनी कम है कि उससे उस बच्चे का कोई हित होने वाला नहीं है।

इसी प्रकार से सहकारिता विभाग में पिछली सरकार ने सूद की दर कम की थी। हमारे सहकारिता मंत्री जी जब वे इटावा जाया करते थे इस विभाग की बहुत बुराई किया करते थे और कहते थे कि वहां पर ऋण की बहुत बुरी दशा है, जिन्होंने कभी ऋण नहीं लिया है उनके नाम पर ऋण चढ़ा दिया जाता है मैं अपने सहकारिता मंत्री जी से आशा कर रहा था कि निसंदेह ही वे मुख्य मंत्री जी से वहां पर जांच कराने के आदेश कराकर इसमें प्राविधान करायेंगे और कहेंगे कि जो सहकारिता विभाग की लोनिंग है, वह फर्जी है, उसका सत्यापन कराया जाय और जिनके नाम पर जबरन पैसा डाल रखा है, उसको समाप्त किया जाय। इनसे यह भी आशा की जाती थी कि जनता सरकार की तरह से ये भी 1 या 2 प्रतिशत सूद कम करायेंगे लेकिन इस जन विरोधी सरकार ने किंचिनमात्र भी कुछ नहीं किया। यह जरा भी राहत देने की नहीं सोच रही है, दिन प्रति दिन कितना टैक्स लाद रही है? प्रत्यक्ष रूप में तो कोई टैक्स नहीं लगा रही है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में लगाकर चीजों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। उदाहरण के लिए इनका कहना है कि ये साबुन पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन इन्होंने उसके रा-मैटीरियल पर टैक्स लगा दिया है। इस प्रकार से इन्डायरेक्ट टैक्सेज लगाकर सारी जनता पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है। शकर की कीमत भी आज आसमान छू रही है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मौजूदा सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है। हम देखते हैं कि आज किसान या गरीब मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। उनको उच्च शिक्षा का मौका इसलिए भी नहीं दिया जा रहा है ताकि वे पढ़ लिखकर जन विरोधी सरकार के कार्यकलापों में किसी प्रकार की बाधा न डालें। मैं तो देखता हूं कि जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही जनविरोधी है।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, उसको बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश के हर थाने की पुलिस बेलगाम हो गयी है और किसी न किसी तरह से पैसा पैदा करने की कोशिश करती रहती है। हर थाने का एस0 ओ0 ही नहीं बल्कि जो वहां पर सिपाही तक है 1–1, 2–2 हजार रुपये पैदा करता है और उसका कोई भी इलाज नहीं किया जाता है। आज प्रदेश में भयंकर बाढ़ आयी हुयी है। इटावा में भी बाढ़ आयी लेकिन वहां पर गरीबों को कोई पैसा नही दिया जाता है। इसके पहले वहां पर ओला पड़ा था फिर बाढ़ से तबाही आयी लेकिन एक दाना भी नहीं बांटा गया। मैंने वहां पर अनशन भी किया लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं पहुंचायी गयी। जो अहेतुक सहायता देने की बात कही गयी थी वह भी नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री धनीराम वर्मा—

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

एक सदस्य—

इस चर्चा में नये सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता है, जो माननीय सदस्य वहां जाकर अपना नाम दे देते हैं या जिनकी लिस्ट आपके पास पहुंच जाती है उनको ही बुलाया जाता है । यह नियमों की विरुद्ध है । नये लोगों को भी अवसर मिलना चाहिये बोलने का ।

श्री अध्यक्ष—

लिस्ट या नाम के अनुसार बुलाना यह कोई संसदीय प्रणाली नहीं है, जो भी खड़े होकर पीठासीन अधिकारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको बुलाया जाता है । यह ध्यान रखा जाता है कि जो नये सदस्य हैं या जो नहीं बोले हैं उनको पहले अवसर दिया जाय ।

अब इस पर चर्चा समाप्त होती है, इस पर चर्चा कल जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 की आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक जो श्री भीखालाल श्री ऊदल आदि की है—सम्पूर्ण प्रदेश में भारी वर्षा से हुई क्षति के बारे में, इसे मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, शेष अस्वीकार है ।

विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य, श्री शिव हर्ष उपाध्याय की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[5 बजकर 55 मिनट]

जन–स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31–7–80 को रात्रि 9.36 बजे थाना कोतवाली बस्ती पर टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि श्री शिव हर्ष उपाध्याय को उनके निवास के सामने गोली मार दी गई तथा उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है । इस सूचना पर थाना कोतवाली में एक अभियोग अंकित किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई । श्री शिव हर्ष उपाध्याय 9.40 बजे रात्रि में घायल अवस्था में बस्ती अस्पताल में दाखिल कराये गये और उनकी प्राण रक्षा के लिये हर संभव प्रयास किये गये, परन्तु 10.05 बजे रात्रि उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई । श्री शिव हर्ष उपाध्याय को गम्भीर अवस्था के कारण उनकी मृत्यु के पूर्व कथन नहीं लिया जा सका ।

2—प्रश्नगत मामले की गम्भीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस अपराध की विवेचना दिनांक 1–8–1980 को अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई । इस समय प्रश्नगत मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है । यह सही नहीं है कि श्री उपाध्याय की हत्या पुलिस की जानकारी में हुई । बस्ती जनपद में शांति व्यवस्था में गिरावट आने की बात भी सही नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से व्यक्ति का टेलीफोन था जिस पर कोतवाली में रिपोर्ट अंकित की गयी ?

श्री लोकपति—

प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

वह कौन से व्यक्ति का टेलीफोन था जिस पर कोतवाली में रिपोर्ट लिखी गयी ?

श्री लोकपति—

श्री द्विवेदी जो किसान डिग्री कालेज के प्राध्यापक हैं, उन्होंने टेलीफोन पर सूचना दी कि श्री शिव हर्ष उपाध्याय को किसी ने गोली मार दी, वह घायल हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है कि वह अस्पताल में गम्भीर अवस्था में थे जिसके कारण उनका बयान नहीं लिया जा सका, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय उपाध्याय जी लगभग 50 मिनट तक अस्पताल में होश-हवास में थे और उस समय आप ही के दल के एक विधायक श्री अम्बिका प्रसाद सिंह वहां पर उपस्थित थे, उनका बयान लेने के लिए कहा, लेकिन 50 मिनट तक कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हुआ और उनकी तत्काल मृत्यु हो गयी? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति—

अवश्य करायेंगे।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि दूसरी तारीख को एक और नेता थे असं कांग्रेस के, जब कि मीटिंग होने जा रही थी, उनको गोली मार दी गयी ?

श्री लोकपति—

प्रश्न शिव हर्ष उपाध्याय का है। अगर किसी को और गोली मार दी गयी, तो विवेचना हो रही होगी। प्रश्न यह था कि औसत आपके एक साल में कितना अपराध हुआ और इस वर्ष कितना अपराध हुआ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

31-7-90 को रात्रि 9.38 बजे थाना कोतवाली, बस्ती को सूचना मिली कि उनको गोली मार दी गयी और 9.40 बजे रात्रि में घायल अवस्था में बस्ती अस्पताल में दाखिल कराये गये। 10.5 बजे रात्रि में उनकी मृत्यु हो गयी। मेरा यह कहना है कि पुलिस ने इस बीच में क्या कार्यवाही की, अभियुक्त को पकड़ने के लिए तथा जब उपाध्याय जी जिन्दा थे, उनका बयान लेने के लिए? इसके अतिरिक्त जो अन्य आवश्यक कार्यवाही करना चाहिये था, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति—

सूचना मिलते ही पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 लिखी और विवेचना का कार्य प्रारम्भ कर दिया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पुलिस को पहली कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो कार्यवाही जीवित हालत में करना चाहिये थी, वह कार्यवाही नहीं किया। तो पुलिस ने कौन सा आधार बना कर एफ0 आई0 आर0 दर्ज किया ?

श्री लोकपति--

श्री उपाध्याय का एक टेम्पो गाड़ी पर 10 बजे के करीब अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर 25 मिनट के उपरान्त उनका देहान्त हो गया। उनके पहुंचने और उनकी मृत्यु के बीच डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हो सका। वहां पर जिलाधीश और पुलिस कप्तान पहुंचे। पहुंचने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

श्रीमन् शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम माननीय उपाध्याय जी ने किया। हर नवजवान और बुजुर्ग लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने में उनका हाथ था।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए ?

कुमारी अलमेलु अम्माल--

31-7-80 को उनकी हत्या हुई। आज 27-8-80 है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां पर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है, जरूर हो रही है, लेकिन सी0 आई0 डी0 जो है, वहां पर लोकल पुलिस सी0 आई0 डी0 से नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मंत्री जी ने जो कहा कि 25 मिनट वह अस्पताल में जिन्दा रहे, तो जब वे अस्पताल में अपने आखिरी मिनट में जिन्दा थे, होश में थे, किसी ने भी जाकर उनसे नहीं पूछा कि आपको किसने कत्ल किया या आपको गोली किसने मारी। जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को वहां पहुंचने में देर हुयी। तो इसके लिए क्या कोई कार्यवाही की जायेगी और इस मामले की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायी जायगी ताकि जनता को विश्वास हो कि शांति और व्यवस्था ठीक ढंग से बनी रहे। चूंकि मैं उस क्षेत्र की ही एम0 एल0 ए0 हूं लोग मुझसे पूछते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन है कि वे दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार कराएं और इस मामले को सी0 बी0 आई0 द्वारा इन्क्वायरी करायें ताकि हम लोगों को विश्वास हो सके कि शांति-व्यवस्था ठीक हो सकेगी।

(शोर)

श्री गुलाब सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों द्वारा उपाध्याय जी को अस्पताल ले जाया गया तब उनसे पुलिस ने या और किसी अधिकारी ने कोई पूछ-तांछ की ?

श्री लोकपति--

पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे होश में नहीं थे।

एक सदस्य--

वे होश में थे।

श्री धर्म सिंह—

कृपया माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 20–25 मिनट तक अस्पताल पहुंचने पर होश में रहे तो क्या उस वक्त डाक्टरों द्वारा या पुलिस द्वारा या वहां पर जो भी अधिकारी रहा हो डाइंग डिक्लेरेशन उनसे लिया गया था, अथवा नहीं ? यदि नहीं लिया गया तो क्यों और इसका जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री लोकपति—

इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे उस समय ऐसी स्थिति में नहीं थे कि डाइंग डिक्लेरेशन देते ।

श्री मसरूर जाफरी—

जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे होश में नहीं थे और अन्य विधायकों का कहना है कि वे लगभग 40 मिनट तक अस्पताल में होश में रहे, परन्तु जिलाधिकारी ने उनसे फोन पर भी उन पर हुई घटना के बारे में नहीं पूछा, तो क्या इसके लिए जिलाधिकारी को दोषी ठहराया जायेगा अथवा नहीं और जिलाधिकारी के विरुद्ध जांच होगी या नहीं कृपया माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी टेलीफोन द्वारा रात्रि 9.38 बजे तब सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी और वह सूचना क्या थी?

श्री लोकपति—

टेलीफोन पर सूचना दी गयी कि श्री उपाध्याय को कुछ लोगों द्वारा गोली उनके निवासस्थान पर मार दी गयी और उनको अस्पताल भेज दिया गया है ।

(कुमारी अलमेलु अम्माल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये और दूसरों को भी समय दीजिये ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

उस क्षेत्र की मैं एम0 एल0 ए0 हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप एम0 एल0 ए0 हैं तो क्या किया जाय ।

व्यवधान

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मैं अपने नेता के बारे में बोल रही हूं । वह ए0 आई0 सी0 सी0 के मेम्बर हैं 40 मिनट जिन्दा रहे । लोगों ने गोली चलायी । बाद में टैम्पों पर बैठाया । लेकिन मंत्री जी ने बहुत सही बताया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें वक्तव्य पर स्पष्टीकरण के लिये अवसर दिया जाता है कृपया भाषण न शुरू करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी देर तक वे वहां पर हास्पिटल में रहें। वहां जो प्रश्नोत्तर हो रहें हैं उससे यह बात विवादास्पद हो गयी है। वहां पर डाक्टर रहें होंगे, कुछ और लोग रहे क्या उनके सामने कोई बात कही? कांग्रेस आई0 के विधायक भी रहें हैं और जो सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मामला पुलिस से हटाया और सी0 आई0 डी0 को सौपा गया तो क्या उनके परिवार वालों ने या किसी मित्र ने इसकी मांग की थी? और जो इन्क्वायरी इनस्टीट्यूट को गयी तो क्या इस बात की भी जांच कराने का कष्ट माननीय मंत्री जी करेंगे कि उनके मुख से कोई बात निकली और जो डी0 एम0 को सूचना दी गयी उनके फैक्ट्स की भी जांच करेंगे?

श्री लोकपति--

किसी की नाम जद रिपोर्ट नहीं है। पुलिस से जांच हटाकर सी0 आई0 डी0 को दी गयी है इसकी मांग हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सी0 आई0 डी0 को क्यों सौपी गयी?

श्री अध्यक्ष--

बता तो दिया कि इसकी मांग हुई थी।

मुरादाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में होने वाली चर्चा के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--

अब इसके बाद जो मुरादाबाद के संबंध में कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये थे और अस्वीकार हो गये थे। इसी सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आया था श्री रियासत हुसैन साहब का नियम 103 में चर्चा के लिये. उस पर कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों तथा नेतासदन, नेता विरोधी दल की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि चार घन्टे की चर्चा की जाये। यह चर्चा 29 तारीख को 4 बजे से प्रारम्भ होगी और जितनी चर्चा उस दिन हो सकेगी- होगी उसके बाद जो समय बाकी रहेगा उतनी चर्चा 3 तारीख को चार बजे से होगी।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
27 अगस्त, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 119 पर)

उन मुख्य पुर्जों की सूची जिनका अभाव रहा है ।

1—ब्रेक शू लाइनिंग मय रिपिट
2—ब्रेक लाइन
3—फ्यूल होज
4—कमउटेटर एण्ड ब्राकेट
5—डाइनिमों कार्बन ब्रुश
6—क्लच कारक
7—प्रापेलर शाफ्ट स्पोर्ट
8—सेन्ट्रल बेरिंग कुशन
9—पिटमैन आर्म
10—ड्राइव साफ्ट रोलर बेरिंग
11—एगुलर बार बियरिंग
12—सिलियकल बार बियरिंग
13—डाइनिमों आरमेचर
14—स्टेयरिंग बियरिंग
15—स्टेयरिंग सेक्टर साफ्ट
16—बैट्री केबुल
17—प्लाइवुड शीट
18—आयल बाथ एयर फिल्टर
19—विभिन्न प्रकार के रोड स्प्रिंग
20—प्लाईवुड
21—ब्लाक बोर्ड
22—पेन्ट
23—टायर
24—रेक्सीन
25—एफ 0 आई 0 पम्प असेम्बली

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 127 पर)

उन ग्राम सभाओं की सूची जिनमें राजकीय नलकूप का निर्माण नहीं हुआ है।

नत्थी 'ख'

क्रमांक	जनपद	तहसील	ब्लाक	ग्राम सभा का नाम
1	2	3	4	5
1	आजमगढ़	सगड़ी	हरैया	तुरकौली
2				जम्मूबारी
3				मानिकपुर
4				अमनपट्टी
5				सोनौरा
6				करमैनी
7				इसराशैदौली
8				रामगढ़नाथो
9				बछउरखिल्लू
10				शनिचराटाटो
11				जमुनीमान
12				इटली
13				इमौलीहसन
14				भैसाड़
15				खैरभाटिजमालुद्दीन
16				सिरहीमनौरखा
17				हरपुरमटौली
18				औड़रारसूलपुर
19				बदाराबख्श
20				चकीहाजीपुर
21				सौरदहपार
22				खेताएबन
23				चरनबालापारी
24				अचलनगर
25				कतईरामसरन
26				गरीबभिक्षक
27				महवरिया
28				रामपुर सुरैना
29				परसिया
30				गोगेपुरच्की
31				नैनीजोरमुखलिश
32				चांदपट्टी
33				बनहराछपरा
34				अजगरामदरबी
35				रोशनगंज
36				हैदराबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	जनपद	तहसील	ब्लाक	ग्राम सभा का नाम
1	2	3	4	5
37	आजमगढ़	सगड़ी	हरैया	देवाराखासराजा
38				उरदिहा
39				गौहनागौबध
40				करीमगंज
41				अजगरामंकी
42				बांकागुरन पट्टी
43				आ0 रा0 मसर्की
44				आ0 रा0 मसर्की
45				बनकटा
46				बनावें
47				ईसरपुर
48				बातन सुखऊ
49				सपहाचद
50				चिलबिल्लिडाड
51				सौनबुजुर्ग
52				देवरिया
53				बालनरायन मंझरिया
54				जमुआ सागर
55				बहावनपुर पापार
56				चंदापार
57				सोवान
58				तूलापोखरा
59				पहाड़मलखापुर
60				देवाराकुण्ड
61				बालाचांदपुर
62				गड़गमझौरा
63				करैला
64				बर्जलाजमीन
65				गैह वारबैदौली
66				कल्यानपुर बधरवा
67				हसनपुर
68				रसूलपुर
69				बेदपुर बेलकुण्डा
70				अराजीदेवाराकरखिया
71				अराजी नौ0ब0करखिया
72				इस्माइलपुर
73				सिंधवार बंजरिया
74	आजमगढ़	सगड़ी	अजमतगढ़	स0मालताड़ी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
75	आजमगढ़	सगड़ी	अजमतगढ़	राजुदगवार
76				पारीपटाटी
77				कठैचाडोरवा
78				इमलीपुर
79				लाटघाट
80				बरडीहा
81				अम्माआइभा
82				बरमौलीबेनी
83				डिगबनिया मंझोवा
84				समन्दपुर बआलम
85				जोगियाबरन पटाटी
86				कसडाभोपतपु
87				मौलनापुर
88				बिलारीबैगु
89				रसूलपुर कटरा
90				कंजडानेता
91				लीलापुर हंस
92				मुहम्मदपुर अमलोनी
93				सुखनसिकन्दर
94				मरहनखास
95				वेलसर
96				कपार गढ़ी तिवारी
97				जमीननरहन
98				टेकन अहिरौली
99				महावतगढ़
100				हरनई प्रयागपुर
101				मजार सुरना
102				वरीड टिपिकरी
103				सौहराभारमु0काखभार
104				सौहराभार मु0 वरडीहा
105				साल्हेपुर
106				इमलिया यारस्सीपुर
107				हरई इस्माइलपुर
108				विशुपपुरा
109				पनसवदा
110				दिलसादपुर भुजना
111				रैखमैलीकटाई
112				कादीपुर
113				हरखीरी
114				ब्रह्मपुर सत्तर
115				वनौरा आरिपुर
116				सौकहमाखालसा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
117	आजमगढ़	सगड़ी	अजमतगढ़	जहीरुद्दीनपुर
118				मुहम्मदपुर
119				मिश्रपुर
120				चौकोखास
121				कोड़रामहरौली
122				खानकाहारामपुर
123				हसनपट्टी
124				चुनुगपार
125				चांदपार
126				शाहपुरनेवादा
127				भरसडाऔलमापुर
128				संवरुपुररसीदाब
129				चनईपुर कौठिया
130				देवारौहरैधा
131				तुरकौलीकालिका
132				सारस रायवल
133				कोकिलपारभेरौली
134				अजमतगढ़
135				अहिरौलीपहाड़
136				कटाईधुसवा
137				मेधईखास
138				पंधईढेलुबा
139				ढौलीपुर
140				सगड़ी बाकीपुर
141				दाऊदपुर सुलेमान
142				खुशहाल ऐनपुर
143				हबीब इस्माइल
144				छत्तरपुर समुन्द
145				धौरहरा
146				काखभार जिबा पट्टी
147				दामहिरावरमदपुर
148				सईसपुर टेकन
149				भटौकली पिलखी
150				डिधबनिया दलपत

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 161 विधान सभा 15-12-80 (2957)-1981 \813 (प्रो0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा